

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-27052026-272885
SG-DL-E-27052026-272885असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143]	दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2026/ज्येष्ठ 5, 1948	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 58
No. 143]	DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2026/JYAISTHA 5, 1948	[N. C. T. D. No. 58

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 26 मई, 2026

फा. सं. डीएफएस/मुख्यालय/विविध/2025/01(ई-259159)/237.—दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2007 (दिल्ली अधिनियम 2, 2009) की धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-

- (1) इन नियमों को दिल्ली अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा।
- (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे, किन्तु नियम 34, 35, 36, 37, 38, प्रथम अनुसूची तथा सप्तम अनुसूची के संशोधन इससे अपवर्जित रहेंगे।
- (3) नियम 34, 35, 36, 37, 38, प्रथम अनुसूची तथा सप्तम अनुसूची के संशोधन राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 90 दिन के पश्चात प्रभावी होंगे।

उपबंध है कि, प्रवर्तन की तिथि पर लंबित सभी आवेदन उस तिथि को लागू प्रावधानों के अनुसार निस्तारित किए जाएंगे जिस तिथि को आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

2. दिल्ली अग्निशमन सेवा नियमावली, 2010 (जिन्हें आगे मूल नियम कहा जाएगा) के नियम 2 में,-

(ए) खंड (iv) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

(iv - a) "अग्नि सुरक्षा ऑडिटर" का तात्पर्य तीसरे पक्ष अर्थात् नियमों तथा इन नियमों की सप्तम अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का संघ अथवा कंपनी से है, जो दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक के साथ विधिवत रूप से सूचीबद्ध हो।

(बी) खंड (v) प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्:

"अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र" का अभिप्राय मूल नियमों के अंतर्गत भवनों या परिसरों की अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के न्यूनतम मानकों के अनुपालन हेतु अग्निशमन सेवा द्वारा जारी किए गए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र से है, या इन नियमों के अंतर्गत किसी अग्नि सुरक्षा ऑडिटर द्वारा जारी किए गए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र से है।

(सी) खंड (viii) प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्:

(viii) "भारत का राष्ट्रीय भवन संहिता" का अभिप्राय समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्मित संहिता; भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित, "अग्नि व जीवन सुरक्षा" संहिता से है।

(डी) खंड (xi) प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्:

(xi) "विशेष क्षेत्र" से अभिप्राय दिल्ली मास्टर प्लान में विनिर्दिष्ट विशेष क्षेत्र होगा।

ई) खंड (xiii) में, 'राष्ट्रीय भवन संहिता 2005' को 'भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. मूल नियमों में नियम 3 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

3. अग्नि अंचल (जोन) का गठन

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्य की आकस्मिकताओं के अनुसार पांच या अधिक अग्नि जोन होंगे, जिनके नाम 'केन्द्रीय अंचल (जोन)', 'पूर्व अंचल (जोन)', 'पश्चिम अंचल (जोन)', 'उत्तरी अंचल (जोन)' तथा 'दक्षिणी अंचल (जोन)' अथवा कोई अन्य अंचल (जोन) होगा, जैसा कि सरकार द्वारा कार्य की अनिवार्यताओं के आधार पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सृजित किया जा सकता है।

(2) प्रत्येक अग्नि अंचल (जोन) मुख्य अग्निशमन अधिकारी के प्रभार के अधीन होगा, जिनकी सहायता के लिए एक या एक से अधिक उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी कार्यरत होंगे।

(3) केन्द्रीय अग्निशमन अंचल (जोन) में नई दिल्ली, मध्य तथा पुरानी दिल्ली प्रभाग (मंडल) अथवा कार्य की आवश्यकतानुसार सृजित कोई अन्य प्रभाग (मंडल) सम्मिलित होगा।

(4) पूर्वी अग्निशमन अंचल (जोन) में उत्तर-पूर्व और पूर्वी प्रभाग (मंडल) या कोई अन्य प्रभाग (मंडल) सम्मिलित होगा, जिसे कार्य की अनिवार्यता के आधार पर बनाया जा सकता है।

(5) पश्चिमी अग्निशमन अंचल (जोन) में पश्चिमी, दक्षिण-पश्चिमी तथा उत्तरी-पश्चिमी प्रभाग (मंडल) या कोई अन्य प्रभाग (मंडल) सम्मिलित होगा, जिसे कार्य की अनिवार्यता के आधार पर बनाया जा सकता है।

(6) उत्तरी अग्निशमन अंचल (जोन) में उत्तरी, बाहरी उत्तरी तथा मध्य उत्तरी प्रभाग (मंडल) या कोई अन्य प्रभाग (मंडल) सम्मिलित होगा, जिसे कार्य की अनिवार्यता के आधार पर बनाया जा सकता है।

(7) दक्षिणी अग्निशमन अंचल (जोन) में दक्षिण और दक्षिण पूर्व प्रभाग (मंडल) या कोई अन्य प्रभाग (मंडल) सम्मिलित होगा, जिसे कार्य की अनिवार्यता के आधार पर बनाया जा सकता है।

4. मूल नियमों में नियम 4 प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

4. अग्निशमन मंडलों का गठन

(1) अधिनियम की धारा 9 के खंड (ख) के प्रयोजन के लिए कार्य की आकस्मिकताओं के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेरह या अधिक अग्निशमन प्रभाग (मंडल) होंगे, अर्थात् 'नई दिल्ली प्रभाग (मंडल) ', 'उत्तर प्रभाग (मंडल) ', 'उत्तर-पश्चिम प्रभाग (मंडल) ', 'पश्चिम प्रभाग (मंडल) ', 'दक्षिण-पश्चिम प्रभाग (मंडल) ', 'दक्षिण प्रभाग (मंडल) ', 'दक्षिण-पूर्व प्रभाग (मंडल) ', 'मध्य प्रभाग (मंडल) ', 'उत्तर-पूर्व प्रभाग (मंडल) ', 'बाहरी उत्तर प्रभाग (मंडल) ', 'पुरानी दिल्ली प्रभाग (मंडल) ', 'मध्य उत्तर प्रभाग (मंडल) ' और 'पूर्व प्रभाग (मंडल) ' या कोई अन्य प्रभाग (मंडल), जैसा कि सरकार द्वारा कार्य की अनिवार्यताओं के आधार पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा बनाया जा सकता है।

(2) प्रत्येक अग्निशमन प्रभाग (मंडल) एक मंडल अग्निशमन अधिकारी के प्रभार के अधीन होगा।

(3) नई दिल्ली प्रभाग (मंडल) में नई दिल्ली तथा दिल्ली छावनी उप-प्रभाग (उप- मंडल) सम्मिलित होंगे।

(4) उत्तरी प्रभाग (मंडल) में बुराड़ी, आदर्श नगर और बादली उप-प्रभाग (उप- मंडल) सम्मिलित होंगे।

(5) उत्तर-पश्चिम प्रभाग (मंडल) में किराड़ी, नांगलोई जाट और रोहिणी उप-प्रभाग (उप- मंडल) सम्मिलित होंगे।

(6) पश्चिमी प्रभाग (मंडल) में विकासपुरी, जनकपुरी और राजौरी गार्डन उप-प्रभाग (उप- मंडल) सम्मिलित होंगे।

(7) दक्षिण-पश्चिम प्रभाग (मंडल) में नजफगढ़, मटियाला, द्वारका और बिजवासन उप-प्रभाग (उप- मंडल) सम्मिलित होंगे।

(8) दक्षिण प्रभाग (मंडल) में छतरपुर, मालवीय नगर, देवली और महरौली उप-प्रभाग (उप- मंडल) सम्मिलित होंगे।

(9) दक्षिण-पूर्व प्रभाग (मंडल) में जंगपुरा, कालकाजी और बदरपुर उप-प्रभाग (उप- मंडल) सम्मिलित होंगे।

(10) केन्द्रीय प्रभाग (मंडल) में पटेल नगर और करोल बाग उप-प्रभाग (उप- मंडल) सम्मिलित होंगे।

(11) उत्तर-पूर्व प्रभाग (मंडल) में करावल नगर, गोकुलपुर, यमुना विहार और शाहदरा नगर उप-प्रभाग (उप- मंडल) सम्मिलित होंगे।

- (12) बाहरी उत्तर प्रभाग (मंडल) में मुंडका, नरेला और बवाना उप-प्रभाग (उप- मंडल) सम्मिलित होंगे।
- (13) पूर्वी प्रभाग (मंडल) में गांधी नगर, विश्वास नगर और पटपड़गंज उप-प्रभाग (उप- मंडल) सम्मिलित होंगे।
- (14) मध्य उत्तर प्रभाग (मंडल) में शकूर बस्ती, शालीमार बाग तथा मॉडल टाउन उप-प्रभाग (उप- मंडल) सम्मिलित होंगे।
- (15) पुरानी दिल्ली प्रभाग (मंडल) में सदर बाज़ार और चांदनी चौक उप-प्रभाग (उप- मंडल) सम्मिलित होंगे।

5. मूल नियम में, नियम 5 में उपनियम (1) प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

- (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अधिनियम की धारा 9 के खंड (b) के प्रयोजनार्थ कार्य की आवश्यकता के अनुसार उनतालीस अथवा अधिक अग्नि उप- प्रभाग (उप-मंडल) होंगे, जिनके नाम हैं ;नई दिल्ली ,दिल्ली कैटोनमेंट ,पटेल नगर ,करोल बाग ,सदर बाज़ार ,चांदनी चौक ,करावल नगर ,गोकुलपुर ,यमुना विहार ,शाहदरा , गांधी नगर ,विश्वास नगर ,पटपड़गंज ,बुराड़ी ,आदर्श नगर ,बादली ,मुंडका ,नरेला ,बवाना ,शकूर बस्ती , शालीमार बाग ,मॉडल टाउन ,छतरपुर ,मालवीय नगर ,देवली ,महरौली ,जंगपुरा ,कालकाजी ,बदरपुर , विकासपुरी ,जनकपुरी ,राजौरी गार्डन ,नजफगढ़ ,मटियाला ,द्वारका ,बिजवासन ,किराड़ी ,नांगलोई जाट और रोहिणी ।

6. मूल नियम 8 में 'मास्टर प्लान दिल्ली 2021' के स्थान पर 'दिल्ली का मास्टर प्लान ,जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाए" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. मूल नियम 20 में डीडीओ मुख्यालय ,दिल्ली अग्निशमन सेवा ,दिल्ली में देय 'को "डीडीओ मुख्यालय, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली के पक्ष में देय अथवा ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

8. मूल नियम 22 में प्रधान, अग्नि सुरक्षा प्रबंधन अकादमी अथवा संबंधित डीडीओ को "प्रधान, अग्नि सुरक्षा प्रबंधन अकादमी अथवा संबंधित डीडीओ अथवा ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9. मूल नियम के नियम 25 में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित प्रधान या डीडीओ को "प्रधान, अग्नि सुरक्षा प्रबंधन अकादमी अथवा संबंधित डीडीओ अथवा ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

10. मूल नियम में नियम 26 प्रतिस्थापित किया जाएगा ,अर्थात्:

26. (1) "अध्याय-V के नियम, अधिनियम की धारा 25 के प्रयोजनों हेतु, भवन अथवा परिसर के स्वामी या अधिभोगी अथवा दोनों तथा पंडाल स्थापित करने वालों पर लागू होंगे, जब तक कि किसी नियम में अन्यथा उपबंधित न हो।"

(2) अग्निशमन सेवा की अन्य शाखाओं के अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत अग्निशमन सेवा मुख्यालय के अंतर्गत "अग्नि निवारण प्रकोष्ठ" नामक एक शाखा गठित की जाएगी;

(3) मुख्यालय एक मुख्य अग्निशमन अधिकारी के अधीन होगा ,जिन्हें निदेशक द्वारा निर्धारित समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' श्रेणी के अन्य अग्निशमन अधिकारियों तथा सेवा सदस्यों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

उपबंध है कि, निदेशक कार्यभार के आधार पर मुख्यालय में किसी भी श्रेणी के अग्निशमन अधिकारियों की संख्या एवं पद स्तर में वृद्धि अथवा कमी कर सकता है ।

- (4) अग्निशमन सेवा मुख्यालय, अग्नि निवारण गतिविधियों, अग्निशमन स्थल परिचालन और अग्निशमन सेवा के रखरखाव के कुशल प्रबंधन के मद्देनजर निम्नलिखित को नियंत्रित और विनियमित करेगा:
- (a) नीति निर्माण और रणनीतिक योजना;
 - (b) संसाधन प्रबंधन;
 - (c) प्रशासनिक शाखा के कार्य;
 - (d) डीएफएस अधिनियम एवं नियमों के वैधानिक प्रावधानों का निष्पादन;
 - (e) न्यायलय के समक्ष लंबित मामलों का पर्यवेक्षण और तकनीकी स्वीकृति;
 - (f) ज़ोन, अग्नि सुरक्षा प्रबंधन अकादमी के साथ समन्वय और अग्निशमन सेवा की अन्य सभी शाखाओं का पर्यवेक्षण;

मुख्यालय समस्त शाखाओं को प्रशासनिक समर्थन प्रदान करते हुए अग्निशमन सेवा की समग्र दिशा एवं रणनीति निर्धारित करेगा ताकि नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

- (5) 'अग्नि निवारण प्रकोष्ठ': अग्नि निवारण प्रकोष्ठ एक अग्निशमन अधिकारी के प्रभार के अधीन होगा जो उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद से निम्न का न हो, और उसे समूह 'क', 'ख' तथा 'ग' के अन्य अग्निशमन अधिकारियों और अग्निशमन सेवा के अन्य सदस्यों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी;

'अग्नि निवारण प्रकोष्ठ', स्थानीय प्राधिकरण अथवा अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा दिल्ली अग्निशमन सेवा को संदर्भित भवन योजनाओं तथा नियमों के अधीन अधिकृत स्तर-2 एवं स्तर-3 अग्नि सुरक्षा ऑडिटर द्वारा प्रमाणित अग्नि सुरक्षा योजनाओं का परीक्षण अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से करेगा तथा निर्माता, स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा अनुपालन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

11. मूल नियमों में नियम 27 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

27. अग्नि का जोखिम उत्पन्न करने की संभावना वाले अधिभोगों कि श्रेणियाँ

अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अधिभोग वर्ग ऐसे माने जाएंगे जिनमें अग्नि जोखिम की संभावना होगी:

- (1) पंडाल जिसकी बैठक क्षमता 50 व्यक्तियों से अधिक हो अथवा जिसका आच्छादित क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर से अधिक हो।
- (2) आवासीय भवन (होटल एवं अतिथि गृह को छोड़कर) जिनकी ऊँचाई 15 मीटर से अधिक हो अथवा जिनमें भूतल से ऊपर मेज़ेनाइन/स्टिल्ट तल सहित पाँच या अधिक मंजिलें हों।
- (3) होटल एवं अतिथि गृह भवन जिनकी ऊँचाई 12 मीटर से अधिक हो अथवा जिनमें भूतल से ऊपर मेज़ेनाइन/स्टिल्ट तल सहित चार या अधिक मंजिलें हों।
- (4) शैक्षणिक भवन जिनकी ऊँचाई 9 मीटर से अधिक हो अथवा जिनमें भूतल से ऊपर मेज़ेनाइन/स्टिल्ट तल सहित तीन या अधिक मंजिलें हों।

- (5) संस्थागत भवन जिनकी ऊँचाई 9 मीटर से अधिक हो अथवा जिनमें भूतल से ऊपर मेज़ेनाइन/स्टिल्ट तल सहित तीन या अधिक मंजिलें हों ।
- (6) सभी सभा भवन ।
- (7) व्यवसायिक भवन जिनकी ऊँचाई 15 मीटर से अधिक हो अथवा जिनमें भूतल से ऊपर मेज़ेनाइन/स्टिल्ट तल सहित पाँच या अधिक मंजिलें हों ।
- (8) वाणिज्यिक भवन जिनकी ऊँचाई 9 मीटर से अधिक हो अथवा जिनमें भूतल से ऊपर मेज़ेनाइन/स्टिल्ट तल सहित तीन या अधिक मंजिलें हों ।
- (9) औद्योगिक भवन जिनका सभी तलों का कुल आच्छादित क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर से अधिक हो ।
- (10) भंडारण भवन जिनका सभी तलों का कुल आच्छादित क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर से अधिक हो ।
- (11) सभी जोखिमयुक्त भवन जिनका कुल आच्छादित क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से अधिक हो ।
- (12) दो या अधिक स्तरों वाली सभी भूमिगत संरचनाएँ ।

12. मूल नियम 29में 'आईएस 8758:1983' और भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 " के स्थान पर क्रमशः 'आईएस 8758' और 'भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता' को प्रतिस्थापित क्या जाएगा ।

13. मूल नियम में, नियम 32 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(ए) उपनियम (1) में: फार्म 'एम' के साथ फार्म 'एन'

(बी). उप-नियम (2) में: 'डीडीओ (मुख्यालय), दिल्ली अग्निशमन सेवा दिल्ली में देय' को 'डीडीओ (मुख्यालय), दिल्ली अग्निशमन सेवा दिल्ली में देय या ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

14. मूल नियम 33 में 'भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2005' के स्थान पर 'भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता ' को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

15. मूल नियम के नियम 34 में:

(ए) उपनियम (2) को विलोप किया जाएगा।

(बी) उप-नियम (3) के स्थान पर उप-नियम (2) को प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसका पुनःक्रमांकित किया जाएगा, अर्थात्:

(2) अग्नि निवारण प्रकोष्ठ स्थानीय प्राधिकरण अथवा अन्य वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से अग्नि सुरक्षा ऑडिटर, स्वामी, अधिभोगी अथवा वास्तुकार को उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त भवन योजनाओं एवं योजनाओं में संशोधन करने हेतु निर्देश देगा ताकि इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। यदि ऐसे निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो भवन योजना अस्वीकृत किए जाने के लिए उत्तरदायी होगी।

(सी) उपनियम (4) के स्थान पर उपनियम (3) प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा उसका पुनःक्रमांकन किया जाएगा, अर्थात्:-

(3) अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपाय उपनियम (1) के अंतर्गत प्रस्तुति की तिथि अथवा उपनियम (2) के अंतर्गत संशोधित भवन की रूपरेखाओं एवं योजना प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन सप्ताह के अंदर जारी किए जाएंगे।

16. मूल नियमों में, नियम 35 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

35. अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करना

(1) किसी परिसर या भवन के स्वामी या अधिभोगी द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से, दिल्ली अग्नि शमन सेवा के पोर्टल पर उपलब्ध अग्नि सुरक्षा ऑडिटर की सूची में से किसी अग्नि सुरक्षा ऑडिटर को नियुक्त किया जा सकेगा। अग्नि सुरक्षा ऑडिटर द्वारा जारी किया गया अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र निदेशक के प्रत्यायोजित अधिकार के अंतर्गत जारी किया गया माना जाएगा तथा यह अधिनियम के अंतर्गत सत्यापन के अधीन होगा।

(2) अग्नि सुरक्षा ऑडिटर के पास सप्तम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित योग्यताएं, अनुभव और अन्य मानदंड होंगे।

(3) नियुक्त अग्नि सुरक्षा ऑडिटर परिसर, भवन अथवा अधिभोग का विस्तृत निरीक्षण करेगा, जिसमें सभी अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपाय सम्मिलित होंगे तथा प्रपत्र 'J' में विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा; प्रपत्र 'H' में अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करेगा-; तथा प्रपत्र 'I' में घोषणा प्रस्तुत करेगा; यह उन भवनों अथवा अधिभोगों पर लागू होगा जो नियम 27 के अंतर्गत चिह्नित हैं अथवा जिन्हें दिल्ली अग्निशमन सेवा से अनापत्ति/अनुमोदन अपेक्षित है।

उपबंध है कि अग्नि सुरक्षा ऑडिटर द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया जाना-, अधिनियम के अधीन अग्नि सुरक्षा उपायों के रखरखाव की प्राथमिक जिम्मेदारी से स्वामी अथवा अधिभोगी को मुक्त नहीं करेगा।

आगे उपबंध है कि अग्नि सुरक्षा ऑडिटर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से उत्पन्न किसी हानि अथवा नुकसान के लिए दिल्ली अग्निशमन सेवा उत्तरदायी नहीं होगी, सिवाय उन मामलों के जहाँ अग्निशमन अधिकारियों की दुर्भावना अथवा घोर लापरवाही सिद्ध हो।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट अग्नि सुरक्षा ऑडिटर अथवा स्वामी अथवा अधिभोगी निम्नलिखित अभिलेख ऑनलाइन, निदेशक को प्रस्तुत करेगा-

(क) प्रपत्र 'H' में अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र;

(ख) प्रपत्र 'I' में घोषणा;

(ग) प्रपत्र 'J' में निरीक्षण प्रतिवेदन;

(घ) एक हजार रुपये शुल्क, जो बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर डीडीओ (मुख्यालय), दिल्ली अग्निशमन सेवा के पक्ष में देय होगा अथवा ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से जमा किया जाएगा।

(5) निदेशक उपनियम (4) के अधीन प्रस्तुत समस्त अभिलेखों को अनुरक्षित करेगा।

दिल्ली अग्नि शमन सेवा अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अग्निशमन अधिकारी अथवा अधिकारियों की टीम, अग्नि सुरक्षा ऑडिटर द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों का यादृच्छिक निरीक्षण करेगी।

उपबंध है कि, प्रत्येक तिमाही में जारी किए गए प्रमाण-पत्रों में से कम से कम पाँच प्रतिशत प्रमाण-पत्रों का यादृच्छिक निरीक्षण किया जाएगा।

(6) अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत अग्नि शमन अधिकारी (यों) द्वारा किए गए निरीक्षण के पश्चात अग्नि निवारण अथवा अग्नि सुरक्षा उपायों में कोई कमी पाई जाती है अथवा अग्नि सुरक्षा ऑडिटर की रिपोर्ट में मिथ्याकरण पाया जाता है, तो निदेशक, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत अधिनियम एवं नियमों के अनुसार कार्यवाही आरंभ कर सकता है।

(7) कोई भी अग्नि सुरक्षा ऑडिटर किसी ऐसे भवन का ऑडिट नहीं करेगा जिसके लिए उसने या उसकी फर्म ने डिजाइन, परामर्श, स्थापना या अनुरक्षण सेवाएं प्रदान की हों।

(8) इन नियमों के अधीन नियुक्त अग्नि सुरक्षा ऑडिटर को इन नियमों के प्रयोजन हेतु भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2 की उपधारा (28)(K)(i) के अनुसार लोक सेवक माना जाएगा।

17. मूल नियमों में, नियम 36 को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:

36. अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की अवधि:-

(1) नियम 35 के अधीन जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र, यदि दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा निलंबित अथवा निरस्त नहीं किया गया हो, तो प्रत्येक वर्ष प्रपत्र 'K' प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर वैध रहेगा।

(2) अग्नि सुरक्षा ऑडिटर अथवा अग्नि सुरक्षा अधिकारी अथवा स्वामी अथवा अधिभोगी, अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि अथवा अंतिम बार प्रस्तुत प्रपत्र 'K' की तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व प्रथम अनुसूची के प्रपत्र 'K' में ऑनलाइन घोषणा प्रस्तुत करेगा।

(3) इन नियमों के प्रवर्तन से पूर्व जारी किए गए तथा मूल नियमों के अधीन वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र इन नियमों के अधीन जारी माने जाएंगे तथा उनकी वैधता उपनियम (1) के अनुसार विनियमित होगी।

18. मूल नियमों में, नियम 37 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

37. स्वचालित सतत निगरानी प्रणाली

नियम 27 के उपनियम (2) से (12) में निर्दिष्ट अधिभोग वर्गों के लिए तथा नियम 38 के उपनियम (1) के प्रयोजनार्थ, परिसर अथवा भवन के स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों अथवा उसके किसी भाग के लिए स्वचालित सतत निगरानी प्रणाली (ACMS) उपलब्ध कराई जाएगी, जैसा कि सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट है;

उपबंध है कि एसीएमएस निदेशक द्वारा अधिसूचित किए गए तकनीकी मानकों और साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन करेगा।

19. मूल नियम में, नियम 38 के उपनियम (2) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

(2) प्रत्येक वर्ष स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा अधिनियम की धारा 29 के अधीन नियुक्त अग्नि सुरक्षा अधिकारी अथवा अग्नि सुरक्षा ऑडिटर द्वारा ऑनलाइन निदेशक को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे-

(क) प्रपत्र 'K' में घोषणा;

(ख) एक हजार रुपये शुल्क, जो बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर डीडीओ (मुख्यालय), दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली के पक्ष में देय होगा अथवा ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से जमा किया जाएगा।

20. मूल नियम के नियम 40 में 'किसी अन्य अधिकारी' के स्थान पर 'किसी अन्य अग्निशमन अधिकारी' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

21. मूल नियमों के नियम 42 में, 'डीडीओ (मुख्यालय), दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली में देय को 'डीडीओ (मुख्यालय), दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली में देय या ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

22. मूल नियमों में, नियम 43 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

43. अपराधों का शमन :-

(1) उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (1) के अंतर्गत ऐसे अपराधों का शमन कर सकेंगे, जो ₹10,000/- (केवल दस हजार रुपये) तक के अर्थदंड से दंडनीय हों।

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजनार्थ मुख्य अग्निशमन अधिकारी के लिए अपराध शमन की अधिकतम सीमा ₹50,000/- (केवल पचास हजार रुपये) होगी।

(3) निदेशक अधिनियम की धारा 54 तथा इन नियमों के अंतर्गत ऐसे किसी भी अपराध का शमन कर सकता है जो कि ₹50,000/- (केवल पचास हजार रुपये) से अधिक अर्थदंड से दंडनीय हो।

(4) इस प्रकार की शमन शुल्क की समस्त राशि बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा डीडीओ (मुख्यालय), दिल्ली अग्निशमन सेवा के पक्ष में देय होगी अथवा ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से जमा की जाएगी।

23. मूल नियमों के, नियम 47 में, उपनियम (1) प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

(1) अग्निशमन सेवा के निदेशक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी तथा उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनता अथवा अग्निशमन सेवा के सदस्यों को प्रमाण-पत्र या नकद पुरस्कार अथवा दोनों के रूप में पुरस्कार स्वीकृत कर सकते हैं, जो कि नीचे दिये गए प्रत्येक के सामने उल्लिखित सीमा तक होगा :

क्रम सं.	स्वीकृति देने हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रशस्ति का प्रकार	नकद पुरस्कार
1	निदेशक	प्रशस्ति रोल	उत्कृष्ट योग्यता वाले कार्यों के लिए प्रत्येक मामले में बजट सीमा के अधीन 1,00,000/- रुपये तक की राशि दी जा सकती है।
2	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	प्रशस्ति पत्र श्रेणी - I	विशेष योग्यता वाले कार्यों के लिए प्रत्येक मामले में 75,000/- रुपये तक की राशि दी जा सकती है, जो उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दी जाने वाली मान्यता से उच्च स्तर की मान्यता के योग्य हो।
3	उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी	प्रशस्ति पत्र श्रेणी - II	आग लगने और / बचाव कार्यों के दौरान अग्निशमन सेवा को अनुकरणीय प्रदर्शन या सहायता प्रदान करने के विशिष्ट उदाहरणों को मान्यता देने के लिए प्रत्येक मामले में 50,000/- रुपये तक की राशि प्रदान की जा सकती है।

उपबंध है कि निदेशक की अनुशंसा पर सरकार अग्निशमन सेवा के सदस्यों अथवा आम जनता द्वारा अग्निशमन अथवा बचाव कार्यों में प्रदर्शित उत्कृष्ट योगदान के लिए ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) से अधिक पुरस्कार भी स्वीकृत कर सकती है।

24. निदेशक, अग्निशमन सेवा ऐसी तिथि अधिसूचित कर सकेगा जिसके पश्चात कोई भी भुगतान केवल अग्निशमन सेवा निदेशालय के ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।

25. मूल नियमों में, प्रथम अनुसूची के प्रपत्र 'B' को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

प्रपत्र 'B': स्टैंड-बाय ड्यूटी के लिए आवेदन
[नियम 20 का उप-नियम (2) देखें]

सेवा में,

निदेशक
दिल्ली अग्निशमन सेवा
दिल्ली अग्निशमन सेवा मुख्यालय
कनॉट प्लेस
नई दिल्ली-110001.

विषय: (जहां स्टैंड-बाय ड्यूटी अपेक्षित है उस स्थान का पता) पर
स्टैंड-बाय ड्यूटी प्रदान करने के लिए आवेदन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त पते पर बजे से बजे तक (तिथि उल्लिखित की जानी है)
के दौरान (जिस प्रयोजन हेतु अपेक्षित हो उल्लिखित किया जाना है) के लिए (वाहन का नाम) स्टैंड-बाय के रूप में उपलब्ध कराएं।

.....रुपये का आवश्यक भुगतान संलग्न है, जो बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक के माध्यम से डीडीओ, मुख्यालय, दिल्ली अग्निशमन सेवा के पक्ष में जारी किया गया है, या ऑनलाइन भुगतान गेटवे लेनदेन आईडी..... के माध्यम से किया जा सकता है।

दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

सम्पर्क विवरण:

पूरा नाम.....।

ईमेल आईडी।

दूरभाष. संख्या।

मोबाइल संख्या।

26. मूल नियमों में, प्रथम अनुसूची में दिए गए प्रपत्र 'H' के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र प्रतिस्थापित किया जाएगा:

प्रपत्र 'H'
फायर सेफ्टी ऑडिटर द्वारा जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र
[नियम 35(3) देखें]

यूआईडी संख्या

दिनांक:।

अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि (भवन/परिसर या संस्था का नाम) जो(पता) पर स्थित है, जिसमें भूमिगत तल और(ऊपरी मंजिलें) सम्मिलित हैं, जिसका स्वामित्व/अधिभोग(कंपनी का नाम/स्वामी/अधिभोगी का नाम) के पास है, ने दिल्ली अग्निशमन सेवा नियमावली, 2010 के नियम 33 के अनुसार अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और अधोहस्ताक्षरी द्वारा (निरीक्षण की तिथि) को (स्वामी/अधिभोगी या उनके प्रतिनिधि का नाम और पता) की उपस्थिति में सत्यापित किया गया है तथा यह भवन/परिसर नियम 36 तथा 38 की शर्तों के अधीन है.....दिनांकसे अधिभोग वर्ग के लिए उपयुक्त है, जब तक कि दिल्ली अग्निशमन सेवा तथा नियमावली -2010 द्वारा समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा निलंबित या रद्द न किया जाए।

दिनांक को नई दिल्ली में जारी किया गया।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....।

अग्नि सुरक्षा ऑडिटर का नाम.....।

ईमेल आईडी.....।

टेलीफोन संख्या.....।

मोबाइल संख्या।

अग्नि सुरक्षा ऑडिटर का स्तर और पंजीकरण संख्या.....

मोहर.....

प्रतिलिपि निम्न को :

1. _____
2. _____

अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र की वैधता के लिए शर्तें:

1. सभी निकास/प्रवेश/निकास मार्गों को किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्त रखा जाएगा।

2. उसमें प्रदान की गई सभी अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को हर समय अच्छी कार्यशील स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए।
3. अग्नि सुरक्षा उपायों के काम न करने के कारण जान-माल के किसी भी क्षति का उत्तरदायित्व स्वामी/अधिभोगी का होगा।
4. सभी स्टाफ सदस्यों को अग्निशमन प्रणाली के संचालन की सही विधि का ज्ञान होना चाहिए।
5. स्वामी/अधिभोगी या अग्नि सुरक्षा अधिकारी या अग्नि सुरक्षा ऑडिटर दिल्ली अग्नि सेवा नियमावली, 2010 की पहली अनुसूची में दिए गए प्रपत्र 'K' [नियम 38 के उप-नियम (2)] में वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करेगा।
6. इस अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र को किसी भी प्रकार से अनधिकृत निर्माण या परिवर्तन के वैधीकरण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, यदि कोई हो।
7. "स्वामी/अधिभोगी यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य अग्नि सुरक्षा ऑडिटर के माध्यम से नियम 36 में निर्धारित अनुसार इस प्रमाण पत्र की निरंतरता के लिए प्रपत्र 'K' समय पर जमा किया जाए।"

अग्निशमन अधिकारी(यों) द्वारा सत्यापन
[नियम 35 के अंतर्गत]

अग्नि सुरक्षा ऑडिटर द्वारा जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र निम्नलिखित कारणों से
.....
..... (कारण दर्ज किए जाने हैं) निलंबित या
रद्द कर दिया गया है।

या

अग्नि सुरक्षा ऑडिटर द्वारा जारी किया गया अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, प्रपत्र 'I'/'K' में उनकी घोषणा के अनुरूप पाया गया।
(*जो भी लागू न हो, उसे काट दें)

(नामित प्राधिकारी का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर)

27. मूल नियमों की प्रथम अनुसूची में प्रपत्र 'I' को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

प्रपत्र 'I': फायर सेफ्टी ऑडिटर की घोषणा

[नियम 35 देखें]

भाग-I

(उन भवनों के लिए भरा जाना है, जिनके लिए नियम 34 के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा निर्देश जारी किए गए हैं)

यूआईडी संख्या

दिनांक:

सेवा में,

निदेशक

दिल्ली अग्निशमन सेवा

दिल्ली अग्निशमन सेवा मुख्यालय

कनॉट प्लेस

नई दिल्ली-110001.

महोदय,

यह निवेदन किया जाता है कि आपके दिनांक..... के पत्र संख्या

के माध्यम से अनुशंसित सभी अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपाय भवन/परिसर
..... (भवन/परिसर का पता) में स्थापित/उपलब्ध करा

दिए गए हैं। पैराग्राफवार अनुपालन रिपोर्ट संलग्न है और यह प्रमाणित किया जाता है कि संबंधित मानकों के प्रावधानों के अनुरूप सभी अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों का परीक्षण दिनांक को अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया है और वे अच्छी कार्यशील स्थिति में पाए गए हैं। मैं,(पूरा नाम) यह वचन देता/देती हूँ कि यदि मेरी यह घोषणा अधिनियम और नियमों के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तो दिल्ली अग्निशमन सेवा नियमावली-2010 के नियम 35 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

दिनांक :

(अग्नि सुरक्षा ऑडिटर के हस्ताक्षर)

सम्पर्क विवरण:

ईमेल आईडी

दूरभाष संख्या

मोबाइल संख्या

अग्नि सुरक्षा ऑडिटर का स्तर..... पंजीकरण संख्या.....

मोहर.....

स्वामी/अधिभोगी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

मैं,(पूरा नाम) यह वचन देता/देती हूँ कि मेरी यह घोषणा, यदि अधिनियम और नियमों के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तो दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम -2007 की धारा 37 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।

हस्ताक्षर.....।

सम्पर्क विवरण:

ईमेल आईडी।
 दूरभाष संख्या।
 मोबाइल संख्या।

भाग-II

(केवल तभी भरें, जब भवन को नियम 34 के अन्तर्गत अग्नि सुरक्षा निर्देश
 जारी नहीं किए गए हों)

यूआईडी संख्या दिनांक:

सेवा में,

निदेशक
 दिल्ली अग्निशमन सेवा
 दिल्ली अग्निशमन सेवा मुख्यालय
 कनॉट प्लेस
 नई दिल्ली-110 001

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि भवन/परिसर(भवन/परिसर का नाम)
(भवन का पता) पर स्थित है, जिसमें तहखाना(नों)
 और (ऊपरी मंजिलें) सम्मिलित हैं, जिस पर (कंपनी
 का नाम/स्वामी/अधिभोगी का नाम) का स्वामित्व/अधिपत्य है। भवन के प्रत्येक तल पर अधिपत्य का विवरण निम्न
 प्रकार है:

.....

..... इस संबंध में निवेदन है कि भवन/परिसर में अग्नि
 निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के सभी उपाय, जो कि दिल्ली अग्नि सुरक्षा नियमावली के नियम 33 के अंतर्गत लागू होते हैं,
 उपलब्ध कराए गए हैं और पैराग्राफवार अनुपालन रिपोर्ट संलग्न है। यह प्रमाणित किया जाता है कि सभी अग्नि निवारण
 एवं अग्नि सुरक्षा उपायों का परीक्षण संबंधित मानकों के प्रावधानों के अनुरूप अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक
 को किया गया है और वे अच्छी कार्यशील स्थिति में पाए गए हैं।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

मैं निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज़ भी संलग्न कर रहा हूँ जिनके आधार पर इस भवन/परिसर पर प्रचलित भवन-
 उपनियमों की प्रयोज्यता का निर्णय अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया है:

- (1) स्थल योजना यूबीबीएल-2016 (समय-समय पर यथासंशोधित) के खंड 2.0.4 (च) (ii) के अनुसार।
- (2) पंजीकृत वास्तुकार द्वारा भवन की ऊंचाई के लिए यूबीबीएल-2016 के खंड 1.4.16 के अनुसार प्रमाण पत्र।
- (3) निर्मित योजनाएँ, जिन पर स्वामी या अधिभोगी और पंजीकृत वास्तुकार द्वारा यूबीबीएल-2016 के खंड 2.0.4
 (ज) के अनुरूप विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों।

(4) अधिभोगों के आरंभिक संचालन की तिथि को यूबीबीएल-2016 के खंड 2.0.4 (ज) (झ) और 1.4.75 के अनुरूप योजनाओं पर विधिवत अंकित किया गया है।

मैं,(पूरा नाम) यह वचन देता/देती हूँ कि मेरी यह घोषणा, यदि अधिनियम और नियमों के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तो दिल्ली अग्निशमन सेवा नियमावली-2010 के नियम 35 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

दिनांक:

(अग्नि सुरक्षा ऑडिटर के हस्ताक्षर)

सम्पर्क विवरण:

ईमेल आईडी।

दूरभाष संख्या।

मोबाइल संख्या।

अग्नि सुरक्षा ऑडिटर स्तर.....पंजीकरण संख्या.....

मोहर

स्वामी/अधिभागी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

मैं,(पूरा नाम) यह वचन देता/देती हूँ कि मेरी यह घोषणा, यदि अधिनियम और नियमों के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तो दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम -2007 की धारा 37 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।

हस्ताक्षर.....।

सम्पर्क विवरण:

दूरभाष संख्या।

मोबाइल संख्या।

28. प्रथम अनुसूची के प्रपत्र 'J' को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:

प्रपत्र 'J'

[नियम 35 देखें]

अग्नि सुरक्षा ऑडिटर द्वारा डीएफएस नियमावली-2010 के नियम-37 के अंतर्गत निरीक्षण रिपोर्ट

1. यूआईडी संख्या
2. भवन का नाम और पता:
3. निरीक्षण के दौरान अवलोकित भूतल, उसके नीचे एवं ऊपरी तल के स्तरों सहित प्रत्येक तल का अधिभोग:
4. पिछले एफएससी का विवरण:
5. निरीक्षण की तिथि:
6. निरीक्षण के दौरान उपस्थित स्वामी/अधिभोगी के प्रतिनिधि का नाम और पदनाम:

क्रमांक	नियम 33 के अंतर्गत अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा पर न्यूनतम मानक	नियम 35 के अंतर्गत आवश्यकता	स्थल पर स्थिति	टिप्पणी एमआर/एनएम आर*
1.	भवन तक पहुंच			
	• पहुँच मार्ग की चौड़ाई • गेट की चौड़ाई • इमारत के चारों ओर आंतरिक पहुंच मार्ग की चौड़ाई			
2.	निकासों की संख्या, चौड़ाई, प्रकार और व्यवस्था			
	क. सीढ़ियों की संख्या			
	• ऊपरी मंजिलें			
	• तहखाना			
	ख. सीढ़ियों की चौड़ाई			
	• ऊपरी मंजिल			
	• तहखाना			
	ग. निकास द्वारों की सुरक्षा			
	• अग्नि सुरक्षा द्वार			
	• दबाव			
	घ. छत तक जाने वाली निरंतर सीढ़ियों की संख्या			
	ङ. गलियारे की चौड़ाई			
	च. दरवाजे का आकार			
3.	विभाजन			
	• अग्नि सुरक्षा द्वार • विद्युत शाफ्टों की सीलिंग • शाफ्ट के दरवाजे की अग्नि रेटिंग • जल परदा • अग्नि अवरोधक			
4.	धुआँ प्रबंधन प्रणाली			
	• तहखाना • ऊपरी मंजिलें			
5.	अग्नि शामक			
	• कुल संख्या • प्रकार • आईएस मार्किंग			
6.	प्राथमिक चिकित्सा नली रील			
	• प्रत्येक मंजिल पर कुल संख्या • होज़ रील होज़ की लंबाई • नोजल व्यास			
7.	स्वचालित अग्नि पहचान और अलार्म प्रणाली			
	• डिटेक्टरों के प्रकार			

	- मुख्य पैनल का स्थान - रिपीटर पैनल का स्थान - बिजली का वैकल्पिक स्रोत - हूटर्स का स्थान			
8.	टॉकबैक के साथ एमओईएफए			
9.	सार्वजनिक पता सूची			
10.	स्वचालित स्पिंकलर प्रणाली			
	- तहखाना - भूतल - फॉल्स सीलिंग के ऊपर स्पिंकलर			
11.	आंतरिक हाइड्रेंट			
	- राइज़र/डाउन-कॉमर का आकार - प्रति मंजिल हाइड्रेंट की संख्या - नली बॉक्स			
12.	यार्ड हाइड्रेंट्स			
	- हाइड्रेंटों की कुल संख्या - नली बॉक्स			
13.	पंपिंग व्यवस्था			
	- जमीनी स्तर - मुख्य पंप का निर्वहन - मुख्य पंप का शीर्ष - मुख्य पंपों की संख्या - जॉकी पंप आउटपुट - जॉकी पंप हेड - स्टैंडबाय पंप आउटपुट - स्टैंडबाय पंप हेड - स्वचालित आरंभ/मैनुअल अवरोधन - पंप हाउस तक पहुंच - छत स्तर - पंप का निर्वहन - पंप का शीर्ष - बिजली की आपूर्ति - पंप का स्वचालित प्रारंभ			
14.	आग बुझाने के लिए जल भंडारण की व्यवस्था			
	- भूमिगत टैंक क्षमता - निकासी कनेक्शन - अग्निशमन सेवा प्रवेश द्वार - टैंक तक पहुंच - ओवरहेड टैंक क्षमता			

15.	निकास के संकेत			
16.	लिफ्ट की व्यवस्था			
	• लिफ्ट शाफ्ट का दबाव • लिफ्ट लॉबी का दबाव • लिफ्ट कार में संचार • फायरमैन का ग्राउंडिंग स्विच • लिफ्ट संकेत			
17.	स्टैंडबाय पावर आपूर्ति			
18.	सुरक्षित क्षेत्र			
	➤ कुल क्षेत्रफल ➤ स्थान			
19.	अग्नि नियंत्रण कक्ष			
	• डिटेक्टर प्रणाली पैनल • फ्लो स्विच पैनल • पीए प्रणाली पैनल • बैटरी बैकअप • भवन के फ्लोर प्लान			
20.	विशेष जोखिम की सुरक्षा के लिए विशेष अग्नि सुरक्षा प्रणाली, यदि कोई हो:			

*एमआर/एनएमआर: आवश्यकता पूरी करना/आवश्यकता पूरी न करना
टिप्पणियाँ (यदि कोई हों):

हस्ताक्षर.....
अग्नि सुरक्षा ऑडिटर का नाम.....
ईमेल आईडी.....
दूरभाष संख्या
मोबाइल संख्या
अग्नि सुरक्षा ऑडिटर का स्तर.....पंजीकरण संख्या.....
मोहर.....

29. प्रथम अनुसूची के प्रपत्र 'K' को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

प्रपत्र 'K': वार्षिक घोषणा
[नियम 38 के उप-नियम (2) देखें]
घोषणा

यूआईडी संख्या तारीख।
यह एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि (भवन या परिसर का नाम) जो (पता) पर स्थित है तहखानों और (ऊपरी मंजिलों) से मिलकर बना यह भवन दिल्ली अग्निशमन सेवा नियमावली, 2010 के नियम 33 के अनुसरण में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करती है और नियम 35 के अंतर्गत जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र यूआईडी संख्या नियम 36 के अनुसार वैध है। भवन/परिसर में प्रदान किए गए अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों की जाँच तथा परीक्षण संबंधित मानकों के अनुसार स्वामी/अधिभोगी की उपस्थिति में दिनांक को किया गया और उन्हें सही स्थिति में और अच्छी हालत में पाया गया। इसका रिकॉर्ड मेरे साथ-साथ स्वामी/अधिभोगी के पास भी उचित रूप से अनुरक्षित किया गया है। इसके अलावा यह भी घोषित किया जाता है कि भवन/परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों, जिनमें निकास मार्ग भी सम्मिलित हैं, को प्रभावित करने वाला कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन नहीं किया गया है और सभी निकास और मार्ग किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्त हैं। यह घोषणा दिनांक से तक की अवधि के लिए है।

अग्नि सुरक्षा अधिकारी/अग्नि सुरक्षा ऑडिटर का नाम...
ईमेल आईडी.....
दूरभाष संख्या
मोबाइल संख्या
*(अग्नि सुरक्षा ऑडिटर के मामले में) स्तर और पंजीकरण संख्या.....
मोहर.....
(स्वामी/अधिभागी द्वारा) प्रतिहस्ताक्षरित
हस्ताक्षर.....
नाम बड़े अक्षरों में
ईमेल आईडी.....
दूरभाष संख्या
मोबाइल संख्या
जो भी लागू न हो, उसे काट दें।

30. प्रथम अनुसूची के प्रपत्र 'L' को प्रतिस्थापित किया गया जाएगा, अर्थात्:

प्रपत्र 'L': सूचना का प्रपत्र
[नियम 41 के उप-नियम (1) के अंतर्गत देखें]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
मुख्यालय: दिल्ली अग्निशमन सेवा, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली-1100 01

संख्या

दिनांक:

अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के अंतर्गत शुल्क की मांग के लिए नोटिस

जबकि दिल्ली अग्निशमन सेवा की सेवाओं को दिनांक को घंटे पर..... (परिसर का पता) पर आग लगने के दौरान अग्निशमन और/या बचाव अभियान में सहायता के लिए अनुरोध किया गया था।

जबकि (उपकरणों की संख्या) अग्निशमन सेवा के सदस्यों सहित (अग्निशमन केंद्रों का नाम) से दिनांक को बजे रवाना हुए और दिनांक को बजे अपने-अपने अग्निशमन केंद्रों पर वापस लौट आए।

जबकि अग्निशमन सेवा की तैनाती के लिए ₹ की राशि आपके द्वारा देय है।

अतः, मैं (नाम) (पदनाम) आपसे अनुरोध करता/करती हूँ कि आप उक्त राशि का भुगतान दिनों के भीतर डीडीओ (मुख्यालय), दिल्ली अग्निशमन सेवा को देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से करें।

हस्ताक्षर निदेशक

सेवा में,

31. प्रथम अनुसूची में, प्रपत्र 'T' के पश्चात प्रपत्र 'U' सन्निविष्ट किया जाएगा।

प्रपत्र 'U'

[नियम 35(2) देखें]

अग्नि सुरक्षा ऑडिटर के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण/नियुक्ति हेतु आवेदन

सेवा में,

.....

.....

.....

.....

आवेदक की
फोटो

विषय: अग्नि सुरक्षा ऑडिटर के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण के साथ-साथ और पैनल में सम्मिलित होने के लिए आवेदन।

अधोहस्ताक्षरी, एतद द्वारा किसी भी भवन या उसके किसी भाग में अग्नि सुरक्षा ऑडिटर के रूप में कार्य करने हेतु, डीएफएस नियमावली (संशोधन)-2025 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पंजीकरण के अनुदान या नवीनीकरण तथा पैनल में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करता/करती हूँ। एजेंसी से संबंधित विवरण नीचे दिए गए हैं:

व्यक्तिगत विशेषताएं

तालिका- 1

1.	आवेदक का पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)	
2.	क्या अग्नि सुरक्षा ऑडिटर एक निजी संस्था होगी या व्यक्तियों का कोई संघ, जैसे	

	कोई फर्म या कंपनी आदि?	
3.	फर्म या कंपनी के पंजीकरण की क्रम संख्या (पंजीकरण प्रमाण पत्र, एसोसिएशन के लेख या अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ की प्रतियां संलग्न करें)।	
4.	पता	
5.	यदि अग्नि सुरक्षा ऑडिटर निम्नलिखित कार्य करेगा: क) स्वामित्व वाली संस्था, उसका नाम, योग्यता और उसे संचालित करने वाले व्यक्ति का पता। ख) किसी फर्म या कंपनी, उसके प्रत्येक साझेदार या निदेशक का नाम, योग्यता और पता, जैसा भी मामला हो।	
6.	उस कार्यालय का पता जहाँ से एजेंसी अग्नि सुरक्षा ऑडिटर के रूप में कार्य करेगी	
7.	पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए बैंक खाते का विवरण	

तकनीकी योग्यता और अनुभव

तालिका-2

1.	जिस स्तर के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया है	
2.	एजेंसी के कर्मचारी- क. पर्यवेक्षक स्टाफ, प्रत्येक का नाम, योग्यताएं तथा पता। ख. अन्य कर्मचारी - प्रत्येक का नाम, योग्यताएं तथा पता।	
3.	यदि पहले अग्नि सुरक्षा और जीवन सुरक्षा उपायों से संबंधित कोई कार्य किया गया हो, तो उसका विवरण। क. कार्य का नाम या प्रकृति। ख. क्या कार्य पूर्ण हो चुका है या अभी प्रगति पर है और जिसे पूर्ण किया जाना शेष है। (टीप - उपरोक्त विवरणों के सत्यापन प्रमाण पत्र की मूल या सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)	
4.	प्रोत्साहक या साझेदारों या निदेशकों तथा आवेदक से संबंधित तकनीकी अधिकारियों या कर्मचारियों की तकनीकी योग्यताएं और अनुभव।	

व्यावसायिक विशेषताएँ

तालिका-3

1.	क्या आप किसी अन्य राज्य के किसी अन्य विभाग या संगठन में सूचीबद्ध हैं? यदि हैं, तो किस श्रेणी में? क. क्या आवेदक या उसके साझेदारों या निदेशकों को अतीत में किसी सरकारी	
----	--	--

	विभाग/संगठन/अन्य राज्य द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है? ख. क्या आवेदक ने अपने नाम से या साझेदार, निदेशक, फर्म या कंपनी के नाम से कहीं और पंजीकरण के लिए आवेदन किया है? यदि हां, तो क्या आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है? विवरण दीजिए।	
2.	क्या आवेदक ने अद्यतन आयकर प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है?	
3.	अग्नि सुरक्षा ऑडिटर के रूप में पेशेवर कार्य के लिए क्षतिपूर्ति की राशि और इसकी वैधता की तिथि	
4.	प्राधिकरण के साथ अग्नि सुरक्षा ऑडिटर के रूप में कार्य करने के लिए भुगतान किया गया शुल्क के लिए लेनदेन आईडी/विवरण	
5.	यदि आवेदन मौजूदा पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए है, तो पुराने पंजीकरण क्रमांक और उसकी वैधता अवधि का विवरण दें।	
6.	क्या पहले कभी भी अग्नि सुरक्षा ऑडिटर के रूप में कार्य करने के लिए प्रदान किया गया पंजीकरण रद्द/ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है; और यदि हां, तो इसके कारण बताएं:	

जाँच सूची और वचनबद्धता

तालिका - 4

1.	यदि व्यक्ति फर्म का एकमात्र स्वामी है, तो साझेदारी विलेख और पावर ऑफ अटॉर्नी या संघ का लेख और संघ का ज्ञापन या वचनबद्धता की सत्यापित प्रति।	हां/नहीं
2.	अग्नि सुरक्षा ऑडिटर के रूप में कार्य करने के लिए शैक्षिक योग्यताओं की सत्यापित प्रतियां।	हां/नहीं
3.	अग्नि सुरक्षा ऑडिटर के रूप में कार्य करने के अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र।	हां/नहीं
4.	निर्धारित अनुभव अवधि के दौरान किए गए कार्यों के संतोषजनक समापन से संबंधित प्रमाण पत्र।	हां/नहीं
5.	साझेदारों या निदेशकों या व्यक्तिगत मालिकों और पेशेवरों की भी सत्यापित पासपोर्ट आकार की फोटो।	हां/नहीं
6.	वचनबद्धता जिसमें कहा गया है कि उसकी/उसके फर्म राज्य सरकार के किसी भी विभाग, स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी भी बोर्ड या निगम या संगठन या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं की गई है।	हां/नहीं
7.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित कार्यालय/शाखा के पते का प्रमाण।	हां/नहीं
8.	तकनीकी स्टाफ की सूची और उनकी योग्यताएँ	हां/नहीं
9.	अग्नि सुरक्षा ऑडिटर के रूप में पेशेवर कार्य के लिए क्षतिपूर्ति की प्रति	हां/नहीं
10.	प्रपत्र 'U' में आवश्यकतानुसार कोई अन्य जानकारी और/या दस्तावेज।	हां/नहीं

मैं/हम एतद्वारा पूर्णतः यह घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि प्रपत्र 'U' में दी गई सभी जानकारी और अभिलेख मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य हैं।

मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने विभाग में स्वयं को या हमें एक से अधिक नामों से अग्नि सुरक्षा ऑडिटर के रूप में पंजीकृत नहीं कराया है और न ही कराएंगे/करेंगे।

*[दिल्ली अग्निशमन सेवा में मेरा पूर्व पंजीकरण क्रमांक स्तर के लिए.....]

* यदि लागू न हो तो काट दें।

धन्यवाद

भवदीय

[आवेदक (कों) के हस्ताक्षर, नाम और पता]

32. मूल नियमों की द्वितीय अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

द्वितीय अनुसूची

अग्नि अंचल (जोन), अग्नि मंडल/ प्रभागों और अग्नि उप-मंडल/उप-प्रभागों की सीमाएँ और विस्तार
[नियम 6 देखें]

1. अग्नि अंचल (जोन)की सीमाएँ और विस्तार:

- 1) पूर्व अंचल (जोन)की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:
उत्तर-पूर्व और पूर्व प्रभागों का संपूर्ण क्षेत्र।
- 2) पश्चिम अंचल (जोन) की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:
पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम प्रभागों का संपूर्ण क्षेत्र।
- 3) उत्तर अंचल (जोन)की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:
उत्तर, बाहरी उत्तर और मध्य उत्तर प्रभागों का संपूर्ण क्षेत्र।
- 4) दक्षिण अंचल (जोन)की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:
दक्षिण और दक्षिण-पूर्व प्रभागों का संपूर्ण क्षेत्र।
- 5) मध्य अंचल (जोन) की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:
नई दिल्ली का संपूर्ण क्षेत्र, मध्य दिल्ली और पुरानी दिल्ली प्रभाग।

2. अग्निशमन प्रभागों (मंडलों) की सीमाएँ और विस्तार:

- 1) नई दिल्ली प्रभाग (मंडल) की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:नई दिल्ली और दिल्ली छावनी उप-प्रभागों (उप- मंडलों) का संपूर्ण क्षेत्र।
- 2) मध्य प्रभाग (मंडल) की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:पटेल नगर और करोल बाग उप-प्रभागों (उप- मंडलों) का संपूर्ण क्षेत्र।
- 3) पुरानी दिल्ली प्रभाग (मंडल) की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:सदर बाजार और चांदनी चौक उप-प्रभागों (उप- मंडलों)का संपूर्ण क्षेत्र।
- 4) उत्तर-पूर्व प्रभाग (मंडल) की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:करावल नगर, गोकुलपुर, यमुना विहार और शाहदरा नगर उप-प्रभागों (उप- मंडलों)का संपूर्ण क्षेत्र।

- 5) पूर्व प्रभाग (मंडल) की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा: गांधी नगर, विश्वास नगर और पटपड़गंज उप-प्रभागों (उप- मंडलों)का संपूर्ण क्षेत्र।
- 6) उत्तर प्रभाग (मंडल) की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा: बुराड़ी, आदर्श नगर और बादली उप-प्रभागों (उप- मंडलों)का संपूर्ण क्षेत्र।
- 7) बाहरी उत्तर प्रभाग (मंडल) की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा: मुंडका, नरेला और बवाना उप-प्रभागों (उप- मंडलों)का संपूर्ण क्षेत्र।
- 8) मध्य उत्तर प्रभाग की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा: शकुर बस्ती, शालीमार बाग और मॉडल टाउन उप-प्रभागों (उप- मंडलों)का संपूर्ण क्षेत्र।
- 9) दक्षिण प्रभाग (मंडल) की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा: छतरपुर, मालवीय नगर, देवली और महारौली उप-प्रभागों (उप- मंडलों)का संपूर्ण क्षेत्र।
- 10) दक्षिण पूर्व प्रभाग (मंडल) की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा: जंगपुरा, कालकाजी और बदरपुर उप-प्रभागों (उप- मंडलों)का संपूर्ण क्षेत्र।
- 11) पश्चिम प्रभाग (मंडल) की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा: विकासपुरी, जनकपुरी और राजौरी गार्डन उप-प्रभागों (उप- मंडलों) का संपूर्ण क्षेत्र।
- 12) दक्षिण-पश्चिम प्रभाग (मंडल) की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा: नजफगढ़, मटियाला, द्वारका और बिजवासन उप-प्रभागों (उप- मंडलों) का संपूर्ण क्षेत्र ।
- 13) उत्तर-पश्चिम प्रभाग (मंडल) की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा: किराडी, नांगलोई जाट और रोहिणी उप-प्रभागों (उप- मंडलों) का संपूर्ण क्षेत्र।

3. अग्निशमन उप-प्रभाग (उप-मंडल): अग्निशमन उप-प्रभागों में नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अग्निशमन केंद्र होंगे:

क्रम संख्या	उप-प्रभाग (उप-मंडल)	अग्निशमन केन्द्र का नाम
1	नई दिल्ली	रकाब गंज
		चाणक्यपुरी
		कनॉट सर्कस
		मुख्यालय
		सुप्रीम कोर्ट
		राष्ट्रपति भवन
		दिल्ली सचिवालय
		सिविक सेंटर
		दिल्ली उच्च न्यायालय
2	दिल्ली छावनी	*

3	पटेल नगर	मोती नगर
		मोती नगर-टीसी/डब्ल्यूएस
		प्रसाद नगर
		शंकर रोड
4	करोल बाग	जेआर रोड
		नारायणा
5	सदर बाजार	तेलिवाड़ा
		एसपीएम
6	चांदनी चोक	टाउन हॉल
		पाईवालन
		दरियागंज
7	करावल नगर	*
8	गोकुलपुर	गोकुल पुर
		ताहिर पुर
9	यमुना विहार	यमुना विहार
10	शाहदरा	शाहदरा
11	गांधी नगर	शास्त्री पार्क
		लक्ष्मी नगर
		गीता कॉलोनी
12	विश्वास नगर	सीबीडी शाहदरा
13	पटपड़गंज	कल्याण वास
		दल्लुपुरा
		मंडावली
		मयूर प्लेस
14	बुराड़ी	*
15	आदर्श नगर	*
16	बादली	जहांगीरपुरी
		संजय गांधी परिवहन नगर
17	मुंडका	*
18	नरेला	नरेला
		भोरगढ़
19	बावना	बावना
		डीएसआईआईडीसी बावना
20	शकुर बस्ती	पश्चिम विहार
21	शालीमार बाग	केशवपुरम
		नेताजी सुभाष प्लेस
	मॉडल टाउन	रूप नगर

22		वजीरपुर
23	छतरपुर	*
24	मालवीय नगर	मालवीय नगर/ गीतांजलि
		नेहरू प्लेस
		भीकाजी कामा प्लेस
25	देवली	*
26	महरौली	वसंत कुंज
27	जांगपुरा	एम्स
		सफदरजंग
		मथुरा रोड
28	कालकाजी	ओखला
		जसोला
29	बदरपुर	सरिता विहार
		ओखला चरण-I
30	विकासपुरी	टिकरी
31	जनकपुरी	जनकपुरी
32	राजौरी गार्डन	हरि नगर
		कीर्ति नगर
33	नजफगढ़	नजफगढ़
		जाफरपुर
34	मटियाला	*
35	द्वारका	द्वारका
		यशोभूमि (डीडब्ल्यूके-25)
36	बिजवासन	*
37	किराड़ी	रोहिणी सेक्टर-41
		मंगोलपुरी
38	नांगलोई जाट	ज्वालापुरी
		ज्वाला हेड़ी
		उद्योग नगर
39	रोहिणी	रोहिणी सेक्टर-05
		रोहिणी सेक्टर-16

*अग्निशमन केंद्र(ओं) का निर्माण किया जाना है।

(4) अग्नि उप-प्रभागों (उप- मंडलों) की सीमाएँ एवं विस्तार:

- 1) नई दिल्ली उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा और विस्तार रकाबगंज, चाणक्य पुरी, कनॉट सर्कस, मुख्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति भवन, दिल्ली सचिवालय, सिविक सेंटर और दिल्ली उच्च न्यायालय अग्निशमन केंद्रों से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 2) दिल्ली छावनी उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा: *अग्निशमन केंद्र(ओं)।
- 3) पटेल नगर उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा और विस्तार मोती नगर, मोती नगर-टीसी/डब्ल्यूएस, प्रसाद नगर और शंकर रोड अग्निशमन केन्द्रों से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 4) करोल बाग उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा और विस्तार जेआर रोड और नारायणा फायर स्टेशनों से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 5) सदर बाजार उप-प्रभाग की सीमा एवं विस्तार एसपीएम मार्ग और तेलीवाड़ा अग्निशमन केंद्रों से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 6) चांदनी चौक उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा और विस्तार टाउन हॉल, पाईवालन और दरियागंज अग्निशमन केंद्रों से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 7) करावल नगर उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा एवं विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा - *अग्निशमन केंद्र(ओं)।
- 8) गोकुलपुर उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा और विस्तार गोकुलपुर और ताहिरपुर अग्निशमन केंद्रों से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 9) यमुना विहार उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा एवं विस्तार यमुना विहार अग्निशमन केंद्र से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 10) शाहदरा उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा और विस्तार शाहदरा अग्निशमन केंद्र से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 11) गांधी नगर उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा एवं विस्तार शास्त्री पार्क, लक्ष्मी नगर और गीता कॉलोनी अग्निशमन केंद्रों से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 12) विश्वास नगर उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा और विस्तार, सीबीडी शाहदरा अग्निशमन केंद्र से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 13) पटपड़गंज उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा एवं विस्तार कल्याण वास, दल्लूपुरा, मंडावली और मयूर पैलेस अग्निशमन केंद्रों से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 14) बुराड़ी उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा - *अग्निशमन केंद्र(ओं)।

- 15) आदर्श नगर रोहिणी उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा - *अग्निशमन केंद्र(ओं)।
- 16) बादली उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा और विस्तार जहांगीर पुरी और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर अग्निशमन केंद्रों से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 17) मुंडका उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा एवं विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा - *अग्निशमन केंद्र(ओं)।
- 18) नरेला उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा एवं विस्तार नरेला एवं भोरगढ़ अग्निशमन केंद्रों से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 19) बवाना उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा और विस्तार बवाना और डीएसआईआईडीसी बवाना अग्निशमन केंद्रों से घिरा क्षेत्र होगा।
- 20) शकूर बस्ती उप-प्रभाग की सीमा एवं विस्तार पश्चिम विहार अग्निशमन केंद्र से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 21) शालीमार बाग उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा एवं विस्तार केशवपुरम एवं नेताजी सुभाष पैलेस अग्निशमन केंद्रों से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 22) मॉडल टाउन उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा और विस्तार रूप नगर और वज़ीरपुर अग्निशमन केंद्रों से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 23) छतरपुर उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा एवं विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा: *अग्निशमन केंद्र(ओं)।
- 24) मालवीय नगर उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा एवं विस्तार गीतांजलि, नेहरू प्लेस और भीकाजी कामा पैलेस अग्निशमन केंद्रों से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 25) देवली उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा एवं विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा: *अग्निशमन केंद्र(ओं)।
- 26) मेहरौली उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा एवं विस्तार वसंत कुंज अग्निशमन केंद्र से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 27) जंगपुरा उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा एवं विस्तार एम्स, सफदरजंग और मथुरा रोड अग्निशमन केंद्रों से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 28) कालकाजी उप-प्रभाग की सीमा और विस्तार ओखला और जसोला अग्निशमन केंद्रों से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 29) बदरपुर उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा एवं विस्तार सरिता विहार और ओखला फेज-1 अग्निशमन केंद्रों से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 30) विकासपुरी उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा एवं विस्तार टिकरी अग्निशमन केंद्र से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।

- 31) जनकपुरी उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा एवं विस्तार जनकपुरी अग्निशमन केंद्र से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 32) राजौरी गार्डन उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा और विस्तार हरि नगर और कीर्ति नगर अग्निशमन केंद्रों से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 33) नजफगढ़ उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा एवं विस्तार नजफगढ़ एवं जाफरपुर अग्निशमन केंद्रों से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 34) मटियाला उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा - *अग्निशमन केंद्र(ओं)।
- 35) द्वारका उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा एवं विस्तार द्वारका और यशो भूमि अग्निशमन केंद्रों से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 36) बिजवासन उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा एवं विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा - *अग्निशमन केंद्र(ओं)।
- 37) किराड़ी उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा एवं विस्तार रोहिणी सेक्टर-41 और मंगोल पुरी अग्निशमन केंद्रों से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।
- 38) नांगलोई जाट उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा और विस्तार ज्वाला पुरी, ज्वाला हेरी और उद्योग नगर अग्निशमन केंद्रों से घिरा क्षेत्र होगा।
- 39) रोहिणी उप-प्रभाग (उप-मंडल) की सीमा और विस्तार रोहिणी सेक्टर-05 और रोहिणी सेक्टर-16 अग्निशमन केंद्रों से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा।

5. अग्निशमन केंद्रों की सीमाएँ और विस्तार:

(1) मयूर प्लेस अग्निशमन केंद्र: मयूर प्लेस फायर स्टेशन की सीमाएँ और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होंगे:

- (i) एनई3 से पटपड़गंज रोड होते हुए चांद सिनेमा रोड तक (संजय पार्क झील के दक्षिण में)।
- (ii) चांद सिनेमा रोड से वसुंधरा रोड होते हुए उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक।
- (iii) उत्तर प्रदेश की सीमा से होते हुए नोएडा लिंक रोड तक।
- (iv) नोएडा लिंक रोड से एनई3 होते हुए पटपड़गंज रोड की ओर।

(2) दल्लूपुरा अग्निशमन केन्द्र: दल्लूपुरा अग्निशमन केन्द्र की सीमाएँ और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होंगे:

- (i) गाजीपुर गोल चक्कर से लेकर उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक।

- (ii) उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ-साथ प्रगति मार्ग (दोनों ओर) होते हुए शहीद कैप्टन समीर भान मार्ग तक।
- (iii) शहीद कैप्टन समीर भान मार्ग से गाज़ीपुर रोड (नाले के किनारे) होते हुए गाज़ीपुर गोल चक्कर तक।

(3) कल्याण वास अग्निशमन केन्द्र: कल्याण वास अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा:

- (i) नटराज चौक (एनई3 पर) से पटपड़गंज रोड होते हुए चांद सिनेमा रोड तक।
- (ii) चांद सिनेमा रोड से खिचड़ीपुर रोड तक
- (iii) खिचड़ीपुर रोड से गुर्जर सम्राट मिहिर भोज मार्ग संजय झील पार्क की ओर।
- (iv) गुर्जर सम्राट मिहिर भोज मार्ग से चांद सिनेमा रोड तक।

(4) मंडावली (एमआईपी) अग्निशमन केन्द्र: मंडावली अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा:

- (i) एनएच24/ दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर यमुना नदी के पुल से उत्तर प्रदेश की सीमा (नोएडा) तक।
- (ii) उत्तर प्रदेश की सीमा से लेकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन की रेलवे लाइन तक।
- (iii) आनंद विहार रेलवे स्टेशन से लेकर यमुना नदी तक की रेल लाइन के साथ-साथ।

(5) लक्ष्मी नगर अग्निशमन केन्द्र: लक्ष्मी नगर अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा:

- (i) मास्टर प्लान के अंतर्गत न्यू पटपड़गंज रोड क्रॉसिंग से स्वामी दयानंद मार्ग (करकड़ी मोड चौक) तक जाने वाली सड़क।
- (ii) स्वामी दयानंद मार्ग (मंडावली की ओर) से रेलवे लाइन आनंद विहार तक।
- (iii) रेलवे लाइन की सीमा के साथ-साथ यमुना नदी तक।
- (iv) विकास मार्ग के दोनों ओर न्यू पटपड़गंज रोड क्रॉसिंग तक।
- (v) यमुना नदी से मास्टर प्लान रोड तक।

(6) सीबीडी शाहदरा अग्निशमन केन्द्र: सीबीडी शाहदरा अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:

- (i) कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन (स्वामी दयानंद मार्ग और गुरुद्वारा रोड के जंक्शन पर) से महर्षि वाल्मीकि मार्ग, फिर गुरुद्वारा रोड, फिर महाराजा सूरजमल मार्ग होते हुए दिल्ली शाहदरा आउटर केबिन रेलवे लाइन तक।
- (ii) रेलवे लाइन के साथ-साथ चौधरी चरण सिंह मार्ग तक (गाजीपुर नाले को पार करते हुए)।
- (iii) चौधरी चरण सिंह मार्ग से आनंद विहार रेलवे स्टेशन लाइन के चौराहे तक।
- (iv) आनंद विहार रेलवे स्टेशन की सीमा के साथ-साथ स्वामी दयानंद मार्ग तक जाने वाली रेलवे लाइन।
- (v) स्वामी दयानंद मार्ग से गुरुद्वारा रोड तक।

(7) गीता कॉलोनी अग्निशमन केन्द्र: गीता कॉलोनी अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा:

- (i) पुस्ता रोड से कैलाश नगर रेलवे लाइन क्रॉसिंग तक रेलवे लाइन।
- (ii) स्वामी दयानंद मार्ग से मास्टर प्लान रोड तक रेलवे लाइन क्रॉसिंग।

(iii) पुस्ता रोड तक जाने वाली मास्टर प्लान रोड।

(8) शाहदरा अग्निशमन केन्द्र: शाहदरा अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा:

- (i) जाफराबाद की मुख्य सड़क से बाबरपुर रोड तक।
- (ii) जीटी रोड से स्वामी दयानंद मार्ग होते हुए गुरुद्वारा रोड तक।
- (iii) स्वामी दयानंद मार्ग और गुरुद्वारा रोड के जंक्शन से महर्षि वाल्मीकि मार्ग होते हुए गुरुद्वारा रोड, महाराजा सूरजमल मार्ग होते हुए ताहिरपुर रोड तक (दिल्ली शाहदरा आउटर केबिन रेलवे लाइन को पार करते हुए)।
- (iv) ताहिरपुर रोड से जीटी रोड रेलवे लाइन क्रॉसिंग तक।
- (v) रेलवे लाइन की सीमा के साथ-साथ मुख्य 100 फीट रोड तक।
- (vi) उत्तर प्रदेश की सीमा से लेकर मुख्य मंडोली मार्ग तक।
- (vii) मुख्य 100 फीट रोड से नाथू कॉलोनी चौक होते हुए दुर्गा पुरी चौक तक।
- (viii) दुर्गा पुरी चौक से बाबर पुर रोड।

(9) ताहिरपुर अग्निशमन केन्द्र: ताहिरपुर अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा:

- (i) जीटी रोड रेलवे लाइन क्रॉसिंग से उत्तर प्रदेश सीमा की ओर गगन विहार तक सड़क के दोनों ओर।
- (ii) सीमा से मंडोली मार्ग की ओर जाने वाली वजीराबाद रोड के दोनों ओर का क्षेत्र।
- (iii) उत्तर प्रदेश की सीमा से लेकर गाजीपुर नाले पर शाहदरा को पार करने वाली रेलवे लाइन तक।
- (iv) शाहदरा से दिल्ली की ओर जाने वाली रेलवे लाइन की सीमा के साथ-साथ, शाहदरा के बाहरी केबिन से ताहिरपुर रोड होते हुए जीटी रोड रेलवे लाइन क्रॉसिंग तक।

(10) गोकुलपुर अग्निशमन केन्द्र: गोकुलपुर अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:

- (i) नाथू कॉलोनी चौक से जाफराबाद रोड क्रॉसिंग रोड नंबर 66 तक।
- (ii) जाफराबाद रोड से मौजपुर मेन मार्ग होते हुए 5वां पुस्ता रोड तक।
- (iii) 5वां पुस्ता रोड से मार्जिनल बंध रोड से करावल नगर पुस्ता रोड तक।
- (iv) करावल नगर पुस्ता रोड से लोनी रोड वाया जवाहर नगर सीमा तक।
- (v) जवाहर नगर औद्योगिक क्षेत्र से लोनी रोड होते हुए मंडोली गांव तक।

(11) यमुना विहार: यमुना विहार अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा:

- (i) खजूरी खास मेट्रो स्टेशन से वजीराबाद रोड से गोकुलपुरी फ्लाईओवर शाहदरा ड्रेन तक
- (ii) नाला रोड से मौजपुर बाबरपुर मुख्य सड़क जंक्शन तक।
- (iii) मौजपुर बाबरपुर मुख्य सड़क जंक्शन से मौजपुर/गामड़ी मुख्य सड़क से 5वां पुस्ता रोड जंक्शन से खजूरीखास मेट्रो स्टेशन गोलचक्कर तक।

(12) शास्त्री पार्क अग्निशमन केन्द्र: शास्त्री पार्क अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा:

- (i) पुराना पुल जीटी रोड मेट्रो लाइन क्रॉसिंग से जाफराबाद तक के मेट्रो स्टेशन सम्मिलित हैं।
- (ii) एमसीडी कॉलोनी से वज़ीराबाद बागपत सीमांत सड़क का चौराहा।
- (iii) बागपत रोड क्रॉसिंग से सोनिया विहार पुस्ता रोड होते हुए यूपी बॉर्डर तक जाएं (ट्रॉनिक सिटी के दाहिनी ओर)।
- (iv) जीटी रोड से यमुना विहार रोड तक।
- (13) जसोला अग्निशमन केन्द्र: जसोला अग्निशमन केन्द्र की सीमाएँ और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरे होंगे:
- (i) तुगलकाबाद ईस्ट केबिन रेलवे लाइन से जसौला अपोलो मेट्रो स्टेशन के सामने वाली सड़क (रेलवे लाइन की सीमा के साथ उत्तर दिशा की ओर) से महात्मा गांधी फ्लाईओवर/मुद्रिका मार्ग तक।
- (ii) महात्मा गांधी फ्लाईओवर/मुद्रिका मार्ग से डीएनडी फ्लाईओवर तक यमुना नदी तक।
- (iii) यमुना नदी की सीमा के साथ-साथ कालिंदी कुंज रोड होते हुए अटलांटिक वर्ल्ड तक।
- (iv) अटलांटिक वर्ल्ड से विश्वास जी सड़क होते हुए एनएच 148 की ओर अपोलो अस्पताल/तुगलकाबाद ईस्ट केबिन रेलवे लाइन की ओर।
- (14) सरिता विहार अग्निशमन केन्द्र: सरिता विहार अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:
- (i) मथुरा रोड अपोलो अस्पताल क्रॉसिंग (सरिता विहार) से सीमा (बदरपुर सीमा) तक रेलवे ट्रैक के दोनों ओर।
- (ii) बदरपुर सीमा से यमुना नदी तक
- (iii) यमुना नदी के किनारे-किनारे कालिंदी कुंज रोड क्रॉसिंग से मथुरा रोड अपोलो क्रॉसिंग तक रोड नंबर 13 ए (सरिता विहार की ओर) होते हुए।
- (15) ओखला फेज-III अग्निशमन केन्द्र: ओखला फेज-III अग्निशमन केन्द्र की सीमाएँ और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होंगे:
- (i) बाहरी रिंग रोड रेलवे लाइन से मां आनंदमयी क्रॉसिंग तक।
- (ii) मां आनंदमयी मार्ग से ओखला एस्टेट मार्ग क्रॉसिंग तक।
- (iii) ओखला एस्टेट मार्ग से रेलवे लाइन (सड़क संख्या 13 ए) तक का क्रॉसिंग, रेलवे लाइन के साथ-साथ बाहरी रिंग रोड तक।
- (16) ओखला फेज – I.- ओखला फेज – I अग्निशमन केन्द्र की सीमाएँ और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होंगे:
- (i) मां आनंदमयी मार्ग और ओखला एस्टेट मार्ग के चौराहे से मां आनंदमयी मार्ग पर दोनों ओर सीमा तक, सीमा की ओर सड़क संख्या 13 और रेलवे ट्रैक से घिरा हुआ (रेलवे ट्रैक के बाईं ओर सीमा और आनंदमयी मार्ग तक)।
- (ii) गुरु रवि दास मार्ग / ओखला औद्योगिक एस्टेट मार्ग क्रॉसिंग से मेहरौली बदरपुर रोड की ओर, बत्रा अस्पताल की ओर, देवली रोड तक।
- (iii) देवली रोड से नई बस्ती रोड होते हुए चौधरी जुगललाल भूरे मार्ग से होली चौक तक।
- (iv) होली चौक से शनि बाजार मुख्य सड़क से बॉर्डर तक, देवली-नई बस्ती-जुगललालभूरे-शनि बाजार रोड के दाहिनी ओर। (असोला वन्यजीव अभयारण्य, भाट्टी माइंस, कृष्णा पर्वत, कैप फिम्स सरकारी कार्यालय, अरावली हिल व्यू प्वाइंट सनराइज, संगम विहार चर्च, संगम विहार वन, नीली झील, देवली सहित)
- (v) हरियाणा सीमा के साथ-साथ बदरपुर रेलवे लाइन तक।

(17) नेहरू प्लेस अग्निशमन केन्द्र: नेहरू प्लेस अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:

- (i) मोदी फ्लोर मिल/भक्तिवेदांता रोड क्रॉसिंग से कालकाजी फ्लाईओवर से मां आनंदमयी रोड से ओखला गोलचक्कर से ओखला एस्टेट मार्ग से गुरु रवि दास मार्ग और ओखला एस्टेट मार्ग के जंक्शन तक।
- (ii) गुरु रवि दास मार्ग और ओखला एस्टेट मार्ग के जंक्शन से महारौली-बदरपुर रोड तक।
- (iii) महारौली-बदरपुर रोड से मंदिर मार्ग से कोर्ट चौक रोड से डीटी चौराहा तक लेफ्टिनेंट शहीद पंकज जुयाल मार्ग से प्रेस एन्क्लेव मार्ग तक।
- (iv) लेफ्टिनेंट शहीद पंकज जुयाल मार्ग और प्रेस एन्क्लेव मार्ग के जंक्शन से खिड़की मेन रोड से महर्षि दयानंद मार्ग तक।
- (v) महर्षि दयानंद मार्ग से बसंत कौर मार्ग से शिवालिक रोड से इंद्रजीत वर्मा मार्ग तक श्री अरबिंदो मार्ग तक।
- (vi) श्री अरबिंदो मार्ग से बलबीर सक्सेना मार्ग होते हुए अगस्त क्रांति मार्ग (सिरी फोर्ट रोड) से बीआरटी कॉरिडोर तक।
- (vii) जोसेफ ब्रोज़ टीटो मार्ग से लाला लाजपत राय रोड तक कालका देवी मार्ग से कैप्टन गौड मार्ग से मोदी फ्लोर मिल/भक्तिवेदांता रोड क्रॉसिंग तक।

(18) मालवीय नगर (गीतांजलि) अग्निशमन केन्द्र: मालवीय नगर (गीतांजलि) अग्निशमन केन्द्र की सीमाएं और विस्तार निम्न से घिरा क्षेत्र होगा:

- (i) श्री अरबिंदो और इंद्रजीत वर्मा मार्ग के जंक्शन से गीतांजलि मार्ग (शिवालिक रोड पर) तक।
- (ii) शिवालिक रोड से महर्षि दयानंद मार्ग से खिड़की मेन रोड से प्रेस एन्क्लेव मार्ग से स्वर्गीय शहीद पंकज जुयाल मार्ग से कोर्ट चौक रोड तक।
- (iii) कोर्ट चौक रोड से मंदिर मार्ग होते हुए एमबी रोड के जंक्शन तक
- (iv) देवली रोड से नई बस्ती रोड होते हुए चौधरी जुगललाल भूरे मार्ग से होली चौक तक।
- (v) होली चौक से शनि बाजार मुख्य सड़क तक बॉर्डर तक, देवली-नई बस्ती-जुगललालभूरे-शनि बाजार रोड के बायीं ओर। (आदर्श एन्क्लेव, राधा स्वामी सत्संग, हनुमान भक्ति मंदिर, खोली धाम, माता काली मंदिर, जिरखोद मंदिर, डेरा गांव, संत हरि दास मंदिर सहित)
- (vi) हरियाणा की सीमा के साथ (फरीदाबाद-गुड़गांव रोड) से महारौली गुड़गांव रोड 148ए तक, आचार्य श्री तुलसी मार्ग तक, क्रिसेंट रोड तक, श्री अरबिंदो मार्ग तक, एमएमटीसी/इंदरजीत वर्मा मार्ग तक।

(19) वसंत कुंज अग्निशमन केन्द्र: वसंत कुंज अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:

- (i) छतरपुर मेट्रो स्टेशन से (आचार्य श्री तुलसी मार्ग पर) वसंत कुंज मार्ग से अरुणा आसफ अली रोड (किशनगढ़ गांव को घेरते हुए) तक।
- (ii) अरुणा आसफ अली मार्ग से बाबा गंग नाथ मार्ग होते हुए एनएच 148ई तक
- (iii) एनएच 148ई से न्यू राव तुला राम मार्ग तक पालम फ्लाईओवर होते हुए।
- (iv) राव तुला राम मार्ग से एनएच-48 तक।
- (v) एनएच-48 से हरियाणा सीमा तक, हरियाणा सीमा की सीमा के साथ आचार्य श्री तुलसी मार्ग तक छतरपुर मेट्रो पार्क तक।
- (vi) छतरपुर मेट्रो पार्क से अब्दुल गफ्फार खान मार्ग/वसंत कुंज रोड से अरुणा आसफ अली रोड तक।

(20) सफदरजंग अग्निशमन केन्द्र: सफदरजंग अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:

- (i) रेस कोर्स से सम्राट होटल के सामने, कमाल अतातुर्क मार्ग रोड (नाली तक) से सफदरजंग रोड, अकबर रोड, राजाजी मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग के चौराहे तक, अकबर रोड होते हुए कृष्णा मेनन मार्ग के चौराहे तक, तीस जनवरी मार्ग होते हुए जनपथ और औरंगजेब रोड के चौराहे तक, औरंगजेब रोड होते हुए ताज मानसिंह चौराहे तक, हुमायूँ रोड होते हुए सुब्रमण्यम भारती मार्ग के चौराहे तक, सुब्रमण्यम भारती मार्ग होते हुए आर्कबिशप मार्ग के चौराहे तक, आर्कबिशप मार्ग होते हुए लोधी रोड चौराहे तक।
- (ii) लोधी रोड क्रॉसिंग से लेकर लोधी रोड और लाला लाजपत राय रोड के चौराहे तक।
- (iii) लोधी रोड फ्लाईओवर से मूलचंद क्रॉसिंग तक, लाला लाजपत राय रोड (बीआरटी) होते हुए और जोसेफ ब्रिज टीटो मार्ग होते हुए सिरी फोर्ट क्रॉसिंग तक।
- (iv) बीआरटी क्रॉसिंग/सिरी फोर्ट रोड से होते हुए सिरी फोर्ट रोड के रास्ते अगस्त क्रांति मार्ग क्रॉसिंग तक।
- (v) बलबीर सक्सेना मार्ग से अरबिंदो मार्ग होते हुए ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन तक।
- (vi) हुकुम चंद मार्ग से चौ. झंडू सिंह मार्ग/नौरोजी नगर मार्ग।
- (vii) झंडू सिंह मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू रोड के चौराहे से लेकर रिंग रोड और अफ्रीका एवेन्यू के चौराहे तक।
- (viii) अफ्रीका एवेन्यू रोड से रेलवे लाइन तक, होशियार सिंह होते हुए दोनों ओर।
- (ix) रेलवे लाइन, सफदरजंग रोड और नाले से घिरा क्षेत्र जिसमें सफदरजंग का मकबरा, गोल्फ कोर्स आदि सम्मिलित हैं, विनय मार्ग को छोड़कर।

(21) मथुरा रोड अग्निशमन केन्द्र: मथुरा रोड अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:

- (i) मथुरा रोड, लाला लाजपत राय रोड और डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग जंक्शन से लाला लाजपत राय रोड होते हुए रिंग रोड पर मूलचंद क्रॉसिंग से कालका देवी मार्ग होते हुए कैप्टन गौर मार्ग क्रॉसिंग तक, मोदी आटा मिल क्रॉसिंग से रेलवे लाइन तक।
- (ii) महात्मा गांधी फ्लाईओवर/मुद्रिका मार्ग तक रेलवे लाइन की सीमा के साथ-साथ।
- (iii) महात्मा गांधी फ्लाईओवर/मुद्रिका मार्ग से डीएनडी फ्लाईओवर तक यमुना नदी तक।
- (iv) यमुना नदी की सीमा के साथ-साथ निजामुद्दीन पुल तक
- (v) निजामुद्दीन पुल से महात्मा गांधी रोड होते हुए भारत स्काउट्स एंड गाइड्स मार्ग (रेलवे लाइन पार करते हुए)।
- (vi) भारत स्काउट्स एंड गाइड्स मार्ग से सब्ज़ बुर्ज सर्कल होते हुए लोधी रोड और फिर लाला लाजपत राय रोड तक।

(22) भीकाजी कामा प्लेस अग्निशमन केन्द्र: भीकाजी कामा प्लेस अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा:

- (i) रिंग रोड और अफ्रीका एवेन्यू रोड के चौराहे से चौधरी झंडू सिंह रोड होते हुए ग्रीन पार्क एक्सटेंशन रोड की ओर मोहिंदर अस्पताल तक, अरबिंदो मार्ग चौराहे से अधचिनी होते हुए छतरपुर मेट्रो पार्क तक।
- (ii) छतरपुर मेट्रो पार्क से अब्दुल गप्फार खान मार्ग/वसंत कुंज रोड से अरुणा आसफ अली रोड तक।
- (iii) अरुणा आसफ अली रोड से बाबा गंगा नाथ मार्ग और वेदांत देसिका मंदिर मार्ग के चौराहे तक।
- (iv) बाबा गंगा नाथ मार्ग से नेल्सन मंडेला मार्ग होते हुए न्यू राव तुला राम मार्ग पर स्थित पालम फ्लाईओवर तक।
- (v) न्यू राव तुला राम और राव तुला राम मार्ग के जंक्शन से राव तुला राम मार्ग पर स्थित शांतिपथ क्रॉसिंग तक।
- (vi) राव तुला राम मार्ग पर स्थित शांतिपथ क्रॉसिंग से लेकर रिंग रोड और अफ्रीका एवेन्यू रोड के चौराहे तक।

(23) चाणक्यपुरी अग्निशमन केन्द्र: चाणक्यपुरी अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:

- (i) दाईं ओर सम्राट होटल, अशोक होटल, विनय मार्ग होते हुए दोनों ओर रेलवे लाइन तक, यशवंत प्लेस होते हुए, सत्य मार्ग से नीति मार्ग होते हुए शांति पथ पर चौराहे तक, शांतिपथ होते हुए दोनों ओर रिंग रोड तक।
- (ii) राव तुला राम मार्ग के दाहिनी ओर से रिंग रोड और शांतिपथ पार करते हुए आउटर रिंग रोड क्रॉसिंग (वेस्ट एंड कॉलोनी) तक, राव तुला राम मार्ग के माध्यम से एनएच-48 तक, हवाई अड्डे सहित यूईआर-II तक।
- (iii) सम्राट होटल के बाईं ओर के क्षेत्र से, कौटिल्य मार्ग होते हुए, तीन मूर्ति मार्ग होते हुए, साउथ एवेन्यू होते हुए, दलहौजी रोड होते हुए, मोतीलाल नेहरू रोड होते हुए, कृष्णा मेनन मार्ग होते हुए, अकबर रोड (कृष्णा मेनन लेन) के पीछे से, राजाजी मार्ग होते हुए तीन मूर्ति मार्ग तक, तीन मूर्ति लेन के चौराहे से कमल अतातुर्क रोड के चौराहे तक।
- (iv) तीन मूर्ति जंक्शन वाया विलिंगटन क्रिसेंट 11 (ग्यारह) मूर्ति तक, 11 मूर्ति से मुद्रिका मार्ग/महात्मा गांधी रोड से मौड रोड तक थिमया मार्ग और करियाप्पा मार्ग के क्रॉसिंग तक।
- (v) करियाप्पा मार्ग क्रॉसिंग से शहीद भगत सिंह रोड होते हुए रेलवे लाइन क्रॉसिंग तक।
- (vi) रेलवे लाइन के साथ-साथ यूईआर-II से एनएच-48 तक।

(24) नरेला अग्रिशमन केन्द्र: नरेला अग्रिशमन केन्द्र की सीमाएँ और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरे क्षेत्र होंगे:

- (i) पश्चिमी यमुना नहर के उत्तर पूर्व की ओर घोघा, लामपुर बॉर्डर, बाकनेर नरेला सिंगोला, सिंधु बॉर्डर, ताजपुर कला, बख्तावर पुर, झिंगोला से लेकर यमुना नदी - इब्राहिम पुर - नंगली पूना जीटी रोड तक।

(25) डीएसआईडीसी भोरगढ़ अग्रिशमन केंद्र: डीएसआईडीसी भोरगढ़ अग्रिशमन केंद्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा:

- (i) पश्चिमी यमुना नहर का उत्तर पूर्वी भाग जिसमें औद्योगिक क्षेत्र भोरगढ़, टिकरी खुर्द शाहपुर गढ़ी, अलीपुर होलंबी कला, होलंबी खुर्द और सनोट सम्मिलित हैं।
- (ii) पश्चिमी यमुना नहर से एनएच-44 होते हुए बावना-नरेला रोड से यूईआर-II होते हुए एनएच-44 (जीटी रोड) तक।

(26) बावना अग्रिशमन केन्द्र: बावना अग्रिशमन केन्द्र की सीमाएँ और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरे क्षेत्र होंगे:

- (i) घेवरा रेलवे क्रॉसिंग (पश्चिम की ओर) जिसमें रशीद पुर, निज़ाम पुर, गढ़ीरनहोला, टोनलीटाइटसर, पंजाब खोर, कुतुबगढ़, मुंगेशपुर, औचंदीपुर, हरेवली, दरिया पुर कलां बवाना - नरेला घेवरा रोड - चांदपुर - कंझावला - घेवरा क्रॉसिंग सम्मिलित हैं।

(27) डीएसआईडीसी बावना अग्रिशमन केन्द्र : डीएसआईडीसी बावना अग्रिशमन केन्द्र की सीमाएँ और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होंगे:

- (i) यूईआर-II और बादली-बावना रोड के जंक्शन से रोहिणी हेलीपोर्ट तक नरेला-घेवरा रोड तक।
- (ii) नरेला-घेवरा रोड से लेकर पश्चिमी यमुना नहर तक, जिसमें सुल्तानपुर डबास और ईश्वर कॉलोनी सम्मिलित हैं।
- (iii) पश्चिमी यमुना नहर के साथ-साथ यूईआर-II तक

(28) रूप नगर अग्रिशमन केन्द्र: रूप नगर अग्रिशमन केन्द्र की सीमाएँ और विस्तार निम्न क्षेत्रों से घिरे होंगे:

- (i) जंक्शन (एनएच1 और बुराड़ी संत नगर) - संत नगर बुराड़ी रोड (पूर्वी तरफ) जगतपुर, मिलन विहार यमुना नदी तक ।

(ii) बर्फ खाना - पुल बंगश - रोशनारा रोड - रेलवे ट्रैक के पूर्व तक का क्षेत्र - दिलखुश औद्योगिक क्षेत्र एनएच-1 पर जंक्शन तक और बुराड़ी परिवहन प्राधिकरण जिसमें संपूर्ण दिल्ली विश्वविद्यालय मॉडल टाउन शक्ति नगर आदि सम्मिलित हैं।

(29) संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर अग्निशमन केन्द्र: संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा:

- (i) शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक (मुकरबा चौक) से आउटर रिंग रोड पर रेलवे क्रॉसिंग तक।
- (ii) रेलवे लाइन की सीमा के साथ-साथ होलंबी गांव पार्क से होते हुए बुधपुर-अलीपुर रोड के रास्ते अलीपुर चौक तक।
- (iii) अलीपुर चौक से बुधपुर-नरेला रोड से नंगली इब्राहिम रोड से नाथूपुरा की ओर स्वरूप नगर रोड तक।
- (iv) स्वरूप नगर रोड से गुरुद्वारा रोड होते हुए भलस्वा गोल्फ कोर्स तक बाहरी रिंग रोड पर स्थित क्षेत्र, जिसमें एमसीडी डंप, भलस्वा डेयरी और स्वरूप नगर सम्मिलित हैं।
- (v) बाहरी रिंग रोड से शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक (मुकरबा चौक) तक।

(30) जहांगीर पुरी अग्निशमन केन्द्र: जहांगीर पुरी अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:

- (i) मुकरबा चौक पर बाहरी रिंग रोड और रेलवे लाइन के क्रॉसिंग से भलस्वा झील के पास गुरुद्वारा रोड तक और फिर गुरुद्वारा रोड और स्वरूप नगर रोड के क्रॉसिंग तक का मार्ग।
- (ii) स्वरूप नगर रोड से स्वरूप नगर और डॉ. विनोद कुमार सिंह मार्ग के जंक्शन तक बुराड़ी रोड होते हुए मंगत राम मार्ग तक।
- (iii) मंगत राम मार्ग से प्रदीप विहार, सुलेमान माजरा बुराड़ी, बदरपुर माजरा सहित यमुना नदी तक।
- (iv) यमुना के उस पार से लेकर खानपुर त्यागी सहित सीमा तक का पूरा क्षेत्र।
- (v) यमुना नदी की सीमा के साथ-साथ संत नगर मार्ग से संत नगर तक।
- (vi) संत नगर से बाहरी रिंग रोड होते हुए मुकुंदपुर फ्लाईओवर और फिर अरिहंत मार्ग होते हुए आजादपुर फ्लाईओवर तक।
- (vii) आजादपुर फ्लाईओवर पर रेलवे लाइन क्रॉसिंग से लेकर बाहरी रिंग रोड रेलवे लाइन क्रॉसिंग तक।

(31) रोहिणी सेक्टर-16 अग्निशमन केन्द्र: रोहिणी सेक्टर-16 अग्निशमन केन्द्र की सीमाएँ और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरे क्षेत्र होंगे:

- (i) मधुबन चौक से रोहिणी हेलीपोर्ट तक।
- (ii) रोहिणी हेलीपोर्ट से यूईआर-II होते हुए रेलवे लाइन क्रॉसिंग तक।
- (iii) रेलवे लाइन के साथ-साथ बाहरी रिंग रोड और रेलवे लाइन के चौराहे से मधुबन चौक तक।
- (iv) इसमें सेक्टर-10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36 और बादली औद्योगिक क्षेत्र, डीसीई रेलवे लाइन तक (पश्चिम की ओर) सम्मिलित हैं।

(32) रोहिणी सेक्टर-5 अग्निशमन केन्द्र: रोहिणी सेक्टर-5 अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:

- (i) मधुबन चौक से भगवान महावीर मार्ग होते हुए रोहिणी हेलीपोर्ट तक जंक्शन।

- (ii) रोहिणी हेलीपोर्ट से कंझावला औद्योगिक क्षेत्र तक, नरेला रोड होते हुए घेवरा रेलवे स्टेशन तक और फिर रेलवे लाइन के साथ-साथ नजफगढ़ नाले तक।
- (iii) नजफगढ़ नाले और कंझावला रोड के चौराहे से पुलिस लाइन होते हुए मधुबन चौक तक।

(33) मंगोलपुरी अग्निशमन केन्द्र: मंगोलपुरी अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:

- (i) पुलिस लाइन बजाज चौक के पास आउटर रिंग रोड पर बुध विहार मार्ग होते हुए जंक्शन क. नजफगढ़ नाले (बुध विहार नाले) तक और रेलवे लाइन तक के नाले के साथ-साथ।
- (ii) रेलवे लाइन से मंगोलपुरी रेलवे स्टेशन होते हुए बाहरी रिंग रोड तक।
- (iii) बाहरी रिंग रोड से पुलिस लाइन जंक्शन तक।

(34) रोहिणी सेक्टर 41: रोहिणी सेक्टर 41 अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:

- (i) नरेला रोड होते हुए दादा दुराली रोड तक जाने वाली घेवरा रेलवे लाइन बावाना की ओर जाती है।
- (ii) दादा दुराली रोड से यूईआरआईआई से भगवान महावीर मार्ग जंक्शन से कंझावला यूईआरआईआई जंक्शन तक।
- (iii) कंझावला रोड जंक्शन से नजफगढ़ ड्रेन
- (iv) घेवरा रेलवे लाइन से नजफगढ़ नाले तक रेलवे लाइन के माध्यम से।

(35) नेताजी सुभाष पैलेस: नेताजी सुभाष पैलेस अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:

- (i) एमजी मार्ग और वजीरपुर फ्लाईओवर जंक्शन से रोड नंबर 44 तक और लाला जगताराम रोड जंक्शन से रोड नंबर 44 तक और कबीरदास मार्ग जंक्शन वाया रोड नंबर 44 ।
- (ii) कबीरदास मार्ग से अब्दुल हमीद मार्ग और कबीरदास मार्ग जंक्शन से अब्दुल हमीद मार्ग होते हुए एशिया राजमार्ग तक।
- (iii) एशियाराज मार्ग से एमजी मार्ग और वजीरपुर फ्लाईओवर जंक्शन तक।

(36) उद्योग नगर अग्निशमन केंद्र: उद्योग नगर अग्निशमन केंद्र की सीमाएँ और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरे होंगे:

- (i) नांगलोई चौक बाजार (रोहतक रोड पर) से नांगलोई अंडरपास तक।
- (ii) नांगलोई अंडरपास से रोहतक रेलवे लाइन की ओर (पीरागढ़ी चौक फ्लाईओवर की ओर)
- (iii) पीरागढ़ी फ्लाईओवर से पीरागढ़ी चौक तक
- (iv) पीरागढ़ी चौक से नांगलोई चौक बाजार तक।

(37) केशव पुरम अग्निशमन केन्द्र: केशव पुरम अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:

- (i) पीतमपुरा पुलिस लाइन और बाहरी रिंग रोड के जंक्शन से) बाहरी रिंग रोड होते हुए हैदरपुर नहर (पश्चिमी यमुना नहर) तक।
- (ii) प्रेमबाड़ी होते हुए पश्चिमी यमुना नहर के साथ-साथ इन्द्रलोक मेट्रो स्टेशन तक, स्वामी नारायण मार्ग से शास्त्री नगर वैष्णो मंदिर तक, (काली दास मार्ग और स्वामी नारायण मार्ग) के चौराहे तक, सराय रोहिल्ला पुल से ज़खीरा रेलवे क्रॉसिंग तक, फिर रेलवे लाइन के साथ-साथ (उत्तर की ओर शकूर बस्ती तक)।
- (iii) शकूरबस्ती से बाहरी रिंग रोड पुलिस लाइन पीतम पुरा चौक वाया गुरु हरिकिशन।

(38) वज़ीरपुर अग्निशमन केन्द्र: वज़ीरपुर अग्निशमन केन्द्र की सीमाएँ और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरे क्षेत्र होंगे:

- (i) रेलवे ट्रैक के पश्चिम में – नजफगढ़ नाले के उत्तर में – रिंग रोड के दक्षिण में – यमुना नहर के पश्चिम में (पूर्वी तरफ) स्थित हैदरपुर शालीमार गांव
- (ii) केला गोदाम रिंग रोड, वज़ीरपुर औद्योगिक क्षेत्र - अशोक विहार - सत्यवती
- (iii) कॉलेज – स्वार्म पार्क – लक्ष्मी बाई कॉलेज – शक्ति नगर एक्सटेंशन।

(39) पीवीसी मार्केट टिकरी कलां अग्निशमन केन्द्र: पीवीसी मार्केट टिकरी कलां अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:

- (i) घेवरा रेलवे स्टेशन से मुंडका गांव तक,
- (ii) फिरनी रोड से नीलवालफिरनी रोड से बहादुरगढ़ बॉर्डर।

(40) ज्वालापुरी अग्निशमन केन्द्र: ज्वालापुरी अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:

- (i) रान्होला गांव की सड़क से फिरनी रोड की ओर
- (ii) निलोठी गांव से फिरनी रोड,
- (iii) सैय्यद नांगलोई से केशोपुर नाला ड्रेन (बाहरी रिंग रोड)
- (iv) बाहरी रिंग रोड से पीरागढ़ी तक, रोहतक रेलवे लाइन से घेवरा रेलवे स्टेशन तक
- (v) घेवरा रेलवे स्टेशन से मदनपुर नाले के किनारे-किनारे नीलवाल गांव तक।

(41) पश्चिम विहार अग्निशमन केन्द्र: पश्चिम विहार अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:

- (i) आयुध डिपो और भारती विद्यापीठ के जंक्शन से बाबा राम देव मार्ग (रघुबीर नगर मार्ग) होते हुए रघुबीर नगर नाले के पुल तक और फिर नाले के साथ-साथ ।
क. पंजाबी बाग रिंग रोड तक
- (ii) पंजाबी बाग रिंग रोड से रेलवे लाइन सकुर बस्ती तक वाया रोहतक रोड से आयुध डिपो और भारतीय विद्या पीठ जंक्शन तक।

(42) ज्वाला हेड़ी अग्निशमन केन्द्र: ज्वाला हेड़ी अग्निशमन केन्द्र की सीमाएँ और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरे क्षेत्र होंगे:

- (i) आयुध डिपो और भारती विद्यापीठ के जंक्शन से लेकर पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास रेलवे लाइन और बाहरी रिंग रोड के जंक्शन तक, रोहतक रोड और न्यू मुल्ता नगर होते हुए।
- (ii) रोहतक रोड से नजफगढ़ नाले तक।
- (iii) सैयद गांव, भेरा एन्क्लेव से लेकर विकासपुरी फ्लाईओवर तक नजफगढ़ नाले के किनारे का क्षेत्र।
- (iv) विकासपुरी फ्लाईओवर से बाबा रामदेव मार्ग से भारती विद्यापीठ तक।

(43) मोती नगर अग्निशमन केन्द्र: मोती नगर अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा:

- (i) (ट्रांसपोर्ट सेंटर पंजाबी बाग और रिंग रोड पर रेलवे लाइन का जंक्शन) रिंग रोड होते हुए ईएसआई अस्पताल के पीछे नाले तक, साथ ही रघुबीर नगर से होते हुए चौकंडी, ख्याला तक नजफगढ़ रोड होते हुए मोती नगर जंक्शन (मोती नगर फायर स्टेशन) तक।
- (ii) मोती नगर जंक्शन से पटेल रोड होते हुए रेलवे लाइन, शादीपुर डिपो से रोहतक रोड पर स्थित ट्रांसपोर्ट सेंटर जंक्शन तक। पंजाबी बाग जिसमें डीएलएफ औद्योगिक क्षेत्र सम्मिलित है।

(44) कीर्ति नगर अग्निशमन केन्द्र: कीर्ति नगर अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:

- (i) जंक्शन फन सिनेमा, नटराज रोड होते हुए रामा रोड पर जंक्शन तक, कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन तक, रेलवे लाइन तक और रेलवे लाइन के साथ-साथ रिंग रोड तक, मायापुरी फ्लाईओवर तक, रिंग रोड तक, राजा गार्डन और शिवाजी मार्ग क्रॉसिंग तक।
- (ii) जंक्शन शिवाजी मार्ग से नटराज क्रॉसिंग तक।

(45) प्रशिक्षण केंद्र/कार्यशाला अग्निशमन केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र/कार्यशाला अग्निशमन केंद्र का कोई परिचालन क्षेत्राधिकार/सीमा नहीं होगी और तैनात विशेष अग्निशमन उपकरण और यंत्र मांग पर किसी भी क्षेत्र में उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे।

(46) नजफगढ़ अग्निशमन केन्द्र: नजफगढ़ अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:

- (i) ककरोला ड्रेन (नाला) ढांसा बादली (हरियाणा बॉर्डर) रोड तक, नजफगढ़ ढांसा रोड के दाहिनी ओर जिसमें इस्सापुर गांव, बक्करगढ़ गांव, मुंढेला कलां गांव, मुंढेला खुर्द, मित्राऊं, मित्राऊं वन, सुरखपुर, नवीन पैलेस, झड़ौदा कलां, दिचाऊं कलां सम्मिलित हैं।
- (ii) हरियाणा की सीमा के साथ बहादुरगढ़ की ओर मुंगेशपुर ड्रेन तक बीएल भारद्वाज चैरिटेबल हॉस्पिटल रोड से बैरागी रोड से नजफगढ़ रोड (ककरोला ड्रेन) तक।
- (iii) काकरोला नाले के पश्चिमी तट के साथ-साथ हरियाणा सीमा तक - हरियाणा सीमा की सीमा के साथ-साथ घुमनहेड़ा पुल तक।
- (iv) घुमनहेड़ा पुल से शहीद राव लक्ष्मी चंद मार्ग तक कुतुब विहार, छावला, कंगनहेड़ी, नानाखेड़ी, झटीकरा, शिकारपुर, घुमनहेड़ा, असालतपुर, पंडवाला कलां, खरखड़ी नाहर, दीनपुर, गोयला मोड़, गोयला डेयरी वाले फिरनी रोड पर मित्रा होते हुए मित्राऊं स्कूल तक।

(47) जनक पुरी अग्निशमन केन्द्र: जनक पुरी अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा:

- (i) तिलक नगर पुलिस स्टेशन और शिवाजी मार्ग के जंक्शन से चौखंडी रोड होते हुए केशवपुर डिपो तक और फिर नाले के किनारे-किनारे काकरोला मोड़ तक।
- (ii) जंक्शन काकरोला मोड़ से शिवाजी मार्ग तक रेलवे लाइन से लाल नंबर 201 से होते हुए सागरपुर पालम रोड तक और फिर सागरपुर पालम रोड से नांगलराय तक जेल रोड से तिलक नगर चौक तक पुलिस थाना तिलक नगर से शिवाजी मार्ग तक।

(48) हरि नगर अग्निशमन केन्द्र: हरि नगर अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:

- (i) नजफगढ़ रोड और रिंग रोड का चौराहा – रिंग रोड (पश्चिम दिशा) – रेलवे ट्रैक और रिंग रोड का चौराहा – रेलवे ट्रैक के उत्तर की ओर का क्षेत्र जेल रोड के चौराहे तक – जेल रोड – नजफगढ़ रोड और रिंग रोड का चौराहा जिसमें राजौरी गार्डन, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र फेस – I और फेस – II, खजान बस्ती, डीटीसी कॉलोनी, अशोक नगर, तिहाड़ गांव, अशोक नगर आदि सम्मिलित हैं।

(49) द्वारका अग्निशमन सेक्टर-6 अग्निशमन केन्द्र: द्वारका अग्निशमन सेक्टर-6 अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा:

- (i) (काकरोला मोड़ और आज़ाद हिंद रोड और शिवाजी मार्ग) के जंक्शन से शिवाजी मार्ग होते हुए नजफगढ़ नाले तक नाले के पूर्वी किनारे के साथ-साथ काकरोला गांव सेक्टर 16बी, 16सी, 16डी, 24, धुल सिरास से होते हुए यूईआर-II तक।
- (ii) भरथल अंडरपास तक यूईआर-II (रेलवे लाइन और यूईआर-II का जंक्शन)
- (iii) रेलवे लाइन की सीमा के साथ-साथ पालम की ओर द्वारका रोड तक।
- (iv) भरथल अंडरपास (रेलवे लाइन और यूईआर-II का क्रॉसिंग) से सेक्टर 21, राज नगर से गुजरने वाली रेलवे लाइन के साथ-साथ रोड नंबर 201 (पालम नजफगढ़) तक, पालम नजफगढ़ रोड के माध्यम से रेलवे ट्रैक के पश्चिम की ओर के क्षेत्र को कवर करते हुए काकरोला मोड़ जंक्शन (नाला) नाले तक।

(50) यशोभूमि अग्निशमन केन्द्र : यशोभूमि अग्निशमन केन्द्र की सीमाएँ और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरे क्षेत्र होंगे:

- (i) यूईआर-II से, जो नाले के पूर्वी किनारे पर स्थित है, भरथल अंडरपास होते हुए एनएच-48 तक।
- (ii) हरियाणा-गुड़गांव बोर्डर की ओर एनएच-48 से बोर्डर तक।
- (iii) द्वारका एक्सप्रेसवे से लेकर ड्रेन तक हरियाणा बोर्डर की सीमा के साथ-साथ।
- (iv) ड्रेन के पूर्वी किनारे के साथ-साथ नजफगढ़-कापसहेड़ा रोड को पार करते हुए यूईआर-II तक, जिसमें भरथल, द्वारका सेक्टर-29,28,25, यशोभूमि, बिजवासन, पालम फार्म, सालापुर खेड़ा गांव, समालका, कापसहेड़ा एस्टेट सम्मिलित हैं।

(51) शंकर रोड अग्निशमन केन्द्र: शंकर रोड अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा:

- (i) नारायणा रोड और पटेल रोड का चौराहा, पटेल रोड के दाहिनी ओर से सिद्धार्थ होटल तक, पूसा रोड के दाहिनी ओर से दयाल चौक तक।
- (ii) दयाल चौक से रिज रोड होते हुए वंदे मातरम चौक तक, शंकर रोड होते हुए मंदिर मार्ग और पार्क स्ट्रीट (तालकटोरा स्टेडियम) के जंक्शन तक, रिज रोड।
- (iii) वंदे मातरम चौक से साइमन बोलिवर मार्ग क्रॉसिंग तक, रिज रोड होते हुए रिज रोड क्षेत्र के दोनों ओर (पूरा रिज क्षेत्र) लिंक रोड होते हुए दशधरा तक।

(52) प्रसाद नगर अग्निशमन केन्द्र: प्रसाद नगर अग्निशमन केन्द्र की सीमा और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:

- (i) शादीपुर डिपो से डीएमएस के पीछे रेलवे लाइन तक, पटेल नगर रेलवे स्टेशन, प्रेम नगर, नेहरू नगर होते हुए न्यू रोहतक रोड तक, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, गुरु गोविंद सिंह मार्ग होते हुए लिबर्टी सिनेमा तक, गुरु रवि दास मार्ग होते हुए डीबी गुप्ता रोड (खालसा कॉलेज चौक) के चौराहे तक।
- (ii) खालसा कॉलेज चौक से डीबी गुप्ता रोड होते हुए पुलिस स्टेशन करोल बाग तक।
- (iii) पुलिस स्टेशन करोल बाग से अजमल खान रोड होते हुए करोल बाग मेट्रो स्टेशन क्षेत्र तक, दाहिनी ओर

(iv) सभी डब्ल्यूईए क्षेत्र

(v) करोल बाग मेट्रो स्टेशन से पूसा रोड और पटेल रोड क्षेत्र (दाहिनी ओर) होते हुए शादीपुर डिपो तक

(53) नारायणा अग्निशमन केन्द्र: नारायणा अग्निशमन केन्द्र की सीमाएँ और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरे क्षेत्र होंगे:

(i) ब्रार स्कायर से रिंग रोड (एमजी रोड) होते हुए दोनों ओर रेलवे लाइन फ्लाईओवर तक

(ii) रिंग रोड और नारायणा रोड के टी पॉइंट से नारायणा रोड होते हुए पटेल रोड क्रॉसिंग से होते हुए शादीपुर रेलवे फ्लाईओवर की ओर रेलवे लाइन तक।

(iii) नारायणा रोड और देव प्रकाश शास्त्री मार्ग (टोडापुर रोड) के टी पॉइंट से दाईं ओर दशघरा क्षेत्र तक।

(54) खेड़ा डाबर/जाफरपुर अग्निशमन केन्द्र: खेड़ा डाबर/जाफरपुर अग्निशमन केन्द्र की सीमाएँ और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्र से घिरे होंगे:

(i) मित्राऊं स्कूल बस स्टैंड से नजफगढ़ ढांसा रोड पर हरियाणा सीमा तक।

(ii) हरियाणा बोर्डर के साथ ढांसा बांध नजफगढ़ तक साहिबी नदी के पश्चिमी तट तक जिसमें रावता, दौराला, दौराला गांव, गालिबपुर, झुलझुली, सारंगपुर, ढांसा, काजीपुर, दरियापुर खुर्द गांव, जाफरपुर कलां, खेड़ा डाबर, उजवा सम्मिलित हैं।

(iii) घुमनहेड़ा पुल से शहीद राव लक्ष्मी चंद मार्ग से मित्राऊं फिरनी रोड होते हुए मित्राऊं स्कूल तक।

(55) मुख्यालय अग्निशमन केंद्र: मुख्यालय अग्निशमन केंद्र का कोई परिचालन क्षेत्राधिकार/सीमा नहीं होगी और केवल तैनात विशेष अग्निशमन उपकरण और उपकरण मांग पर किसी भी क्षेत्र में उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे।

(56) सिविक सेंटर अग्निशमन केन्द्र -

(i) दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन से आईटीओ चौक होते हुए पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, फिर मिंटो रोड जंक्शन, फिर आसिफ अली रोड, गोलचक्कर होते हुए दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन तक।

(57) दिल्ली सचिवालय अग्निशमन केंद्र- दिल्ली सचिवालय अग्निशमन केंद्र की सीमाएँ और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होंगे:

(i) दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन से जवाहर लाल नेहरू मार्ग से सत्याग्रह मार्ग से यमुना विहार बैंक तक।

(ii) यमुना बैंक वाया विकास मार्ग से आईटीओ मेट्रो स्टेशन वाया बहादुर शाह जफर मार्ग से दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन तक।

(58) कनॉट सर्कस अग्निशमन केन्द्र: कनॉट सर्कस अग्निशमन केन्द्र की सीमाएँ और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरे क्षेत्र होंगे:

(i) गांधी संग्रहालय रिंग रोड पर जंक्शन - पश्चिमी क्षेत्र - आईटीओ - निजामुद्दीन पुल पर क्रॉसिंग - सराय काले खां के उत्तर में - आईपी पार्क से लेकर रेलवे ट्रैक तक - भैरों मार्ग - मथुरा रोड पर क्रॉसिंग - मथुरा रोड - सुंदर नगर - ओबेरॉय होटल - दिल्ली गोल्फ कोर्स - डॉ. सुब्रमण्यम भारती मार्ग - हुमायूं रोड (उत्तरी क्षेत्र) - मान सिंह रोड - मौलाना आजाद रोड -

- (ii) जनपथ – विंडसर प्लेस – पटेल चौक (पूर्वी दिशा) गुरुद्वारा बंगला साहिब – काली बाड़ी मार्ग – मंदिर मार्ग – रिज रोड दयाल चौक की ओर – पंचकुइयां रोड – चित्रगुप्त रोड – डीबी गुप्ता रोड (दक्षिणी दिशा) – पहाड़गंज चौक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर – अजमेरी गेट रोड – आसफ अली रोड – दिल्ली गेट – गांधी संग्रहालय के पास का जंक्शन, जिसमें सभी क्षेत्र सम्मिलित हैं।

(59) रकाबगंज अग्निशमन केन्द्र: रकाबगंज अग्निशमन केन्द्र की सीमाएँ और विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों से घिरा होगा:

- (i) आरएमएल क्रॉसिंग – 11 (ग्यारह) मूर्ति वाया विलिंग डॉन क्रिसेंट एरिया दोनों ओर तालकटोरा स्टेडियम – एसपीएम स्टेडियम – (पार्क स्ट्रीट, शंकर रोड, मंदिर मार्ग) का जंक्शन – काली बाड़ी क्रॉसिंग – काली बाड़ी रोड – गोल डाकखाना – पटेल चौक – विंडसर प्लेस जंक्शन वाया जनपथ यूपी मौलाना आजाद रोड क्रॉसिंग – अकबर रोड / मानसिंह रोड का जंक्शन – मानसिंह रोड होते हुए – ताज मानसिंह होटल – मोतीलाल नेहरू मार्ग – जंक्शन (उद्योग भवन / वायु सेना मुख्यालय) – विजय चौक – रेल भवन जंक्शन वाया रेड क्रॉस रोड – पार्लियामेंट स्ट्रीट – एयर लाइन – गुरुद्वारा रकाबगंज – नॉर्थ ब्लॉक – रकाबगंज पर जंक्शन – चर्च रोड होते हुए – नॉर्थ एवेन्यू – आरएमएल क्रॉसिंग।

(60) रानी झांसी रोड अग्निशमन केंद्र: रानी झांसी रोड अग्निशमन केन्द्र की सीमाएँ और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा:

- (i) जंक्शन आज़ाद मार्केट (पश्चिम क्षेत्र की ओर) – चौक नई बस्ती – पहाड़ी धीरज – महा ऋषि बाल्मीकि मार्ग (पश्चिम क्षेत्र) – ईदगाह रोड (दक्षिण क्षेत्र) – न्यू कुतुब रोड पर जंक्शन (दक्षिण क्षेत्र की ओर) – जंक्शन (चेम्सफोर्ड - डीबी गुप्ता रोड, बाबू राम सोलंकी रोड) – डीबी गुप्ता रोड (उत्तर क्षेत्र की ओर) – जंक्शन एमएम रोड वाया एम रोड – दयाल चौक – करोल बाग मेट्रो स्टेशन (उत्तर क्षेत्र की ओर) – अजमल खान रोड – आर्य समाज रोड अजमल खान रोड क्रॉसिंग – आर्य समाज रोड – जंक्शन गुरु रवि दास मार्ग / आर्य समाज रोड वाया गुरु रवि दास मार्ग – डीबी गुप्ता रोड – न्यू रोहतक रोड (उत्तर क्षेत्र की ओर) – रास बिहारी मार्ग (दक्षिण क्षेत्र की ओर) – ओल्ड रोहतक रोड – राम बाग रोड – आज़ाद मार्केट पर जंक्शन।

(61) श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग अग्निशमन केंद्र: श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग अग्निशमन केंद्र की सीमाएँ तथा विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा:

- (i) अजमेरी गेट - अजमेरी गेट रोड - लाल कुआं बाजार रोड - कटरा बैरियान रोड - फतेह पुरी चौक - चांदनी चौक रोड से नेताजी सुभाष मार्ग क्रॉसिंग तक - श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्रॉसिंग - यमुना बाजार क्रॉसिंग से यमुना तक।
(ii) जंक्शन (मजनू का टीला) - रिंग रोड - यमुना बाज़ार - यमुना नदी सहित रेलवे ट्रैक तक।
(iii) मजनू का टीला - राजपुर रोड - तीस हजारी - बर्फ़ खाना - पुल बंगश - आजाद मार्केट - लाइब्रेरी रोड - पुल मिठाई - नया बाजार - लाहौरी गेट - अजमेरी गेट (श्रदानंद मार्ग)।

(62) तेलीवाड़ा अग्निशमन केंद्र: तेलीवाड़ा अग्निशमन केंद्र की सीमाएँ तथा विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा:

- (i) पुल मिठाई जंक्शन, कुतुब रोड/आजाद मार्केट रोड - रेलवे ट्रैक के पश्चिम में न्यू कुतुब रोड क्षेत्र - ईदगाह रोड और न्यू कुतुब रोड का जंक्शन - ईदगाह रोड होते हुए - महा ऋषि बाल्मीकि मार्ग और ईदगाह रोड का जंक्शन - महर्षि बाल्मीकि मार्ग होते हुए - चौक नई बस्ती - आजाद मार्केट रोड से होते हुए आजाद मार्केट जंक्शन - पुल मिठाई जंक्शन।

(63) पाईवालन अग्निशमन केंद्र: पाईवालन अग्निशमन केंद्र की सीमाएँ और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा:

- (i) दिल्ली गेट (पश्चिम की ओर¹) – आसफ अली रोड (पीछे की ओर)
- (ii) अजमेरी गेट - हौज़ क़ाज़ी (मेट्रो स्टेशन) रोड - चावड़ी बाज़ार - नई सड़क - चांदनी चौक से नेताजी सुभाष मार्ग क्रॉसिंग तक - दिल्ली गेट

(64) दरियागंज अग्निशमन केंद्र: दरियागंज अग्निशमन केंद्र की सीमाएँ और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा:

- (i) दिल्ली गेट के पूर्वी हिस्से का क्षेत्र – रिंग रोड – यमुना तक – जिसमें सभी समाधि क्षेत्र सम्मिलित हैं – रेलवे ट्रैक तक – यमुना बाज़ार – एसपीएम रोड और नेताजी सुभाष मार्ग (मंकी ब्रिज) पर क्रॉसिंग – नेताजी सुभाष मार्ग से होते हुए दिल्ली गेट तक, जिसमें लाल किला और दरियागंज सम्मिलित हैं।

(65) टाउन हॉल अग्निशमन केंद्र: टाउन हॉल अग्निशमन केंद्र की सीमाएँ और विस्तार निम्नलिखित से घिरे क्षेत्र तक सीमित होगा:

- (i) एसपीएम मार्ग और मोरे सेराई रोड जंक्शन से एचसी सेना मार्ग होते हुए चांदनी चौक बाज़ार तक।
- (ii) चांदनी चौक बाज़ार से चांदनी चौक रोड और खारी बावली रोड जंक्शन से स्वामी विवेकानन्द मार्ग तथा खारी बावली रोड जंक्शन से रेलवे रोड तक।
- (iii) रेलवे लाइन से नया बाज़ार रोड, फिर एसपीएम मार्ग जंक्शन और फिर एसपीएम मार्ग होते हुए मोरे सेराई रोड जंक्शन तक।

(66) सर्वोच्च न्यायालय अग्निशमन केंद्र: सर्वोच्च न्यायालय अग्निशमन केंद्र की सीमाएँ और विस्तार केवल सर्वोच्च न्यायालय तक ही सीमित होंगे।

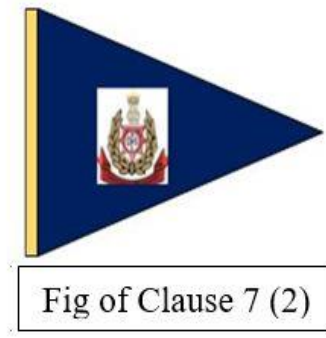
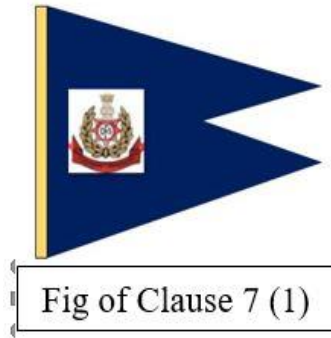
(67) उच्च न्यायालय अग्निशमन केंद्र: उच्च न्यायालय अग्निशमन केंद्र की सीमाएँ और विस्तार केवल उच्च न्यायालय तक ही सीमित होंगे।

(68) राष्ट्रपति भवन अग्निशमन केंद्र: राष्ट्रपति भवन अग्निशमन केंद्र की सीमाएँ और विस्तार केवल राष्ट्रपति भवन तक ही सीमित होंगे।

(69) एम्स अग्निशमन केंद्र: एम्स अग्निशमन केंद्र की सीमाएँ और विस्तार केवल एम्स तक ही सीमित होंगे।

(70) अग्नि सुरक्षा प्रबंधन अकादमी अग्निशमन केंद्र: अग्नि सुरक्षा प्रबंधन अकादमी अग्निशमन केंद्र का परिचालन क्षेत्राधिकार/सीमा नहीं होगी और केवल तैनात विशेष अग्निशमन उपकरण तथा उपकरण मांग पर किसी भी क्षेत्र में उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे।

33. मूल नियमों की तृतीय अनुसूची के खंड 7 में, कार के इंडों के निर्धारित चित्र जोड़े गए हैं, अर्थात्:



34. मूल नियमों की चतुर्थ अनुसूची के खंड 2 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

2. तैनाती शुल्क में वृद्धि - तैनाती शुल्क में उप-खंड (1) के अंतर्गत शुल्क प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को 5% की दर से वृद्धि की जाएगी, जो 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगी।

35. मूल नियमों की पंचम अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

पंचम अनुसूची

अग्निशमन उपकरण की तैनाती पर लगने वाला आरक्षित शुल्क
[नियम 20 के उप-नियम (1) देखें]

1. अग्निशमन सेवा की स्टैंड-बाय ड्यूटी पर तैनाती - निदेशक या उनके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, अनुरोध प्राप्त होने पर तथा उपलब्धता के अधीन, सार्वजनिक हित में सार्वजनिक कार्य के दौरान अग्निशमन उपकरणों और चालक दल की तैनाती की अनुमति दे सकता है, बशर्ते नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित शुल्क का भुगतान किया जाए:

क्र० सं०	उपकरण का प्रकार	शुल्क प्रति छह घंटे या उसके भाग के हिसाब से लिया जाएगा। [रुपये]	पंपिंग/संचालन प्रति घंटा	अन्य शुल्क [रुपये]
1	पानी का टैंडर / फोम का टैंडर/पानी का टैंकर	10,000	2,000	फोम कंसंट्रेट की खपत 50 रुपये प्रति लीटर की दर से।
2	हवाई सीढ़ी (एरिअल लैंडर)/प्लेटफॉर्म	20,000	5,000	----

2. अग्निम भुगतान के लिए आरक्षित शुल्क - उप-खंड (1) के अंतर्गत भुगतान दिल्ली अग्निशमन सेवा मुख्यालय, डीडीओ के पक्ष में दिल्ली में देय बैंक ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के माध्यम से या ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से अग्निम रूप से किया जाएगा।

3. अग्निशमन सेवा कर्मियों के लिए आवास - यदि अग्निशमन सेवा कर्मियों की तैनाती निरंतर 24 घंटे से अधिक समय तक स्टैंड-बाय ड्यूटी पर रहती है, तो अनुरोधकर्ता पक्ष अग्निशमन सेवा कर्मियों के आवास के लिए निःशुल्क आवश्यक व्यवस्था करेगा।

4. स्टैंड-बाय ड्यूटी किसी अग्निशमन अधिकारी के अधीन होगी - स्टैंड-बाय ड्यूटी किसी अधिकारी के प्रभार के अधीन होगी जो उप-अधिकारी या प्रमुख अग्निशमनकर्मी या प्रमुख अग्निशमनकर्मी/संचालक के पद से कम रैंक का न हो।

5. तैनाती शुल्क में वृद्धि - तैनाती शुल्क में उप-खंड (1) के अंतर्गत शुल्क प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को 5% की दर से वृद्धि की जाएगी, जो 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगी।

36. "मूल नियमों" की षष्ठम अनुसूची के स्थान पर सप्तम अनुसूची लागू होगी, अर्थात्:

सप्तम अनुसूची
(नियम 35 देखें)
(योग्यता एवं अनुभव)

(i) अग्नि सुरक्षा ऑडिटर द्वारा नियम 35, 36, 37 और 38 के अनुपालन के प्रयोजनार्थ, नियम 27 के अंतर्गत चिन्हित भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा ऑडिटर की निर्धारित न्यूनतम योग्यता, अनुभव तथा प्राधिकार निम्नानुसार होंगे:

तालिका-1

अग्नि सुरक्षा ऑडिटर का स्तर और प्राधिकार	योग्यता	अनुभव
(क) स्तर-1 (एल-1)- नियम 27 (3) और (4) में चिन्हित भवन या अधिवास या परिसर के लिए अधिकृत, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर से कम हो।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई. या बी.टेक (अग्नि या अग्नि सुरक्षा) की डिग्री। या (ii) किसी विश्वविद्यालय से स्नातक जिसने नागपुर के राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय से उप-अधिकारी पाठ्यक्रम या अग्निशमन अभियांत्रिकी में स्नातक (आईएफई-भारत या यूके) की उपाधि प्राप्त की हो।	अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव।
	या (ii) किसी भी विश्वविद्यालय से सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या आर्किटेक्चर में बी.ई., बी.टेक. या बी.आर्क. के साथ अग्नि एवं जीवन सुरक्षा लेखा परीक्षा में पीजी डिप्लोमा।	अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव।
(ख) स्तर-2 (एल-2) - नियम 27 में उल्लिखित सभी भवनों, परिसरों या अधिवासों के लिए अधिकृत है जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से कम है।	(i) उपर्युक्त योग्यता रखने वाला स्तर-1 का अग्नि सुरक्षा ऑडिटर।	अग्नि सुरक्षा ऑडिटर (एल-1) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव
	या (ii) बीएससी (भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित) के साथ नागपुर के राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय से उप-अधिकारी पाठ्यक्रम या फायर इंजीनियरिंग में स्नातक (आईएफई-भारत या यूके)।	अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव।

	या (ii) किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि तथा राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से स्टेशन अधिकारी पाठ्यक्रम या डिविजनल अधिकारी पाठ्यक्रम सहित या फायर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएटशिप (आई.एफ.ई. -भारत या यूके)।	अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के संबंधित क्षेत्र में 4 वर्ष का अनुभव।
	या (ii) किसी भी विश्वविद्यालय से सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या आर्किटेक्चर में बी.ई., बी.टेक. या बी.आर्क. के साथ अग्नि एवं जीवन सुरक्षा लेखा परीक्षा में पीजी डिप्लोमा।	अग्नि सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव, जिसमें अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के डिजाइन, योजना, स्थापना या रखरखाव सम्मिलित है।
(ग) स्तर-3 (एल-3)-नियम 27 में उल्लिखित सभी भवनों, परिसरों या अधिवासों के लिए अधिकृत है।	(i) उपर्युक्त योग्यता रखने वाला स्तर-2 का अग्नि सुरक्षा ऑडिटर।	अग्नि सुरक्षा ऑडिटर (एल-2) के रूप में 5 वर्ष का अनुभव
	या (ii) बी.ई. या बी.टेक (अग्नि या अग्नि सुरक्षा)। या (iii) बीएससी (भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित) के साथ डिविजनल अधिकारी पाठ्यक्रम (एनएफएससी)। या (iv) किसी विश्वविद्यालय से स्नातक तथा आई अफ ई (यू के) की मैम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण।	अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के संबंधित क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव।

पंजीकरण, पैनल में सम्मिलित होना, क्षतिपूर्ति तथा जुर्माना

(i) इन नियमों के प्रयोजनार्थ अग्नि सुरक्षा ऑडिटर, तालिका-1 में यथा निर्धारित अपेक्षित योग्यता तथा अनुभव रखने वाला व्यक्ति, प्रथम अनुसूची के प्रपत्र 'U' पर आवेदन करके दिल्ली अग्निशमन सेवा के पोर्टल पर अपना पंजीकरण और सूचीबद्ध कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगा।

(ii) अग्नि सुरक्षा ऑडिटर का पंजीकरण और पैनल में सम्मिलित होना दिल्ली अग्निशमन सेवा में उनके पंजीकरण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जब तक कि निदेशक द्वारा अग्नि सुरक्षा ऑडिटर को ब्लैकलिस्ट न कर दिया जाए तथा पैनल से हटा न दिया जाए तथा विपंजीकृत न कर दिया जाए। अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पंजीकरण की वैधता समाप्त होने से पहले पैनल में सम्मिलित उनका नाम नवीनीकृत हो जाए।

(iii) अग्नि सुरक्षा ऑडिटर के पंजीकरण या पंजीकरण नवीनीकरण का शुल्क निम्नानुसार होगा:

तालिका-2(क)

अग्नि सुरक्षा ऑडिटर (स्तर-1)	10,000 रुपये
अग्नि सुरक्षा ऑडिटर (स्तर-2)	20,000 रुपये
अग्नि सुरक्षा ऑडिटर (स्तर-3)	30,000 रुपये

(iv) अग्नि सुरक्षा ऑडिटर, अपने पेशेवर कार्य के लिए, दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक के पास अपने स्तर के अनुसार, दिल्ली अग्निशमन सेवा में अपने पंजीकरण और सूचीबद्ध होने की अवधि के लिए, नीचे उल्लिखित क्षतिपूर्ति बीमा बॉन्ड बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे।

तालिका-2(ख)

अग्नि सुरक्षा ऑडिटर (स्तर-1)	10,00,000 रुपये
अग्नि सुरक्षा ऑडिटर (स्तर-2)	20,00,000 रुपये
अग्नि सुरक्षा ऑडिटर (स्तर-3)	30,00,000 रुपये

पैनल में सूचीबद्ध होने के समय, अग्नि सुरक्षा ऑडिटर द्वारा प्रपत्र 'U' जमा करने के हिस्से के रूप में अग्निशमन सेवा निदेशक को क्षतिपूर्ति बीमा बॉन्ड प्रस्तुत किया जाएगा।

(v) यदि अग्नि सुरक्षा ऑडिटर द्वारा प्रपत्र 'H' या 'I' या 'J' या 'K' में आवश्यक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों का अनुपालन न करने या उनसे विचलन की सूचना अग्नि अधिकारी(यों) द्वारा दी जाती है, या उपर्युक्त प्रपत्रों में से किसी में या प्रपत्र 'U' में अग्नि सुरक्षा ऑडिटर द्वारा कोई मिथ्याकरण पाया जाता है, तो निदेशक द्वारा नोटिस जारी करके अग्नि सुरक्षा ऑडिटर से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

(vi) यदि (v) में उल्लिखित नोटिस के उत्तर में अग्नि सुरक्षा ऑडिटर द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया जाता है, तो निदेशक द्वारा उसे इस नोटिस की तिथि से 15 दिनों के भीतर सारणी 2(ग) के अनुसार जुर्माना राशि जमा करने के लिए एक और नोटिस जारी किया जाएगा। यदि अग्नि सुरक्षा ऑडिटर निर्धारित समय के भीतर जुर्माना राशि जमा करने में विफल रहता है, तो उसे पैनल से हटा दिया जाएगा तथा विपंजीकृत कर दिया जाएगा।

तालिका-2(ग)

अग्नि सुरक्षा ऑडिटर का स्तर	जुर्माने की राशि
अग्नि सुरक्षा ऑडिटर (स्तर-1)	2,00,000 रुपये
अग्नि सुरक्षा ऑडिटर (स्तर-2)	5,00,000 रुपये
अग्नि सुरक्षा ऑडिटर (स्तर-3)	10,00,000 रुपये

(vii) यदि (v) में उल्लिखित कारणों से दूसरी बार चूक होती है तो, निदेशक द्वारा नोटिस के माध्यम से अग्नि सुरक्षा ऑडिटर से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तथा यदि अग्नि सुरक्षा ऑडिटर का उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है, तो निदेशक द्वारा अन्य कोई नोटिस जारी किए बिना अग्नि सुरक्षा ऑडिटर को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और पैनल से अपंजीकृत किया जा सकता है।

प्रशिक्षण

(i) अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षकों का प्रशिक्षण अग्नि सुरक्षा प्रबंधन अकादमी, रोहिणी में अकादमी के प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार आयोजित किया जाएगा। डीएफएस नियमों की षष्ठम अनुसूची में यथा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क अग्नि सुरक्षा ऑडिटर द्वारा वहन किया जाएगा।

- (ii) अग्नि सुरक्षा ऑडिटर को यह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा और अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षकों के विभिन्न स्तरों के लिए प्रशिक्षण की अवधि निम्नानुसार है:

तालिका-3

अग्नि सुरक्षा ऑडिटर का स्तर	प्रशिक्षण अवधि
अग्नि सुरक्षा ऑडिटर (स्तर-1)	03 दिन
अग्नि सुरक्षा ऑडिटर (स्तर-2)	05 दिन
अग्नि सुरक्षा ऑडिटर (स्तर-3)	07 दिन

शुल्क, पारिश्रमिक तथा नैतिक आचरण

- (i) अग्नि सुरक्षा ऑडिटर को नियम 35, 36, 37 तथा 38 के अंतर्गत प्रदान की गई सेवाओं के लिए परिसर या भवन या अधिवास के स्वामी या अधिभोगी से शुल्क लेने की अनुमति है, जैसा कि अग्नि सुरक्षा ऑडिटर और स्वामी या अधिभोगी के बीच आपसी सहमति से तय किया गया हो। तालिका-4 में यथा उल्लिखित शुल्क अनुमत सीमा के भीतर ही होना चाहिए। सहमत शुल्क स्वामी या अधिभोगी द्वारा दिल्ली अग्निशमन सेवा के पोर्टल पर जमा किया जाएगा और इसे स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से 24 घंटों के भीतर प्रवृत्त अग्नि सुरक्षा ऑडिटर को जारी कर दिया जाएगा।

तालिका-4

अग्नि सुरक्षा ऑडिटर का स्तर	शुल्क/लेखापरीक्षा की सीमा
अग्नि सुरक्षा ऑडिटर (स्तर-1)	10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक
अग्नि सुरक्षा ऑडिटर (स्तर-2)	35,000 रुपये से लेकर 90,000 रुपये तक
अग्नि सुरक्षा ऑडिटर (स्तर-3)	63,000 रुपये से लेकर 5,00,000 रुपये तक

टिप्पणी:

- उपर्युक्त शुल्क प्रत्येक प्रमाणन के लिए लागू होंगे, जिसमें लागू होने के अनुसार प्रपत्र 'H' जारी करना या प्रपत्र 'K' के अंतर्गत प्रत्येक वार्षिक घोषणा सम्मिलित है।
- भवन की ऊंचाई, आवरणयुक्त क्षेत्र, अधिवासी वर्गीकरण और अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा प्रणालियों की जटिलता के आधार पर अग्नि सुरक्षा ऑडिटर द्वारा शुल्क का निर्धारण किया जाएगा, जो कि यहां निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के भीतर ही होगा।
- निदेशक, आदेश द्वारा, निर्धारित सीमा के भीतर शुल्कों के वस्तुनिष्ठ निर्धारण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

- (ii) नियम 35(4) या नियम 38(2) के अंतर्गत निर्दिष्ट अग्नि सुरक्षा ऑडिटर या स्वामी या अधिभोगी द्वारा दस्तावेजों के प्रत्येक प्रस्तुतीकरण पर, दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक द्वारा अग्नि सुरक्षा ऑडिटर को 500 रुपये का पारिश्रमिक दिया जाएगा।

- (iii) (ए) अग्नि सुरक्षा ऑडिटर को एक ही परिसर या भवन या अधिवास या संस्था के लिए अगले दो लगातार प्रमाणन (जैसे प्रपत्र 'H' के बाद अगले दो प्रपत्र 'K' या प्रपत्र 'K' के बाद अगले दो प्रपत्र 'K') करने से प्रतिबंधित किया गया है।

(बी) प्रमाण पत्र जारी करने में लापरवाही से बचने के लिए निदेशक प्रति वर्ष प्रति अग्नि सुरक्षा ऑडिटर द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों की अधिकतम संख्या निर्धारित कर सकता है।

(iv) अग्नि सुरक्षा ऑडिटर अपने प्रमाण पत्रों वाले सभी प्रमाणन प्रपत्रों को नीचे उल्लिखित क्रम में एक 'अद्वितीय पहचान संख्या' देगा:

यूआईडी संख्या: अग्नि सुरक्षा ऑडिटर का स्तर/अग्नि सुरक्षा ऑडिटर का पंजीकरण संख्या/कैलेंडर वर्ष/अग्नि सुरक्षा ऑडिटर द्वारा नवीनीकरण की संख्या उदाहरण के लिए, यूआईडी संख्या: एल-1 या एल-2 या एल-3/xxxx/20xx/xxxx.

(v) अग्नि सुरक्षा ऑडिटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी परिसर, भवन, अधिवास या संस्था के लिए, प्रमाणन के प्रत्येक अवसर पर, उसके द्वारा अनुमोदित सभी प्रपत्रों पर यूआईडी संख्या समान हो। [नियम 35 और 38 देखें]

स्वचालित सतत निगरानी प्रणाली

[नियम 37 देखें]

1. नियम 37 के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भवन या उसके भाग में अग्निशमन प्रणाली के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) पर आधारित स्वचालित सतत निगरानी प्रणाली (एसीएमएस) सक्रिय और निष्क्रिय दोनों उपायों के लिए प्रदान की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अच्छी मरम्मत और कुशल कार्यशील स्थिति में हैं।

2. एसीएमएस की व्यवस्था दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण में एसीएमएस की स्थापना इस प्रकार की जाएगी कि इससे नियम 35 के अंतर्गत प्रवृत्त अग्नि सुरक्षा ऑडिटर के साथ-साथ स्वामी और अधिभोगी दोनों को आवश्यक सूचना प्राप्त हो सके। दूसरे चरण में, महत्वपूर्ण अलार्म दिल्ली अग्निशमन सेवा को भी भेजे जाएंगे। दोनों चरणों में आवश्यक प्रक्रिया का विवरण खंड 4 में दिया गया है। प्रथम चरण नियमों के लागू होते ही तत्काल प्रभाव से प्रारंभ किया जाएगा, जबकि द्वितीय चरण बाद में प्रारंभ किया जाएगा।

3. एसीएमएस निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा:

(क) प्रणाली की स्थिति: प्रणाली को आवश्यक तंत्र से एकीकृत किया जाएगा जिससे प्रत्येक प्रणाली की स्थिति का पता लगाया जा सके। यह स्थिति किसी उपयुक्त इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) गेटवे पर उत्पन्न और एकत्रित की जाएगी। एकत्रित डेटा को किसी उपयुक्त क्लाउड सर्वर पर अपलोड किया जाएगा, जो प्रणाली की स्थिति से संबंधित आवश्यक वास्तविक समय की जानकारी स्वामी/उपयोगकर्ता और सिस्टम इंस्टॉलर को ईमेल, लघु संदेश सेवा (एसएमएस) या किसी उपयुक्त ऐप सेवा के माध्यम से मोबाइल पर भेजेगा। निम्नलिखित प्रणालियों की स्थिति की सूचना दी जाएगी:

(ख) हाइड्रेंट:

- (i) मुख्य हाइड्रेंट पंप की संचालन स्थिति।
- (ii) स्टैंडबाय डीजल/इलेक्ट्रिकल पंप की संचालन स्थिति।
- (iii) डीजल टैंक स्तर की निगरानी।
- (iv) मुख्य हाइड्रेंट पंप को बिजली आपूर्ति (चालू/बंद)।

- (v) हाइड्रेंट राइजर निम्न दबाव निगरानी।
- (vi) जॉकी पंप की संचालन स्थिति।
- (vii) जॉकी पंप को बिजली आपूर्ति (चालू/बंद)।
- (viii) बूस्टर पंप की संचालन स्थिति।
- (ix) मुख्य बूस्टर पंप को बिजली आपूर्ति (चालू/बंद)।

(ग) अग्निशमन जल टैंक:

- (i) भूमिगत/भूमि के ऊपर अग्निशमन टैंक स्तर की निगरानी।
- (ii) ओवरहेड टैंक निम्न स्तर निगरानी।

(घ) स्प्रिंकलर:

- (i) मुख्य स्प्रिंकलर पंप की संचालन स्थिति।
- (ii) मुख्य स्प्रिंकलर पंप को बिजली आपूर्ति।
- (iii) स्प्रिंकलर राइजर कम दबाव निगरानी।

(ङ) पता लगाने की प्रणाली:

- (i) पता लगाने की प्रक्रिया की स्थिति (चालू/बंद)।
- (ii) कंट्रोल पैनल/रिपीटर पैनल की स्थिति (कार्यशील/गैर-कार्यशील)।
- (iii) कंट्रोल पैनल की बैटरी की स्थिति।

(च) मैनुअल कॉल पॉइंट: मैनुअल कॉल पॉइंट्स संचालन स्थिति (चालू/बंद)।

(छ) सार्वजनिक संबोधन प्रणाली: सार्वजनिक संबोधन प्रणाली की स्थिति (कार्यशील/गैर-कार्यशील)।

(ज) वायु दाबीकरण:

- (i) लिफ्ट लॉबी/होइस्टवे के सभी निकासों के लिए सीढ़ी के प्रेशराइजेशन फैन की चलने की स्थिति।
- (ii) सभी लिफ्ट लॉबी/होइस्टवे के लिए प्रेशराइजेशन फैन की चलने की स्थिति।

(झ) आपूर्ति एवं एग्जॉस्ट फैन: वेंटिलेशन या एग्जॉस्ट प्रणाली के लिए बेसमेंट सप्लाई और एग्जॉस्ट फैन की चलने की स्थिति।

टिप्पणी: निम्नलिखित डेटा मानदंडों की निगरानी की जाएगी तथा वास्तविक समय निगरानी और रिपोर्ट जनरेशन के लिए लोकल गेटवे से क्लाउड पोर्टल पर भेजा जाएगा।

I. एकीकरण का माध्यम :

क्र० सं०	महत्वपूर्ण अग्नि और जीवन सुरक्षा मापदंडों की निगरानी	एकीकरण का माध्यम
1.	मुख्य हाइड्रेंट पंप की संचालन स्थिति	जल विभेदक दाब स्विच
2.	मुख्य स्प्रिंकलर पंप की संचालन स्थिति	जल विभेदक दाब स्विच
3.	स्टैंडबाय डीजल/इलेक्ट्रिकल पंप की संचालन स्थिति	जल विभेदक दाब स्विच
4.	जॉकी पंप की संचालन स्थिति	जल विभेदक दाब स्विच
5.	बूस्टर पंप की संचालन स्थिति	जल विभेदक दाब स्विच
6.	डीज़ल टैंक में निम्न स्तर की निगरानी	स्तर संवेदक
7.	मुख्य हाइड्रेंट पंप को बिजली की आपूर्ति	मोटर नियंत्रण केंद्र (एमसीसी) पर वोल्टेज सेंसर
8.	हाइड्रेंट राइज़र निम्न दबाव निगरानी	प्रेसर स्विच/ट्रांसमीटर
9.	मुख्य स्प्रिंकलर पंप को बिजली की आपूर्ति	एमसीसी में वोल्टेज सेंसर
10.	स्प्रिंकलर राइज़र के लिए निम्न दबाव निगरानी 5 बार से कम	प्रेसर स्विच/ट्रांसमीटर
11.	यूजी/एजी फायर टैंक निम्न स्तर निगरानी प्रणाली	अल्ट्रासोनिक जल स्तर उपकरण
12.	ओवरहेड टैंक निम्न स्तर निगरानी प्रणाली	अल्ट्रासोनिक जल स्तर उपकरण
13.	पता लगाने की प्रक्रिया की स्थिति	प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस (पीओटीएस) फायर पैनल से मुक्त संपर्क
14.	कंट्रोल पैनल/रिपीटर पैनल की स्थिति	प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस (पीओटीएस) फायर पैनल से मुक्त संपर्क
15.	कंट्रोल पैनल की बैटरी की स्थिति	प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस (पीओटीएस) फायर पैनल से मुक्त संपर्क
16.	मैनुअल कॉल पॉइंट्स संचालन की स्थिति	प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस (पीओटीएस) फायर पैनल से मुक्त संपर्क
17.	पब्लिक एड्रेस (पीए) प्रणाली की स्थिति	पीए पैनल के लिए त्रुटि की स्थिति
18.	सभी निकासों के लिए सीढ़ी के प्रेशराइजेशन फैन की संचालन की स्थिति	वायु विभेदक दबाव स्विच
19.	लिफ्ट लॉबी/होइस्टवे प्रेशराइजेशन फैन की संचालन की स्थिति	वायु विभेदक दबाव स्विच
20.	वेंटिलेशन/एग्जॉस्ट प्रणाली के लिए बेसमेंट सप्लार्ई और एग्जॉस्ट फैन की संचालन की स्थिति	वायु विभेदक दबाव स्विच

4. प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ: आईओटी आधारित प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भवनों में प्रदान की गई अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा प्रणालियाँ अच्छी मरम्मत और कुशल कार्यशील स्थिति में बनी रहें, ताकि:

(क) अग्निशमन प्रतिष्ठान और उपकरणों के संचालन की डिजिटल निगरानी;

(ख) अग्निशमन प्रतिष्ठानों तथा उपकरणों का डिजिटल रखरखाव और अभिलेखन। इसे निम्नलिखित प्रक्रिया दिशानिर्देशों को अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है।

- (i) प्रणाली की आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम डिजिटल इनपुट और एनालॉग इनपुट प्रदान करना।
- (ii) एमक्यूटीटीएस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मशीन से मशीन संचार, जिसके द्वारा डेटा भेजा जाएगा। एमक्यूटीटीएस प्रोटोकॉल के माध्यम से डेटा को वास्तविक समय के आधार पर क्लाउड पोर्टल पर भेजा जाएगा।
- (iii) 4जी/5जी तथा उससे ऊपर या ईथरनेट या वाई-फाई या किसी अन्य विश्वसनीय वायर्ड या वायरलेस माध्यम का उपयोग करके क्लाउड से कनेक्टिविटी जो हर 1 मिनट के अंतराल पर आईओटी गेटवे से डेटा प्राप्त करेगी।
- (iv) यदि आईओटी गेटवे से 15 मिनट से अधिक समय तक कोई डेटा प्राप्त नहीं होता है, तो क्लाउड एसएमएस के माध्यम से अलार्म भेजेगा। क्लाउड पोर्टल को निर्दिष्ट समय से अधिक समय तक डेटा प्राप्त न होने की स्थिति में अलार्म उत्पन्न करना चाहिए ताकि हम आईओटी प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित कर सकें।
- (v) गेटवे में यूपीएस पावर होनी चाहिए तथा बिजली गुल होने की स्थिति में 7 घंटे तक का बैकअप होना चाहिए।
- (vi) गेटवे में न्यूनतम 10000 इवेंट लॉग संग्रहीत करने की अंतर्निहित क्षमता होगी।
- (vii) इसमें टाइम स्टैम्प के साथ डेटा सहेजने के लिए रियल टाइम क्लॉक होनी चाहिए।
- (viii) डेटा रिपोर्ट और अलार्म रिपोर्ट जैसी रिपोर्ट क्लाउड पोर्टल से उपलब्ध होनी चाहिए।
- (ix) एसएमएस और ईमेल अलर्ट विकल्प वास्तविक समय के आधार पर उपलब्ध होना चाहिए।
- (x) घटनाओं को ओपन-सोर्स डेटाबेस में संग्रहीत किया जाना चाहिए। अपटाइम कम से कम 99% होना चाहिए।
- (xi) भविष्य में स्थानीय अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं को यह डेटा भेजने के लिए एपीआई (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) बनाने का प्रावधान होना चाहिए। स्थानीय अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए, अलर्ट केवल गंभीर अलार्म जैसे पंपों में बिजली की विफलता, स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट लाइन का कम दबाव, अग्निशमन अलार्म प्रणाली की खराबी और आग की स्थिति आदि के लिए ही भेजे जाने चाहिए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अजय कुमार शर्मा, उप-सचिव (गृह)

HOME DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 26th May, 2026

F. No. DFS/HQ/Misc./2025/01(E-259159)/237.—In exercise of the powers conferred by Section 63 of the Delhi Fire Service Act, 2007 (Delhi Act 2 of 2009), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendments in the Delhi Fire Service Rules, 2010, namely:

1. Short title and commencement-

(1) These Rules may be called the Delhi Fire Service (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette except amendments of Rules 34, 35, 36, 37, 38, First Schedule and Seventh Schedule.

(3) Amendments of Rules 34, 35, 36, 37, 38, First Schedule and Seventh Schedule shall come into force after 90 days from the date of their publication in the Official Gazette;

Provided that all applications pending on date of commencement shall be processed under the provisions in force on the date of application.

2. In the Delhi Fire Service Rules, 2010 (hereinafter referred to as the Principal Rules), in rule 2, -

(A) after clause (iv), the following shall be inserted, namely:

(iv-a) “Fire Safety Auditor” means a Third Party i.e., a person or an association of persons or company as referred to in rules and the Seventh Schedule of these Rules, duly empanelled with the Director of Delhi Fire Service.

(B) clause (v) is substituted, namely:

“Fire Safety Certificate” means the Fire Safety Certificate issued by the Fire Service for compliance with the minimum standards for fire prevention and fire safety of buildings or premises under the Principal Rules or by a Fire Safety Auditor under these rules;

(C) clause (viii) is substituted, namely:

(viii) “National Building Code of India” means the Code made by Bureau of Indian Standards; “Fire and Life Safety” published by Bureau of Indian Standards, New Delhi, as amended from time to time.

(D) clause (xi) is substituted, namely:

(xi) “special area” means the special area as delineated in the Master Plan of Delhi.

(E) in the clause(xiii), ‘National Building Code 2005’ shall be substituted with ‘National Building Code of India’.

3. In the Principal rules, rule 3, shall be substituted namely:

3. Constitution of Fire Zones

(1) There shall be five or more Fire Zones in National Capital Territory of Delhi as per the contingencies of work namely, 'Central Zone', 'East Zone', 'West Zone', 'North Zone' and 'South Zone' or any other Zone, as may be created by the Government by general or special order depending upon the exigencies of work.

(2) Each Fire Zone shall be under the charge of the Chief Fire Officer who may be assisted by one or more Deputy Chief Fire Officers.

(3) The Central Fire Zone shall comprise of New Delhi, Central and Old Delhi Divisions or any other Division as may be created depending upon exigencies of work.

(4) The East Fire Zone shall comprise of North-East and East Divisions or any other Division as may be created depending upon exigencies of work.

(5) The West Fire Zone shall comprise of West, South-West and North West Divisions or any other Division as may be created depending upon exigencies of work.

(6) The North Fire Zone shall comprise of North, Outer North and Central North Divisions or any other Division as may be created depending upon the exigencies of work.

(7) The South Fire Zone shall comprise of South and South East Division or any other Division as may be created depending upon the exigencies of work.

4. In the Principal rules, rule 4, shall be substituted namely:

4. Constitution of Fire Divisions

(1) There shall be thirteen or more Fire Divisions in National Capital Territory of Delhi as per the contingencies of work for the purpose of clause (b) of section 9 of the Act, namely, 'New Delhi Division', 'North Division', 'North-West Division', 'West Division', 'South-West Division', 'South Division', 'South-East Division', 'Central Division', 'North-East Division', 'Outer North Division', 'Old Delhi Division', 'Central North Division' and 'East Division' or any other Division, as may be created by the Government by general or special order depending upon the exigencies of work.

(2) Each Fire Division shall be under the charge of a Divisional Fire Officer.

(3) The New Delhi Division shall comprise of New Delhi and Delhi Cantonment Sub-Divisions.

(4) The North Division shall comprise of Burari, Adarsh Nagar and Badli Sub-Divisions.

(5) The North-West Division shall comprise of Kirari, Nangloi Jat and Rohini Sub-Divisions.

(6) The West Division shall comprise of Vikaspuri, Janakpuri and Rajouri Garden Sub-Divisions.

(7) The South-West Division shall comprise of Najafgarh, Matiala, Dwarka and Bijwasan Sub-Divisions.

(8) The South Division shall comprise of Chhatarpur, Malviya Nagar, Deoli and Mehrauli Sub-Divisions.

(9) The South-East Division shall comprise of Jangpura, Kalkaji and Badarpur Sub-Divisions.

(10) The Central Division shall comprise of Patel Nagar and Karol Bagh Sub-Divisions.

(11) The North-East Division shall comprise of Karawal Nagar, Gokulpur, Yamuna Vihar and Shahdara Nagar Sub-Divisions.

(12) The Outer North Division shall comprise of Mundka, Narela and Bawana Sub-Divisions.

(13) The East Division shall comprise of Gandhi Nagar, Vishwas Nagar and Patparganj Sub-Divisions.

(14) The Central North Division shall comprise of Shakur Basti, Shalimar Bagh and Model Town Sub-Divisions.

(15) The Old Delhi Division shall comprise of Sadar Bazaar and Chandani Chowk Sub-Divisions.

5. In the Principal rules, rule 5, sub-rule (1) shall be substituted namely:

(1) There shall be Thirty-Nine or more fire sub divisions namely; New Delhi, Delhi Cantonment, Patel Nagar, Karol Bagh, Sadar Bazaar, Chandni Chowk, Karawal Nagar, Gokulpur, Yamuna Vihar, Shahdara, Gandhi Nagar, Vishwas Nagar, Patparganj, Burari, Adarsh Nagar, Badli, Mundka, Narela, Bawana, Shakur Basti, Shalimar Bagh, Model Town, Chhatarpur, Malviya Nagar, Deoli, Mehrauli, Jangpura, Kalkaji, Badarpur, Vikaspuri, Janakpuri, Rajouri Garden, Najafgarh, Matiala, Dwarka, Bijwasan, Kirari, Nangloi Jat and Rohini Sub-Divisions in the National Capital Territory of Delhi as per the exigencies of work for the purposes of clause (b) of section 9 of the Act.

6. In the Principal Rule 8, 'Master Plan Delhi 2021' shall be substituted with 'Master Plan of Delhi, as amended from time to time'.

7. In the Principal rules 20, 'DDO Headquarters, Delhi Fire Service payable at Delhi' shall be substituted with 'DDO Headquarters, Delhi Fire Service payable at Delhi or through online payment gateway'.

8. In the Principal rule 22, 'Principal, FSMA or DDO concerned' shall be

substituted with 'Principal, FSMA or DDO concerned or through an online payment gateway'.

9. In the Principal rule 25, 'Principal or DDO concerned through a bank draft' shall be substituted with 'Principal or DDO concerned through a bank draft or through an online payment gateway'.

10. In the Principal rules, rule 26, shall be substituted namely:

26.(1) "The rules of chapter V shall regulate the owner or occupiers, or both, of premises or buildings or erectors of pandals, for the provisions of section 25 of the Act, unless and otherwise specified in the Rule";

(2) In addition to other branches in Fire Service, there shall be constituted a branch namely 'Fire Prevention Wing' under Section 25 of the Act within the Fire Service Headquarters;

(3) The Headquarter shall be under the charge of a Chief Fire Officer assisted by such other Group 'A', 'B' and 'C' fire officers and other members of fire service, as determined by Director;

Provided that the Director may, based on the workload, increase or decrease the number and rank of fire officers in any category at Headquarters.

(4) The Fire Service Headquarters, in consideration of the efficient management of fire prevention activities, fire-ground operations, and maintenance of the fire service, shall control and regulate the following:

- (a) Policy formulation and strategic planning;
- (b) Resource management;
- (c) Functions of Administrative branch;
- (d) Execution of statutory provisions of the DFS Act & Rules;
- (e) Litigation supervision and technical avowals;
- (f) Coordination with Zones, FSMA, and monitoring of all other branches of the fire service;

The Headquarters shall set the overall direction and strategy of the fire service by providing core administrative support for all the branches to ensure that policies are effectively executed across the fire service.

(5) 'Fire Prevention Wing': The Fire Prevention Wing shall be under the charge of a fire officer not below the rank of a Deputy Chief Fire Officer, and assisted by other Group 'A', 'B' and 'C' fire officers and other members of fire service;

The 'Fire Prevention Wing' shall examine the building plans along with Fire Safety Schemes duly certified by a Fire Safety Auditors of Level-2 and Level-3 as per their authorization under the rules, referred to Fire Service by local authority or any other statutory authority, from fire prevention and fire safety point of view and issue directives relating to fire prevention and fire safety measures for compliance by the builder, owner or occupier.

11. In the Principal rules, Rule 27 shall be substituted namely:

27. Classes of occupancies likely to cause a risk of fire.

The following classes of occupancies for the purposes of sub-section (1) of section 25 of the Act shall be construed to likely cause a risk of fire, namely:

- (1) Pandal having seating capacity more than 50 persons or covered area more than 50 square meters.
- (2) Residential buildings (other than hotels and guest houses) having height more than 15 meters or comprised of Five or more stories, including mezzanine/stilt floor above ground level.
- (3) Hotels and guest houses building having height more than 12 meters or comprised of four or more stories, including mezzanine/stilt floor above ground level.
- (4) Educational buildings having height more than 9 meters or comprised of three or more stories, including mezzanine/stilt floor above ground level.
- (5) Institutional buildings having height more than 9 meters or comprised of three or more stories, including mezzanine/stilt floor above ground level.
- (6) All Assembly buildings.
- (7) Business buildings having height more than 15 meters or comprised of five or more stories, including mezzanine/stilt floor above ground level.
- (8) Mercantile buildings having height more than 9 meters or comprised of three or more stories, including mezzanine/stilt floor above ground level.
- (9) Industrial buildings having covered area on all stories more than 250 square meters.
- (10) Storage buildings having covered area on all stories more than 250 square meters.
- (11) All Hazardous buildings having covered area on all stories more than 100 square meters.
- (12) Underground Structures comprising of two or more Levels.

12. In the Principal Rule 29, 'IS 8758:1983' and 'National Building Code of India, 2005' shall be substituted with 'IS 8758' and 'National Building Code of India' respectively.

13. In the Principal rules, in rule 32, the following shall be substituted:

(A). In sub-rule (1): Form 'M' with Form 'N'

(B). In sub-rule (2): 'DDO (Headquarters), Delhi Fire Service payable at Delhi' with 'DDO (Headquarters), Delhi Fire Service payable at Delhi or through an online payment gateway'.

14. In the Principal rules 33, 'National Building Code of India 2005' shall be substituted with 'National Building Code of India'.

15. In the Principal rules, in rule 34:

(A). the sub-rule (2) shall be omitted.

(B). the sub-rule (3) shall be substituted and renumbered as sub-rule (2) namely:

(2) The Fire Prevention Wing shall direct the Fire Safety Auditor, Owner, occupier, or the Architect through Local Authority or any statutory authority to modify the building plans and schemes received under sub-rule (1) above to ensure the compliance with these rules and the Fire Safety Auditor, Owner, occupier, or the Architect shall abide by such instructions failing which building plans are liable for rejection.

(C). the sub-rule (4) shall be substituted and renumbered as sub-rule (3) namely:

(3) The fire prevention and fire safety measures shall be issued within three weeks from the date of submission under sub-rule (1) or submission of modified building plans and schemes under sub-rule (2).

16. In the Principal rules, rule 35 shall be substituted namely:

35. Issue of Fire Safety Certificate

(1) For the purpose of issuance of the Fire Safety Certificate by a Fire Safety Auditor, owner or occupier of a premise or building or occupancy shall engage a Fire Safety Auditor from the list of Fire Safety Auditors on the portal of Delhi Fire Service. The Fire Safety Certificate issued by a Fire Safety Auditor shall be deemed to be issued under the delegated authority of the Director and shall be subject to verification under the Act.

(2) The Fire Safety Auditor shall possess the requisite qualifications, experience, and other criteria as specified in Seventh Schedule.

(3) The engaged Fire Safety Auditor shall conduct a thorough inspection of the premise or building or occupancy, including all fire prevention and fire safety measures, and shall submit a detailed inspection report in Form 'J' and issue a Fire Safety Certificate in Form 'H' and declaration in Form 'I' under this rule to the owner or occupier of those buildings or occupancies, which are identified under Rule 27, and/or which require clearance from Delhi Fire Service;

Provided that issuance of Fire Safety Certificate by a Fire Safety Auditor shall not absolve the owner or occupier of primary responsibility for maintaining fire prevention and fire safety measures under the Act;

Provided further that the Delhi Fire Service shall not be liable for any loss or damage arising out of certification issued by a Fire Safety Auditor, except where malafide or gross negligence is attributable to Fire Service officers.

(4) The Fire Safety Auditor or the owner or the occupier as identified in sub-rule (3) shall make online submission of the following to the Director:

- a) Fire Safety Certificate in Form 'H'
- b) Declaration in Form 'I'
- c) Inspection report in Form 'J'
- d) Fee of Rupees One Thousand through bank draft/pay order to the DDO (Headquarters), Delhi Fire Service payable at Delhi or through an online payment gateway.

(5) The Director shall maintain all the records submitted under sub-rule

(4). The fire officer or a team of fire officers under the provisions of Delhi Fire Service Act and rules, shall randomly inspect Fire Safety Certificates issued by Fire Safety Auditors.

Provided that not less than five percent of certificates issued by Fire Safety Auditors in a quarter shall be subject to random inspection.

(6) On the reporting of any deficiency in the fire prevention and fire safety measures after the inspection carried out by the fire officer(s) under the Act and Rules or for any falsification in the report of the Fire Safety Auditor, the Director may initiate proceedings against the owner or occupier and/or the Fire Safety Auditor, after giving them an opportunity to present their case, under the provisions of the Act and Rules.

(7) No Fire Safety Auditor shall audit any building for which he or his firm has provided design, consultancy, installation or maintenance services.

(8) The Fire Safety Auditor engaged by owner or occupier under these Rules, shall be deemed to be a public servant as specified in sub-section (28) (k) (i) of Section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 for the purpose of these Rules.

17. In the Principal rules, Rule 36 shall be substituted namely:

36. Duration of Fire Safety Certificate:-

(1) The Fire Safety Certificate issued under Rule 35 unless suspended or cancelled by Delhi Fire Service under the provisions of Delhi Fire Service Act and Rules shall remain valid, subject to the submission of Form 'K' every year.

(2) The Fire Safety Auditor or the Fire Safety Officer or the owner or the occupier shall submit online declaration in Form 'K' of the first schedule, prior to the completion of one year from the issuance date of Fire Safety Certificate or Form 'K' submitted on last occasion.

(3) The premise or buildings or occupancies already issued with Fire Safety Certificates prior to the promulgation of these Rules and which are still having validity under the Principal Rules shall be deemed to have been issued Fire Safety Certificate under these Rules and their validity shall be governed by sub-rule (1).

18. In the Principal rules, Rule 37 shall be substituted namely:

37. Automated Continuous Monitoring System

In classes of occupancies as identified in sub-rule (2) to (12) of Rule 27 for the purpose of sub-rule (1) of Rule 38, an Automated Continuous Monitoring System for fire prevention and fire safety measures or part thereof, shall be provided by

the owner or occupier of the premise or building as specified in Seventh Schedule;

Provided that the ACMS shall comply with such technical standards and cyber security protocols as may be notified by the Director.

19. In the Principal Rule 38, the sub-rule (2) shall be substituted namely:

(2) Every year, the following online submission shall be made to the Director by owner or occupier or by Fire Safety Auditor or by Fire Safety Officer appointed under section 29 of the Act, as the case may be:

a) Declaration in Form 'K'

b) Fee of Rupees One Thousand through bank draft/pay order to the DDO (Headquarters), Delhi Fire Service payable at Delhi or through an online payment gateway.

20. In the Principal rule 40, 'any other officer' shall be substituted by 'any other fire officer'.

21. In the Principal rules 42, 'DDO (Headquarters), Delhi Fire Service payable at Delhi' shall be substituted with 'DDO (Headquarters), Delhi Fire Service payable at Delhi or through an online payment gateway'.

22. In the Principal rules, Rule 43 shall be substituted namely:

43. Compounding of offences.

(1) The Deputy Chief Fire Officer may compound offences under sub-section (1) of section 54 of the Act, punishable with fine up to and including ₹ 10,000 (rupees ten thousand only).

(2) The compounding limit for the Chief Fire Officer for purposes under sub-rule (1) shall be ₹50,000 (rupees fifty thousand only).

(3) The Director may compound any offence under section 54 of the Act and under these rules punishable with fine exceeding ₹50,000 (rupees fifty thousand only).

(4) All such compounding fee shall be deposited with DDO (Headquarters), Delhi Fire Service through bank draft/pay order payable at Delhi or through an online payment gateway.

23. In the Principal rules, in rule 47, the sub-rule (1) shall be substituted namely:

(1) The Director, Chief Fire Officer and Deputy Chief Fire Officer of Fire Service may sanction rewards by way of certificate or cash rewards or with both to public or members of Fire Service up to the limits noted against each hereunder:

Sr. No.	Authority competent to sanction	Type of commendation	Cash Rewards
1	Director	Commendation Roll	Up to ₹1,00,000 in each case for actions of outstanding merit subject to budget limit.
2	Chief Fire Officer	Commendation Certificate Class I	Up to ₹75,000 in each case for actions of special merit as to deserve a higher

			form of recognition than a Deputy Chief Fire Officer is empowered to give.
3	Deputy Chief Fire Officer	Commendation Certificate Class II	Up to ₹50,000 in each case in recognition of specific instances of exemplary performance or assistance to Fire Service on the occasion of fire and/or rescue operations.

Provided that the Government may, on the recommendation of the Director, in each case, may grant rewards more than ₹1,00,000 (Rupees one lakh) in recognition of specific instances of exemplary performance by the members of Fire Service or member of the public for assistance to Fire Service on the occasion of fire and/ or rescue operations.

24. The Director Fire Service, may notify a date after which any payment shall be received exclusively through the online payment gateway of the Directorate of Fire Service.

25. In the Principal Rules, the Form 'B' in the First Schedule shall be substituted namely:

FORM 'B': APPLICATION FOR STAND-BY DUTY

[See sub-rule (2) of rule 20]

To
The Director
Delhi Fire Service
Delhi Fire Service Headquarters
Connaught Place
New Delhi-110 001.

Sub: Application for providing stand-by duty
at..... (address of the place where
stand-by duty is required).

Sir,

Please provide stand-by (name of vehicle) at the
aforesaid address with effect fromhrs. to hrs. on
..... (date to be mentioned) during the
.....
..... (occasion to be mentioned for which required).

The required payment of ₹ is enclosed through bank draft
No..... dated drawn on
.....in favour of DDO, Headquarters, Delhi Fire Service
OR an online payment gateway transaction ID.....

Dated:

(Signature of the applicant)

Contact details:

Name in full.....

Email ID

Tel. No.

Mobile No.

26. In the Principal Rules, the Form 'H' in the First Schedule shall be substituted namely:

FORM 'H'
FIRE SAFETY CERTIFICATE BY FIRE SAFETY AUDITOR
[See rule 35(3)]

UID No.....

Dated:

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Certified that the (name of the building/premises or entity) situated at.....(address) comprised ofbasement(s) and(upper floors) owned/occupied by(name of the company / name of the owner/occupier) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule 33 of the Delhi Fire Service Rules, 2010 and verified by undersigned on (date of inspection) in the presence of.....(name and address of the owner/occupier or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy classwith effect fromsubjected to conditions of Rule 36 and 38 unless suspended or cancelled by Delhi Fire Service under the provision of DFS and Rules-2010 as amended from time to time.

Issued on at New Delhi by

Dated.....

Signature.....

Name of the Fire Safety Auditor.....

Email ID.....

Telephone No.....

Mobile No.....

Level of Fire Safety Auditor and Registration No.....

Stamp.....

Copy to:

1. _____
2. _____

Conditions for the validity of fire safety certificate:

1. All the means of escape/entry/exit shall be kept free from any obstruction.
2. All the fire safety arrangements provided therein shall be maintained in good working condition at all time.

3. Any loss of life or property due to non-functional fire safety measures shall be at the responsibility of the owner/occupier.
4. All the staff members must know the correct method of operation of firefighting system.
5. The owner/occupier or Fire Safety Officer or Fire Safety Auditor shall submit yearly declaration in Form 'K' [sub-rule (2) of Rule 38] provided in the first schedule of Delhi Fire Service Rules 2010.
6. This fire safety certificate may not in any way be treated as regularization of unauthorized construction or Alteration, if any.
7. "The owner/occupier shall ensure for timely submission of Form 'K' for continuation of this certificate as stipulated in Rule 36 through another Fire Safety Auditor."

Verification by the Fire Officer(s)
[Under Rule 35]

The Fire Safety Certificate issued by the Fire Safety Auditor stand suspended or cancelled _____ and _____ annulled _____ due to.....
.....
.....
..... (reasons to be recorded).

OR

The Fire Safety Certificate issued by the Fire Safety Auditor found in conformity with his declaration in form 'T'/'K'.
(*Strike off, which ever is not applicable)

(Name designation and signature of the Nominated authority)

27. Form 'T' in the First Schedule of the Principal Rules is substituted namely:

FORM 'T': DECLARATION BY FIRE SAFETY AUDITOR

[See rule 35]

PART-I

(To be filled, for the building issued with Fire Safety Directives U/R 34)

UID No.....

Dated:

To
The Director
Delhi Fire Service
Delhi Fire Service Headquarters
Connaught Place
New Delhi-110 001.

Sir,

This is submitted that all the fire prevention and fire safety measures as recommended by you vide letter No. dated.....

have been installed/provided in the building/premise

..... (address of building/premise).The para wise compliance report is enclosed and it is certified that the performance of all the fire prevention and fire safety measures are tested in conformity with the provisions of relevant Standards by undersigned on....., and found in good working condition. I,(Name in full) under took that this declaration of mine, if contravenes with the statutory provisions of the Act and Rules, shall be liable for penal actions under Rule 35 of Delhi Fire Service Rules -2010.

Enclosed: As Above

Dated:

(Signature of the Fire Safety Auditor)

Contact details:

Email ID

Tel. No.

Mobile No.

Fire Safety Auditor Level.....Registration No.....

Stamp.....

Counter signed by the Owner/occupier

I,(Name in full) under took that this declaration of mine, if contravenes with the statutory provisions of the Act and Rules, shall be liable for penal actions under section 37 of the Delhi Fire Service Act -2007.

Signature.....

Contact details:

Email ID

Tel. No.

Mobile No.

PART-II

(To be filled only, if Fire Safety Directives U/R 34
are not issued to the building)

UID No.....

Dated:

To

The Director

Delhi Fire Service

Delhi Fire Service Headquarters

Connaught Place

New Delhi-110 001

Sir,

This is to inform you that the building/premise(name of the building/premise) located at.....

(address of the building) comprised of.....
basement(s)and..... (upper floors) owned/occupied by
..... (name of the company/ name of the
owner/occupier). The details occupancies at each level of building are as under:

.....
.....
.....
.....

.....In this connection it is
submitted that all the fire prevention and fire safety measures as applicable
under Rule 33 of DFS Rules have been provided in the building/premises and
para wise compliance report is enclosed. It is certified that the performance of all
the fire prevention and fire safety measures is tested in conformity with the
provisions of relevant Standards by undersigned on....., and
found in good working condition.

Enclosed: As Above

I am also enclosing the following information and documents on which the
applicability of the prevailing building-byelaws on this building/premise is
adjudged by undersigned:

- (1) The site plan in accordance with clause 2.0.4 (f) (ii) of UBBL-2016 (as
amended from time to time)
- (2) The Certificate by a registered Architect for the height of the building in
accordance with clause 1.4.16 of UBBL-2016.
- (3) As built Plans, duly signed by the owner or occupier and by a registered
architect in conformity with clause 2.0.4 (h) of UBBL-2016.
- (4) Date of initial operation of occupancies is duly marked on the plans in
conformity with clause 2.0.4 (h) (i) & 1.4.75 of UBBL-2016.

I,(Name in full) under took that this declaration
of mine, if contravenes with the statutory provisions of the Act and Rules, shall be
liable for penal actions under Rule 35 of Delhi Fire Service Rules -2010.

Enclosed: As Above

Dated:

(Signature of the Fire Safety Auditor)

Contact details:

Email ID

Tel. No.

Mobile No.

Fire Safety Auditor Level.....Registration No.....

Stamp.....

Counter signed by the Owner/occupier

I,(Name in full) under took that this declaration
of mine, if contravenes with the statutory provisions of the Act and Rules, shall be
liable for penal actions under section 37 of the Delhi Fire Service Act -2007.

Signature.....

Contact details:

Email ID

Tel. No.

Mobile No.

28. Form 'J' of the First Schedule is substituted namely:

FORM 'J'
[See rule 35]

<u>INSPECTION REPORT BY FIRE SAFETY AUDITOR UNDER RULE-37 OF DFS RULES-2010</u>				
1. UID No. 2. Name and address of the building: 3. Below and Above ground Levels along with each level Occupancy as observed during inspection: 4. Details of Previous FSC: 5. Date of inspection: 6. Name and designation of the representative of the owner/occupier present during inspection:				
S. No.	Minimum Standards on fire prevention and fire safety under Rule 33	Requirement under Rule 35	Status at site	Remarks MR/NMR*
1.	Access to building			
	- Width of access road - Gate width - Width of internal access road all around the building			
2.	Number, Width, Type and Arrangement of Exits			
	a. Number of staircases			
	• Upper Floors			
	• Basements			
	b. Width of staircases			
	• Upper Floor			
	• Basements			
	c. Protection of exits			
	• Fire check door			
	• Pressurization			
	d. No. of continuous staircases to terrace			
e. Width of Corridor				
f. Door Size				
3.	Compartmentation			
	• Fire check door			
	• Sealing of electrical shafts			

	• Fire Rating of shaft door • Water Curtain • Fire Dampers			
4.	Smoke Management System			
	• Basements • Upper floors			
5.	Fire Extinguishers			
	• Total numbers • Types • IS marking			
6.	First-Aid Hose Reels			
	• Total numbers on each floor • Length of hose reel hose • Nozzle diameter			
7.	Automatic fire detection and alarming system			
	• Type of detectors • Location of Main Panel • Location of Repeater Panel • Alternate source of power • Hooters' Location			
8.	MOEFA with Talkback			
9.	Public Address System			
10.	Automatic Sprinkler System			
	• Basement • Ground Floor • Sprinkler above false ceiling			
11.	Internal Hydrants			
	• Size of riser/down-comer • Number of hydrants per floor • Hose Box			
12.	Yard Hydrants			
	• Total number of hydrants • Hose Box			
13.	Pumping Arrangements			
	• Ground Level ➤ Discharge of main Pump ➤ Head of Main pump ➤ Number of main pumps ➤ Jockey Pump out put ➤ Jockey pump head ➤ Standby Pump out put ➤ Standby Pump Head			

	➤ Auto Starting/Manual Stopping ➤ Pump House Access • Terrace level ➤ Discharge of pump ➤ Head of the pump ➤ Power Supply ➤ Auto Starting of pump			
14.	Captive Water Storage for fire fighting			
	• Underground tank capacity ➤ Draw-off connection ➤ Fire service inlet ➤ Access to tank • Overhead Tank capacity			
15.	Exit Signage.			
16.	Provision of Lifts.			
	• Pressurization of Lift Shaft • Pressurization of Lift lobby • Communication In lift Car • Fireman's Grounding Switch • Lift Signage			
17.	Standby power supply			
18.	Refuge Area.			
	➤ Total Area ➤ Location			
19.	Fire Control Room			
	• Detector System Panel • Flow Switch Panel • PA System Panel • Batter backup • Building Floor Plans			
20.	Special Fire Protection System for Protection of special Risks, if any:			

*MR/NMR: Meeting the requirement/Not Meeting the requirement

Notes (if any):

Signature.....
 Name of the Fire Safety Auditor.....
 Email ID.....
 Telephone No.....
 Mobile No.....
 Fire Safety Auditor Level.....Registration No.....
 Stamp.....

29. Form 'K' of the First Schedule is substituted namely:

FORM 'K': YEARLY DECLARATION

[See sub-rule (2) of rule 38]

DECLARATION

UID No.....

Date

It is hereby declared that the (name of the building
or premises) located at.....
.....(address)

Comprised of basement(s) and (upper floors) have
complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with
rule 33 of the Delhi Fire Service Rules, 2010 and issued Fire Safety Certificate
Under Rule 35 vide UIDNO. is valid in accordance with rule
36. The fire prevention and fire safety measures provided in the
building/premises have been checked and tested in accordance with relevant
standards in the presence by owner/occupier on and found
them in place and in good repairs. A record for the same is properly maintained
with me as well as with the owner/occupier.

It is further declared that no additions or alterations have been made in the
building/premises affecting the fire prevention and fire safety measures including
the means of escape and that all exits and passages are free from any
obstruction. This declaration is for the period
from.....to.....

Name of the *Fire Safety Officer/*Fire Safety Auditor.....

Email ID.....

Telephone No.....

Mobile No.....

*(In case of Fire Safety Auditor) Leveland Registration
No.....

Stamp.....

Counter signed(By the owner /occupier)

Signature.....

Name in Block Capitals.....

Email ID.....

Telephone No.....

Mobile No.....

* Strike out whichever is not applicable.

30. Form 'L' of the First Schedule is substituted namely:

FORM 'L': FORM OF NOTICE
[See under sub-rule (1) of rule 41]
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
HEADQUARTERS: DELHI FIRE SERVICE, CONNAUGHT PLACE,
NEW DELHI-1100 01

No.

Dated:

NOTICE FOR DEMAND OF FEE UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 22 OF
THE ACT

WHEREAS the services of the Delhi Fire Service were requisitioned on.....at Hours to assist in the fire fighting and/or rescue operation during the outbreak of fire..... (address of the premises).

WHEREAS (no of appliances) along with members of fire service responded from (name of fire stations) on at hours and returned back to their respective fire stations on..... at..... Hours.

WHEREAS a sum of ₹.....towards the deployment of the Fire Service is due to be paid by you.

NOW THEREFORE, I (name) (Designation) call upon you to pay the said amount within days through bank draft payable to DDO (Headquarters), Delhi Fire Service payable at Delhi or through online payment gateway.

Signature
Director

To

31. In the First Schedule, Form 'U' to be inserted after Form 'T'

FORM 'U'
[See rule 35(2)]
APPLICATION FOR REGISTRATION/EMPENELLMENT TO ACT AS FIRE SAFETY
AUDITOR

To

.....
.....
.....
.....

Photograph of
the Applicant

Sub: Application for registration as well as empanelment to act as Fire Safety Auditor.

The undersigned hereby applies for grant of or renewal of registration as well as empanelment to fulfill the requirement of DFS Rules (Amendment)-2025 to act as a Fire Safety Auditor in any building or part thereof. The particulars regarding the Agency are given below:

Personal Attributes

Table-1

1.	Full Name of the Applicant (In capital letters)	
2.	Whether Fire Safety Auditor will be a Proprietary Concern or an Association of persons such as a Firm or Company, etc.	
3.	Registration No. of Firm or Company (Copies of Registration Certificate, article of Association or another relevant document appended.	
4.	Address	
5.	If the Fire Safety Auditor will be: a) Proprietary concern, the name, qualifications and address of the person operating the same. b) A firm or company, names, qualifications and addresses of each of the partners, or as the case may be, Directors.	
6.	Office address from where the Agency will act as a Fire Safety Auditor	
7.	Bank Account Details to receive the remuneration	

Technical Qualification and Experience

Table-2

1.	Level for which registration is applied for	
2.	Personnel with the Agency- a. Supervisory staff, name, qualifications and addresses of each. b. Other employees-names, qualifications and addresses of each.	
3.	Details of work with regard to fire Prevention and life safety measures, if any, undertaken and executed previously. a. Name or nature of work. b. Whether the work executed or still in progress and remains to be executed. (Note -Original or attested copies of Certificate of verification of above details)	
4.	Technical qualifications and experience of the promoter or partners of directors and dealing	

	technical officers or employees of or with the applicant.	
--	---	--

Professional Attributes

Table-3

1.	Whether enlisted with any other department or Organization in any other State. If so, in which category. a. Has the applicant or his partners or Directors been blacklisted in the past by any Government Department/ organization/other State? b. Has the applicant applied for registration elsewhere in his name or in the name of partner, Director or firm or company? If so, whether the application is rejected? Give particulars.	
2.	Whether the applicant has produced up to date Income tax certificate.	
3.	Amount of indemnity for professional work as Fire Safety Auditor and date of its validity	
4.	Transaction ID/details for the fee remitted to act as Fire Safety Auditor with Authority	
5.	If the application is for renewal of the existing registration, the details old registration number and the period of its validity.	
6.	Whether, the registration to act as Fire Safety Auditor granted anytime previously has been cancelled/blacklisted; and if so, reasons therefor:	

Check List and Undertaking

Table-4

1.	Attested copy of partnership deed and power of attorney or articles of association and memorandum of association or undertaking in case the individual is the sole proprietor of the firm.	YES/NO
2.	Attested copies of education qualifications to act a Fire Safety Auditor.	YES/NO
3.	Certificate regarding experience to act a Fire Safety Auditor.	YES/NO
4.	Certificates regarding satisfactory completion of works carried out for the required experience period.	YES/NO
5.	Attested passport size photographs of partners or directors or individual proprietor and also of the professionals.	YES/NO
6.	Undertaking, stating that his/her firm is not blacklisted by any of the departments of the State Government, local authority or any board or corporation or organization owned or controlled by the State Government or any other State Government.	YES/NO

7.	Address proof of office/branch in NCT of Delhi.	YES/NO
8.	List of technical staff with their qualifications	YES/NO
9.	Copy of indemnity for professional work as Fire Safety Auditor	YES/NO
10.	Any other information and/or documents as may be required in the form 'U'.	YES/NO

I/We hereby solemnly declare that all the information and record provided in form 'U' is true to the best of my/our knowledge.

I/We hereby certify that I/We have not been and will not get myself or ourselves registered as Fire Safety Auditor in the department under more than one name.

*[My previous registration number in Delhi Fire Servicesfor level.....]

*Strike-off, if not applicable

Thanking you,

Yours faithfully

[Signature, Name and Address of the Applicant(s)]

32.The Second Schedule of the Principal Rules is substituted namely:

SECOND SCHEDULE

Limits and Extent of Fire Zones, Fire Divisions, and Fire Sub-Divisions
[See rule 6]

1. Limits and Extent of Fire Zones:

- 1) The limit and extent of East Zone shall be the area bound by:
Entire Area of North-East and East Divisions.
- 2) The limit and extent of West Zone shall be the area bound by:
Entire Area of West, South-West and North West Divisions.
- 3) The limit and extent of North Zone shall be the area bound by:
Entire Area of North, Outer North and Central North Divisions.
- 4) The limit and extent of South Zone shall be the area bound by:
Entire Area of South and South East Divisions.
- 5) The limit and extent of Central Zone shall be the area bound by:
Entire Area of New Delhi, Central and Old Delhi Divisions.

2. Limits and Extent of Fire Divisions:

- 1) The limit and extent of New Delhi Division shall be the area bound by:
Entire area of New Delhi and Delhi Cantonment Sub- Divisions.

- 2) The limit and extent of Central Division shall be the area bound by: Entire area of Patel Nagar and Karol Bagh Sub- Divisions.
- 3) The limit and extent of Old Delhi Division shall be the area bound by: Entire area of Sadar Bazaar and Chandani Chowk Sub-Divisions.
- 4) The limit and extent of North-East Division shall be the area bound by: Entire area of Karawal Nagar, Gokulpur, Yamuna Vihar and Shahdara Nagar Sub-Divisions.
- 5) The limit and extent of East Division shall be the area bound by: Entire area of Gandhi Nagar, Vishwas Nagar and Patparganj Sub-Divisions.
- 6) The limit and extent of North Division shall be the area bound by: Entire area of Burari, Adarsh Nagar and Badli Sub-Divisions.
- 7) The limit and extent of Outer North Division shall be the area bound by: Entire area of Mundka, Narela and Bawana Sub-Divisions.
- 8) The limit and extent of Central North Division shall be the area bound by: Entire area of Shakur Basti, Shalimar Bagh and Model Town Sub-Divisions.
- 9) The limit and extent of South Division shall be the area bound by: Entire area of Chhatarpur, Malviya Nagar, Deoli and Mehrauli Sub-Divisions.
- 10) The limit and extent of South East Division shall be the area bound by: Entire area of Jangpura, Kalkaji and Badarpur Sub-Divisions.
- 11) The limit and extent of West Division shall be the area bound by: Entire area of Vikaspuri, Janakpuri and Rajouri Garden Sub-Divisions.
- 12) The limit and extent of South-West Division shall be the area bound by: Entire area of Najafgarh, Matiala, Dwarka and Bijwasan Sub-Divisions.
- 13) The limit and extent of North-West Division shall be the area bound by: Entire area of Kirari, Nangloi Jat and Rohini Sub-Divisions.

3. Fire Sub-Divisions: The Fire Sub-Divisions shall have fire stations as mentioned against in the table below:

S. No.	Sub Division	Fire Stations Name
1	New Delhi	Rakab Ganj
		Chanakyapuri
		Connaught Circus
		Headquarter
		Supreme Court

		Rashtrapati Bhawan
		Delhi Secretariat
		Civic Centre
		Delhi High Court
2	Delhi Cantonment	*
3	Patel Nagar	Moti Nagar
		Moti Nagar-TC/WS
		Prasad Nagar
		Shankar Road
4	Karol Bagh	J. R. Road
		Naraina
5	Sadar Bazaar	Teliwara
		SPM
6	Chandni Chowk	Town Hall
		Paiwalan
		Daryaganj
7	Karawal Nagar	*
8	Gokulpur	Gokul Pur
		Tahir Pur
9	Yamuna Vihar	Yamuna Vihar
10	Shahdara	Shahdara
11	Gandhi Nagar	Shastri Park
		Laxmi Nagar
		Geeta Colony
12	Vishwas Nagar	CBD Shahdara
13	Patparganj	Kalyan Vas
		Dallupura
		Mandawli
		Mayur Palace
14	Burari	*
15	Adarsh Nagar	*
16	Badli	Jahangirpuri
		Sanjay Gandhi Transport Nagar
17	Mundka	*
18	Narela	Narela
		Bhorgarh
19	Bawana	Bawana
		DSIIDC Bawana
20	Shakur Basti	Paschim Vihar
21	Shalimar Bagh	Keshavpuram

		Netaji Subhash Palace
22	Model Town	Roop Nagar
		Wazirpur
23	Chhatarpur	*
24	Malviya Nagar	Malviya Nagar/ Geetanjali
		Nehru Place
		Bhikaji Cama Palace
25	Deoli	*
26	Mehrauli	Vasant Kunj
27	Jangpura	AIIMS
		Safdarjung
		Mathura Road
28	Kalkaji	Okhla
		Jasola
29	Badarpur	Sarita Vihar
		Okhla Ph-I
30	Vikaspuri	Tikri
31	Janakpuri	Janakpuri
32	Rajouri Garden	Hari Nagar
		Kirti Nagar
33	Najafgarh	Najafgarh
		Jaffarpur
34	Matiala	*
35	Dwarka	Dwarka
		Yashobhoomi (DWK-25)
36	Bijwasan	*
37	Kirari	Rohini Sec-41
		Mangolpuri
38	Nangloi Jat	Jawalapuri
		Jawala Heri
		Udhyog Nagar
39	Rohini	Rohini Sec-05
		Rohini Sec-16

*Fire Station(s) to be constructed

(4) Limits and Extent of Fire Sub-Divisions:

1) The limit and extent of New Delhi Sub-Division shall be the area bound by Rakab Ganj, Chanakya Puri, Connaught Circus, Headquarter, Supreme Court,

Rashtrapati Bhawan, Delhi Secretariat, Civic Center & Delhi High Court Fire Stations.

2) The limit and extent of Delhi Cantonment Sub-Division shall be the area bound by- *Fire Station(s).

3) The limit and extent of Patel Nagar Sub-Division shall be the area bound Moti Nagar, Moti Nagar- TC/ WS, Prasad Nagar & Shankar Road Fire Stations.

4) The limit and extent of Karol Bagh Sub-Division shall be the area bound by J. R. Road and Naraina Fire Stations.

5) The limit and extent of Sadar Bazaar Sub-Division shall be the area bound by SPM Marg and Teliwara Fire Stations.

6) The limit and extent of Chandni Chowk Sub-Division shall be the area bound by Town Hall, Paiwalan and Daryaganj Fire Stations.

7) The limit and extent of Karawal Nagar Sub-Division shall be the area bound by - *Fire Station(s).

8) The limit and extent of Gokul Pur Sub-Division shall be the area bound by GokulPur & Tahirpur Fire Stations.

9) The limit and extent of Yamuna Vihar Sub-Division shall be the area bound by Yamuna Vihar Fire Stations.

10) The limit and extent of Shahdara Sub-Division shall be the area bound by Shahdara Fire Station.

11) The limit and extent of Gandhi Nagar Sub-Division shall be the area bound by Shastri Park, Laxmi Nagar & Geeta Colony Fire Stations.

12) The limit and extent of Vishwas Nagar Sub-Division shall be the area bound by CBD Shahdara Fire Station.

13) The limit and extent of Patparganj Sub-Division shall be the area bound by Kalyan Vas, Dallupura, Mandawali & Mayur Palace Fire Stations.

14) The limit and extent of Burari Sub-Division shall be the area bound by - *Fire Station(s).

15) The limit and extent of Adarsh Nagar Rohini Sub-Division shall be the area bound by - *Fire Station(s).

16) The limit and extent of Badli Sub-Division shall be the area bound by Jahangir Puri & Sanjay Gandhi Transport Nagar Fire Stations.

17) The limit and extent of Mundka Sub-Division shall be the area bound by - *Fire Station(s).

- 18) The limit and extent of Narela Sub-Division shall be the area bound by Narela & Bhorgarh Fire Stations.
- 19) The limit and extent of Bawana Sub-Division shall be the area bound by Bawana & DSIIDC Bawana Fire Stations.
- 20) The limit and extent of Shakur Basti Sub-Division shall be the area bound by Paschim Vihar Fire Station.
- 21) The limit and extent of Shalimar Bagh Sub-Division shall be the area bound by Keshav Puram & Netaji Subhash Palace Fire Stations.
- 22) The limit and extent of Model Town Sub-Division shall be the area bound by Roop Nagar & Wazirpur Fire Stations.
- 23) The limit and extent of Chhatarpur Sub-Division shall be the area bound by-
*Fire Station(s).
- 24) The limit and extent of Malviya Nagar Sub-Division shall be the area bound by Geetanjali, Nehru Place & Bhikaji Cama Palace Fire Stations.
- 25) The limit and extent of Deoli Sub-Division shall be the area bound by- *Fire Station(s).
- 26) The limit and extent of Mehrauli Sub-Division shall be the area bound by Vasant Kunj Fire Station.
- 27) The limit and extent of Jangpura Sub-Division shall be the area bound by AIIMS, Safdarjung and Mathura Road Fire Stations.
- 28) The limit and extent of Kalkaji Sub-Division shall be the area bound by Okhla and Jasola Fire Stations.
- 29) The limit and extent of Badarpur Sub-Division shall be the area bound by Sarita Vihar & Okhla Ph-1 Fire Stations.
- 30) The limit and extent of Vikaspuri Sub-Division shall be the area bound by Tikri Fire Station.
- 31) The limit and extent of Janakpuri Sub-Division shall be the area bound by Janakpuri Fire Station.
- 32) The limit and extent of Rajouri Garden Sub-Division shall be the area bound by Hari Nagar & Kirti Nagar Fire Stations.
- 33) The limit and extent of Najafgarh Sub-Division shall be the area bound by Najafgarh & Jaffarpur Fire Stations.
- 34) The limit and extent of Matiala Sub-Division shall be the area bound by -

*Fire Station(s).

35) The limit and extent of Dwarka Sub-Division shall be the area bound by Dwarka and Yasho Bhoomi Fire Stations.

36) The limit and extent of Bijwasan Sub-Division shall be the area bound by -
*Fire Station(s).

37) The limit and extent of Kirari Sub-Division shall be the area bound by Rohini Sec-41 & Mangol Puri Fire Stations.

38) The limit and extent of Nangloi Jat Sub-Division shall be the area bound by Jawala Puri, Jawala Heri and Udhyog Nagar Fire Stations.

39) The limit and extent of Rohini Sub-Division shall be the area bound by Rohini Sec-05 & Rohini Sec-16 Fire Stations.

5. Limits and Extent of Fire Stations:

(1) Mayur Place Fire Station: The limits and extent of Mayur Place Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) From NE3 to Chand Cinema Road via Patparganj Road (to the south of Sanjay Park Lake).
- (ii) From Chand Cinema Road to Vasundhara Road till UP border.
- (iii) Along the UP border to Noida Link Road.
- (iv) Noida Link Road to NE3 towards Patparganj Road.

(2) Dallupura Fire Station: The limits and extent of Dallupura Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) From Gazipur Gol Chakkar till U.P. border.
- (ii) Along the boundary of U.P. border via Pragati Marg (both sides) to Saheed Captain Sameer Bhan Marg.
- (iii) From Saheed Captain Sameer Bhan Marg to Gazipur Gol Chakkar via Gazipur Road (along the drain).

(3) Kalyan Vas Fire Station: The limits and extent of Kalyan Vas Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) From Natraj Chowk (on NE3) to Chand Cinema Road via Patparganj Road.
- (ii) From Chand Cinema Road to Khichripur Road
- (iii) Khichripur Road to Gurjar Samrat Mihir Bhoj Marg towards Sanjay Lake Park.
- (iv) Gurjar Samrat Mihir Bhoj Marg to Chand Cinema Road.

(4) Mandawali (MIP) Fire Station: The limits and extent of Mandawali Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) From Yamuna River Bridge on NH24/ Delhi-Meerut Expressway to UP Border (Noida).
- (ii) Along the boundary of UP border to the Railway line of Anand Vihar Railway station.
- (iii) Along the Railway Line of Anand Vihar Railway station up to Yamuna River.

(5) Laxmi Nagar Fire Station: The limits and extent of Laxmi Nagar Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Master Plan Road to New Patparganj Road Crossing to Swami Dayanand Marg (Karkari Mor Chowk).
- (ii) From Swami Dayanand Marg (towards Mandawali) to the Railway line Anand Vihar.
- (iii) Along the boundary of the Railway line up to Yamuna River.
- (iv) Vikas Marg Both Side Up to New Patparganj Road Crossing.
- (v) From Yamuna River to Master Plan Road.

(6) CBD Shahdara Fire Station: The limits and extent of CBD Shahdara Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) From Krishna Nagar Metro Station (on the junction of Swami Dayanand Marg & Gurudwara Road) to Maharishi Valmiki Marg to Gurudwara Road to Maharaja Surajmal Marg up to Delhi Shahdara Outer Cabin Railway line.
- (ii) Along the Railway line up to Ch. Charan Singh Marg (Crossing Ghazipur Drain).
- (iii) From Ch. Charan Singh Marg to the crossing of Anand Vihar Railway Station Line.
- (iv) Along the boundary of Anand Vihar Railway Station railway line to Swami Dayanand Marg.
- (v) From Swami Dayanand Marg to Gurdwara Road.

(7) Geeta Colony Fire Station: The limits and extent of Geeta Colony Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Railway Line Pusta Road to Kailash Nagar Railway Line Crossing.
- (ii) Railway Line Crossing to Swami Dayanand Marg Upto Master Plan Road.
- (iii) Master Plan Road to Pusta Road.

(8) Shahdara Fire Station: The limits and extent of Shahdara Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Main Road Jafrabad Up to BabarPur Road.
- (ii) GT Road to Swami Dayanand Marg to Gurudwara Road.
- (iii) From the junction of Swami Dayanand Marg & Gurudwara Road to Maharishi Valmiki Marg to Gurudwara Road to Maharaja Surajmal Marg to Tahirpur Road (Crossing Delhi Shahdara Outer Cabin Railway line).
- (iv) From Tahirpur Road to G T Road Railway Line Crossing.
- (v) Along the boundary of the Railway line to Main 100-Foot Road.
- (vi) Along the boundary of U.P. Border to Main Mandoli Marg.
- (vii) Main 100 Feet Road to Nathu Colony Chowk to Durga Puri Chowk.

(viii) Durga Puri Chowk to Babar Pur Road.

(9) Tahirpur Fire Station: The limits and extent of Tahirpur Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) GT Road Railway Line Crossing to UP Border to Gagan Vihar Both Side of Road.
- (ii) Border To Mandoli Marg Crossing Wazirabad Road Both Side.
- (iii) Along the boundary of UP border to Railway line Crossing Shahdara at Ghazipur Drain.
- (iv) Along the boundary of Railway line Crossing Shahdara to Delhi Shahdara outer cabin to Tahirpur Road to GT Road Railway Line Crossing.

(10) Gokul Pur Fire Station: The limits and extent of Gokul Pur Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Nathu Colony Chowk to Zafrabad Road Crossing Road No 66.
- (ii) Jafrabad Road to Maujpur Main Marg to 5th Pusta Road.
- (iii) 5th Pusta Road to Marginal Bandh Road to Karawal Nagar Pusta Road.
- (iv) Karawal Nagar Pusta Road to Loni Road Via Jawahar Nagar Upto Border.
- (v) Jawahar Nagar Industrial Area to Mandoli Village Via Loni Road.

(11) Yamuna Vihar: The limits and extent of Yamuna Vihar Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Khazoori Khas Metro Station to Wazirabad Road to Gokalpuri Flyover Shahdra Drain
- (ii) Nala Road to Maujpur Babarpur main road junction.
- (iii) Maujpur Babarpur main road junction via maujpur/Gamri main road to 5th pushta road junction to khazoorikhas metro station golchakkar.

(12) Shastri Park Fire Station: The limits and extent of Shastri Park Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Old Bridge GT Road Metro Line Crossing to Including Metro Stations to Jaffarabad
- (ii) MCD Colony to Wazirabad Baghpat Marginal Road Crossing.
- (iii) Baghpat Road Crossing to Sonia Vihar Pusta Road Up to UP Border (Tronic City Right Side).
- (iv) GT Road to Yamuna Vihar Road.

(13) Jasola Fire Station: The limits and extent of Jasola Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) From Tughlakabad East Cabin Railway line opposite to Jasola Apollo metro station road (along the boundary of railway line towards North direction) up to Mahatma Gandhi Flyover/Mudrika Marg.
- (ii) From Mahatma Gandhi Flyover/Mudrika Marg to DND Flyover upto Yamuna River.

- (iii) Along the boundary of Yamuna River to Atlantic World via Kalindi Kunj Road.
- (iv) From Atlantic World via Vishwas Ji Sadak to NH148 towards Apollo Hospital/Tughlakabad East Cabin Railway line.

(14) Sarita Vihar Fire Station: The limits and extent of Sarita Vihar Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Mathura Road Apollo Hospital Crossing (Sarita Vihar) To Border (Badarpur Border) Both Sides Along with Railway Track.
- (ii) Badarpur Border to Yamuna River
- (iii) Along With Yamuna River to Kalindi Kunj Road Crossing to Mathura Road Apollo Crossing Via Road No 13 A (Sarita Vihar Side).

(15) Okhla Phase –III Fire Station: The limits and extent of Okhla Phase –III Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Outer Ring Road Railway Line to Ma Anandmayee Crossing.
- (ii) Ma Anandmayee Marg Upto Okhla Estate Marg Crossing.
- (iii) Okhla Estate Marg Crossing to Railway Line (Road No 13 A) Along with Railway Line Upto Outer Ring Road.

(16) Okhla Phase – I.- The limits and extent of Okhla Phase – I Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Ma Anandmayee Marg and Okhla Estate Marg Crossing to On Ma Anandmayee Marg Both Sides Upto Border Surrounded by Road No 13 Towards Border and Railway Track (Left-Hand side of Railway track up to border and Anandmayee Marg)
- (ii) Guru Ravi Dass Marg / Okhla Industrial Estate Marg Crossing Towards Mehrauli Badarpur Road Towards Batra Hospital Up to Deoli Road.
- (iii) From Deoli Road to Nai Basti Road to Ch. JuglalBhure Marg to Holi Chowk.
- (iv) From Holi Chowk to Shani Bazar Main Road up to Border, Right-hand side of Deoli-Nai Basti-JuglalBhure-Shani Bazar Road. (Including Asola Wildlife Sanctuary, Bhatti Mines, Krishna Parvat, Cap Fims Govt. Office, Aravali Hill View Point Sunrise, Sangam Vihar Church, Sangam Vihar Forest, Neeli Jheel, Devli)
- (v) Along the boundary of Haryana Border up to Railway lines Badarpur.

(17) Nehru Place Fire Station: The limits and extent of Nehru Place Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Modi Flour Mill / Bhaktivedanta Road Crossing to Kalkaji Flyover to Ma Anandmayee Road to Okhla GolChakkar to Okhla Estate Marg to junction of Guru Ravi Dass Marg & Okhla Estate Marg.
- (ii) From the junction of Guru Ravi Dass Marg & Okhla Estate Marg to Mehrauli-Badarpur Road.
- (iii) From Mehrauli-Badarpur Road to Mandir Marg to Court Chowk Road to DT Chaurahato Lt. Shaheed Pankaj Juyal Marg to Press Enclave Marg.

- (iv) From the Junction of Lt. Shaheed Pankaj Juyal Marg & Press Enclave Marg to Khirki Main Road to Maharishi Dayanand Marg.
- (v) Maharishi Dayanand Marg to Basant Kaur Marg to Shivalik Road to Inderjeet Verma Marg upto Sri Aurobindo Marg.
- (vi) From Sri Aurobindo Marg to Balbir Saxena Marg to August Kranti Marg (Siri Fort Road) up to BRT Corridor.
- (vii) From Joseph Broz Tito Marg to Lala Lajpat Rai Road to Kalka Devi Marg to Captain Gaur Marg to Modi Flour Mill / Bhaktivedanta Road Crossing.

(18) Malviya Nagar(Geetanjali) Fire Station: The limits and extent of Malviya Nagar(Geetanjali) Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) From the junction of Sri Aurobindo & Inderjeet Verma Marg to Geetanjali Marg (on Shivalik road).
- (ii) From Shivalik road to Maharishi Dayanand Marg to Khirki Main Road to Press Enclave Marg to Late Saheed Pankaj Juyal Marg to Court Chowk ROAD.
- (iii) From Court chowk road to Mandir margto the junction of MB road
- (iv) From Deoli Road to Nai Basti Road to Ch. JuglalBhure Marg to Holi Chowk.
- (v) From Holi Chowk to Shani Bazar Main Road up to Border, Left-hand side of Deoli-Nai Basti-JuglalBhure-Shani Bazar Road. (Including Adarsh Enclave, Radha Swami Satsang, Hanuman Bhakti Mandir, Kholi Dham, Mata Kali Mandir, Jirkhod Mandir, Dera Village, Sant Hari Das Mandir)
- (vi) Along the border of Haryana (Faridabad-Gurgaon Road) to Mehrauli Gurgaon Rd 148A to Acharya Shri Tulsi Marg to Crescent Road to Sri Aurobindo Marg up to MMTC/Inderjeet Verma marg.

(19) Vasant Kunj Fire Station: The limits and extent of Vasant Kunj Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) From Chattarpur metro station (On Acharya Shri Tulsi Marg) towards Vasant Kunj Marg to Aruna Asaf Ali Road (enclosing Kishangarh village).
- (ii) From Aruna Asaf Ali Marg to Baba Gang Nath Marg to NH 148AE
- (iii) From NH 148AE to New Rao Tula Ram Marg Via Palam Fly-over.
- (iv) From Rao Tula Ram Marg to NH-48.
- (v) From NH-48 to Haryana Border, along the boundary of Haryana Border to Acharya Shri Tulsi Marg up to Chattarpur Metro Park.
- (vi) From Chattarpur Metro Park to Abdul Gaffar Khan Marg/Vasant Kunj Road to Aruna Asaf Ali Road.

(20) Safdarjung Fire Station: The limits and extent of Safdarjung Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) From Race Course Opposite Samrat Hotel at Kemal Ataturk Marg Road (Upto Drain) To Crossing of Safdarjung Road, Akbar Road, Rajaji Marg, Teen Murti Marg Via Akbar Road to Crossing of Krishna Menon Marg Via Tees January Marg Upto Crossing of Janpath and Aurangzeb Road Via Aurangzeb Road Upto Taj ManSingh Crossing Via Humayun Road Upto Crossing Subramaniam Bharti Marg Via Subramania Bharti Marg Up to

- Crossing of ArchBishop Marg Via Arch Bishop Marg to Lodhi Road Crossing,
- (ii) From Lodhi Road Crossing to the crossing of Lodhi Road and Lala Lajpat Rai Road.
 - (iii) Lodhi Road Flyover to Moolchand Crossing Via Lala Lajpat Rai Road (BRT) And Via Joseph Brij Tito Marg Upto Siri Fort Crossing.
 - (iv) From Crossing BRT / Siri Fort Road Via Siri Fort Road Up to August Kranti Marg Crossing.
 - (v) From Balbir Saxena Marg to Aurobindo Marg up to Green Park Metro Station.
 - (vi) From Hukum Chand Marg to Ch. Jhandu Singh Marg/Nauroji Nagar Marg.
 - (vii) From Crossing of Jhandu Singh Marg and Africa Avenue Road Upto Crossing of Ring Road and Africa Avenue.
 - (viii) From Africa Avenue Road Upto Railway Line Both Side Via Hoshiar Singh.
 - (ix) Area Surrounded Railway Line and Safdarjung Road and Drain Containing Safdarjung Tomb, Golf Course Etc Excluding Vinay Marg.

(21) Mathura Road Fire Station: The limits and extent of Mathura Road Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Mathura Road Lala Lajpat Rai Road and Dr Zakir Hussain Marg Junction to Lala Lajpat Rai Road to Moolchand Crossing at Ring Road to Kalka Devi Marg to Crossing Captain Gaur Marg Upto Modi Flour Mill Crossing to Railway Line.
- (ii) Along the boundary of Railway line up to Mahatma Gandhi Flyover/Mudrika Marg.
- (iii) Mahatma Gandhi Flyover/Mudrika Marg to DND Flyover up to Yamuna River.
- (iv) Along the boundary of Yamuna River to Nizamuddin Bridge
- (v) Nizamuddin Bridge to Mahatma Gandhi Road to Bharat Scouts & Guides Marg (Crossing Railway Line).
- (vi) Bharat Scouts & Guides Marg to Sabz Burj Circle to Lodhi Road to Lala Lajpat Rai Road.

(22) Bhikaji Cama Place Fire Station: The limits and extent of Bhikaji Cama Place Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) From the Crossing of Ring Road & Africa Avenue Road to Ch. Chaudhary Jhandu Singh Road to Green Park Extension Road Towards Mohinder Hospital Upto Aurobindo Marg Crossing to Adhchini up to Chattarpur Metro Park.
- (ii) From Chattarpur Metro Park to Abdul Gaffar Khan Marg/Vasant Kunj Road to Aruna Asaf Ali Road.
- (iii) Aruna Asaf Ali Road to the crossing of Baba Ganga Nath Marg & Vedant Desika Mandir Marg.
- (iv) Baba Ganga Nath Marg to Nelson Mandela Marg up to Palam Flyover on New Rao Tula Ram Marg.
- (v) From the junction of New Rao Tula Ram and Rao Tula Ram Marg to Shantipath Crossing on Rao Tula Ram Marg.

(vi) From Shantipath Crossing on Rao Tula Ram Marg to the Crossing of Ring Road & Africa Avenue Road

(23) Chanakyapuri Fire Station: The limits and extent of Chanakyapuri Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Right Side Samrat Hotel, Ashok Hotel Via Vinay Marg Both Side Upto Railway Line Yashwant Place Via, Satya Marg to Niti Marg to Crossing at Shanty Path, Via Shantipath Both Sides Upto Ring Road.
- (ii) Crossing Ring Road and Shantipath Via Rao Tula Ram Marg Right Side Upto Outer Ring Road Crossing (West End Colony) Via Rao Tula Ram Marg To NH-48 Up to UER-II Including Airport.
- (iii) From Area on Left Side Samarat Hotel Via Kautilya Marg Via Teen Murti Marg Via South Avenue Via DalHousie Road, Via Motilal Nehru Via Krishna Menon Marg Back Side of Akbar Road (Krishna Menon Lane) Via Rajaji Marg to Teen Murti Marg Crossing on Teen Murti Lane to Crossing of Kamal Atatürk Road.
- (iv) Junction Of Teen Murti Via Willington Crescent Upto 11 (Eleven) Murti, From 11 Murti to Mudrika Marg/ Mahatma Gandhi Road to Maude Road upto the crossing of Thimaya Marg & Cariappa Marg.
- (v) From Cariappa Marg Crossing to Shaeed Bhagat Singh Road Up to Railway line crossing.
- (vi) Along the Railway line to UER-II to NH-48.

(24) Narela Fire Station: The limits and extent of Narela Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) North East Side of West Yamuna Canal Containing Ghogha, Lampur Border, Bakner Narela Singhola, Singhu Border, Tajpur Kala, Bakhtawar Pur, Jhingola to Yamuna River – Ibrahim Pur – Nangli Poona GT Road.

(25) DSIDC Bhorgarh Fire Station: The limits and extent of DSIDC Bhorgarh Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) North East Side of West Yamuna Canal Containing Industrial Area Bhorgarh, Tikri Khurd Shahpur Garhi, Alipur Holambi Kala, Holambi Khurd, and Sanot.
- (ii) From Western Yamuna Canal to NH-44 to Bawana-Narela Road to UER-II to NH-44 (GT Road).

(26) Bawana Fire Station: The limits and extent of Bawana Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Ghevra Railway Crossing (West Side) Containing Rashid Pur, Nizam Pur, GhariRanhola, TonlyTitesar, Punjab Khor, Qutabgarh, MungeshPur, AuchandiPur, Harewali, Darya Pur Kalan Bawana – Narela Ghevra Road – Chandpur – Kanjhawala – Ghevra Crossing.

(27) DSIDC Bawana Fire Station. The limits and extent of DSIDC Bawana Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) From Junction Of UER-II and Badli-Bawana Road upto Rohini Heliport to Narela-Ghevra Road.
- (ii) From Narela-Ghevra Road to Western Yamuna Canal including Sultanpur Dabas, Ishwar Colony.
- (iii) Along Western Yamuna Canal to UER-II

(28) Roop Nagar Fire Station: The limits and extent of Roop Nagar Fire Station shall be the Area Bounded By:

- (i) Junction (NH1 and Burari Sant Nagar) – Sant Nagar Burari Road (East Side) JagatPur, Milan Vihar Upto Yamuna River Including River.
- (ii) Baraf Khana – Pul Bangash- Roshanara Road- Area Upto East of Railway Track –Dilkhush Industrial Area to Junction at NH1 And Burari Transport AuthorityContaining the entire Delhi University Model Town Shakti Nagar Etc.

(29) Sanjay Gandhi Transport Nagar Fire Station: The limits and extent of Sanjay Gandhi Transport Nagar Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) From Shaheed Captain Vikram Batra Chowk (Mukarba Chowk) to Railway Crossing on Outer Ring Road.
- (ii) Along the boundary of Railway line up to Holambi Village Park to Alipur Chowk via Budhpur-Alipur Road.
- (iii) From Alipur Chowk to Budhpur- Narela Road to Nangli Ibrahim Road towards Nathupura upto Swaroop Nagar Road.
- (iv) From Swaroop Nagar Road to Gurudwara Road up to Bhalswa Golf course on Outer Ring Road including MCD Dump, Bhalswa Dairy & Swaroop Nagar.
- (v) From Outer Ring Road to Shaheed Captain Vikram Batra Chowk (Mukarba Chowk).

(30) Jahangir Puri Fire Station: The limits and extent of JahangirPuri Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Crossing of Outer Ring Road & Railway Line at Mukarba Chowk to Gurudwara Road near Bhalswa Lake to crossing of Gurudwara Road & Swaroop Nagar Road.
- (ii) From Swaroop Nagar Road up to the junction of Swaroop Nagar & Dr. Vinod Kumar Singh Marg to Mangat Ram Marg via Burari Road.
- (iii) From Mangat Ram Marg up to Yamuna River including Pardeep Vihar, Suleman Majra Burari, Badarpur Majra.
- (iv) From the other side of Yamuna to Border including Khanpur Tyagi.
- (v) Along the boundary of Yamuna River to Sant Nagar Marg to Sant Nagar.
- (vi) From Sant Nagar to Outer Ring Road to Mukundpur Flyover to Azadpur Flyover via Arihant Marg.
- (vii) From Railway Line Crossing at Azadpur Flyover to Crossing of Outer Ring Road Railway line.

(31) Rohini Sector-16 Fire Station. The limits and extent of Rohini Sector – 16 Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) From Madhuban Chowk to Rohini Heliport.
- (ii) From Rohini Heliport to Railway line Crossing via UER-II.
- (iii) Along the Railway line to the crossing of Outer Ring Road & Railway Line to Madhuban Chowk.
- (iv) Containing Sector-10,11, 13,14, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30,31, 34, 35, 36, & Badli Industrial Area, DCE Upto The Railway Line (Westside).

(32) Rohini Sector -5 Fire Station: The limits and extent of Rohini Sector -5 Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Junction At Madhuban Chowk to Rohini Heliport via Bhagvan Mahavir Marg.
- (ii) Rohini Heliport to Kanjhawala Industrial Area via Narela Road to Ghevra Railway Station up to Najafgarh Drain along Railway Line.
- (iii) From the crossing of Najafgarh Drain & Kanjhawala Road to Police Line to Madhuban Chowk.

(33) MangolPuri Fire Station: The limits and extent of MangolPuri Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Junction At Outer Ring Road Near Police Line Bajaj Chowk Via Budh Vihar Marg
 - a. Upto Najafgarh Drain (Budh Vihar Nalah) Along with Drain Upto Railway Line.
- (ii) From Railway line to Outer Ring Road Via Mangolpuri Railway Station.
- (iii) From Outer Ring Road to Police line junction.

(34) Rohini Sector 41: The limits and extent of Rohini Sec-41 Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Ghevra Railway line towards Bawana via Narela road to Dada Durali Road
- (ii) Dada Durali road to UERII to Bhagwan Mahavir Marg Junction to Kanjhawala UERII Junction.
- (iii) Kanjhawala Road Junction to Najafgarh Drain
- (iv) Ghevra Railway line to Najafgarh Drain via Railway Line.

(35) Netaji Subash Palace: The limits and extent of Netaji Subash Palace Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) MG Marg and Wazirpur flyover junction to Road No.44 and Lala Jagatram Road junction to Road No.44 and Kabirdas Marg Junction via Road No.44.
- (ii) Via Kabirdas Marg to Abdul Hamid Marg and Kabirdas Marg Junction to Asia Rajmarg via Abdul Hamid Marg.
- (iii) Asiaraj Marg to MG Marg and Wazirpur flyover junction.

(36) Udyog Nagar Fire Station: The limits and extent of Udyog Nagar Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) From Nangloi Chowk market (on Rohtak road) to Nangloi underpass.

- (ii) From Nangloi underpass to Rohtak railway lines (towards Peeragarhi Chowk fly over)
- (iii) From Peeragarhi flyover to Peeragarhi Chowk
- (iv) From Peeragarhi Chowk to Nangloi Chowk market.

(37) Keshav Puram Fire Station: The limits and extent of Keshav Puram Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Junction At (Police Line Pitampura and Outer Ring Road) Upto HaiderPur Nahar (Western Yamuna Canal) Via Outer Ring Road.
- (ii) Along With Western Yamuna Canal Via Prembadi Upto Interlock Metro Station to Swami Narayan Marg to Shastri Nagar Vaishno Temple to Crossing Of (Kali Dass Marg and Swami Narain Marg) to Old Rohtak Road from Sarai Rohilla Put to Zakhira Railway Crossing Then Along with Railway Line (NorthSide Up to Shakur Basti.
- (iii) ShakurBasti to Outer Ring Road Police Line Pitam Pura Chowk Via Guru Harikishan.

(38) Wazirpur Fire Station: The limits and extent of Wazirpur Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) West of the Railway Track – North of Najafgarh Drain - South of Ring Road –Weston Yamuna Canal (East Side) Having Locality Haiderpur Shalimar Village
- (ii) Kela Godown Ring Road, Wazirpur Industrial Area – Ashok Vihar – Satyawati
- (iii) College – Swarm Park – Laxmi Bai College – Shakti Nagar Extension.

(39) PVC Market Tikri Kalan Fire Station: The limits and extent of PVC Market Tikri Kalan Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Ghevra Railway Station to Mundka Village,
- (ii) Phirni Road to NilwalPhirni Road to Bahadurgarh Border.

(40) Jawalapuri Fire Station: The limits and extent of Jawalapuri Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Ranhola Village Road Towards Phirni Road,
- (ii) Nilothi Village to Phirni Road,
- (iii) Saiyyad Nangloi To KeshoPur Nalah Drain (Outer Ring Road)
- (iv) Outer Ring Road to Peeragarhi Rohtak Railway Line Upto Ghevra Railway Station
- (v) Ghevra Railway Station to Neelwal Village along the Madanpur Drain.

(41) Paschim Vihar Fire Station: The limits and extent of Paschim Vihar Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Junction At Ordnance Depot and Bharti Vidyapeeth Via Baba Ram Dev Marg (Raghubir Nagar Marg) Up to Raghubir Nagar Drain Bridge Then Along with Drain

- a. Up to Punjabi Bagh Ring Road
- (ii) Punjabi Bagh Ring Road to Railway Line Sakur Basti Via Rohtak Road to Ordnance Depot and Bhartiya Vidya Peeth Junction.

(42) Jwala Heri Fire Station: The limits and extent of Jwala Heri Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Junction At Ordnance Depot and Bharti Vidyapeeth to junction of Railway line & Outer Ring Road near Peeragarhi Flyover via Rohtak Road including New Multa Nagar.
- (ii) From Rohtak Road to Najafgarh Drain.
- (iii) Along the Najafgarh drain including Sayed Gaon, Bhera Enclave up to Vikaspuri Flyover.
- (iv) From Vikaspuri Flyover to Baba Ramdev Marg to Bharti Vidyapeeth.

(43) Moti Nagar Fire Station: The limits and extent of Moti Nagar Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Junction Of (Railway Line at Transport Centre Punjabi Bagh and Ring Road) Via Ring Road Upto Drain Behind ESI Hospital Along with Drain Through Raghbir Nagar To Chaukhandi, Khyala Via Najafgarh Road Upto Moti Nagar Junction (Moti Nagar Fire Station).
- (ii) Moti Nagar Junction to Patel Road to Railway Line ShadiPur Depot to Junction at Transport Centre Rohtak Road. Punjabi Bagh Including DLF Industrial Area.

(44) Kirti Nagar Fire Station: The limits and extent of Kirti Nagar Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Junction Fun Cinema Via Natraj Road to Junction at Rama Road to Kirti Nagar Metro Station to Railway Line and Along with Railway Line Upto Ring Road Mayapuri Flyover to Ring Road Upto Raja Garden and Shivaji Marg Crossing.
- (ii) Junction At Shivaji Marg to Natraj Crossing.

(45) Training Centre/Workshop Fire Station. The Training Centre/Workshop Fire Station shall have no operational jurisdiction/ boundary and specialized firefighting equipment and appliances deployed shall be available for use in any area on demand

(46) Najafgarh Fire Station: The limits and extent of Najafgarh Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Kakrola Drain (Nalah) Up to Dhansa Badli (Haryana Border) Road, Right side of Najafgarh Dhansa Road containing Issapur Village, Bakkargarh Village, Mundhela Kalan Village, Mundhela Khurd, Mitraon, Mitraon Forest, Surakhpur, Naveen Palace, Jharoda Kalan, Dichaon Kalan.
- (ii) Along the border of Haryana towards Bahadurgarh up to Mungeshpur Drain to BL Bhardwaj Charitable Hospital Road to Bairagi Road to Najafgarh Road (Kakrola Drain).

- (iii) Along the West Bank of Kakrola Drain upto Haryana Border-Along the boundary of Haryana Border to Ghumanhera Bridge.
- (iv) From Ghumanhera Bridge to Saheed Rao Laxmi Chand Marg up to Mitraon School via Mitra on Phirni Road containing Qutub Vihar, Chhawla, Kanganheri, Nanakheri, Jhatikra, Shikarpur, Ghumanhera, Asalatpur, Pandwala Kalan, Kharkhari Nahar, Deenpur, Goyla More, Goyla Dairy.

(47) Janak Puri Fire Station: The limits and extent of JanakPuri Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Junction At Tilak Nagar Police Station and Shivaji Marg to Chaukhandi Road to Keshav Pur Depot Then Along with Drain Upto Kakrola More.
- (ii) Junction At Kakrola More to Shivaji Marg to Railway Line Via Red No 201 Upto Sagarpur Palam Road and Then Via Sagarpur Palam Road to Nangal Raya to Jail Road Upto Tilak Nagar Chowk to P. S. Tilak Nagar Via Shivaji Marg.

(48) Hari Nagar Fire Station: The limits and extent of Hari Nagar Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Crossing at Najafgarh Road and Ring Road – Ring Road (West Side) – Crossing of Railway Track and Ring Road – Area on North Side of Railway Track to Crossing of Jail Road – Jail Road – Crossing of Najafgarh Road and Ring Road Containing Rajouri Garden, Mayapuri Industrial Area Phase – I And Phase –II, Khajan Basti, DTC Colony, Ashok Nagar, Tihar Village, Ashok Nagar Etc.

(49) Dwaraka Fire Sector-6 Fire Station: The limits and extent of Dwaraka Fire Sector-6 Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) From Junction At (Kakrola More and Azad Hind Road and Shivaji Marg) to Najafgarh Drain Via Shivaji Marg Along with East Bank of Drain Passing Through Kakrola Village Sector 16B, 16C, 16D, 24, Dhul Siras up to UER-II.
- (ii) UER-II up to Bhartal Underpass (Junction of Railway line and UER-II)
- (iii) Along the boundary of the Railway line towards Palam up to Dwarka Road.
- (iv) From Bhartal Underpass (Crossing of Railway line and UER-II) Along with The Railway Line Passing Through Sector 21, Raj Nagar to Road No 201(Palam Najafgarh) Covering Area on West Side of Railway Track Via Palam Najafgarh Road Up to Kakrola More Junction (Drain) Nala.

(50) Yashobhoomi Fire Station. The limits and extent of Yashobhoomi Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) From UER-II at the East Bank of Drain via Bhartal underpass up to NH-48.
- (ii) From NH-48 towards Haryana-Gurgaon Border up to Border.
- (iii) Along the boundary of Haryana Border crossing Dwarka Expressway up to Drain.
- (iv) Along the East Bank of Drain crossing Najafgarh-Kapashera Road up to UER-II Containing Bhartal, Dwarka Sec-29,28,25, Yashobhoomi, Bijwasan, Palam Farms, Salapur Khera Village, Samalka, Kapashera Estate.

(51) Shankar Road Fire Station: The limits and extent of Shankar Road Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Crossing Of Naraina Road and Patel Road Via Patel Road Right Side Upto Siddhartha Hotel Crossing Via Pusa Road Right Side Area Up to Dayal Chowk.
- (ii) From Dayal Chowk Via Ridge Road Up to Vande Matram Chowk Via Shankar Road Upto Junction of Mandir Marg and Park Street (Talkatora Stadium) Ridge Road
- (iii) From Vande Mataram Chowk to Simon Bolivar Marg Crossing Via Ridge Road to Ridge Road Area on Both Sides (All Ridge Area) Up to Dashghara Via Link Road.

(52) Prasad Nagar Fire Station: The limits and extent of Prasad Nagar Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) From Shadipur Depot Upto Railway Line Back Side Of DMS, Patel Nagar Railway Station Via Prem Nagar, Nehru Nagar Upto New Rohtak Road, Guru Govind Singh Marg, Via Guru Gobind Singh Marg Upto Liberty Cinema Via Guru Ravi Dass Marg Upto Crossing of D B Gupta Road (Khalsa College Chowk).
- (ii) From Khalsa College Chowk Via D B Gupta Road to PS Karol Bagh
- (iii) From P S Karol Bagh Via Ajmal Khan Road Upto Karol Bagh Metro Station Area on Right Side
- (iv) All W.E.A. Area
- (v) Karol Bagh Metro Station to Shadipur Depot Via Pusa Road and Patel Road Area on Right Side

(53) Naraina Fire Station: The limits and extent of Naraina Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) From Brar Square Via Ring Road (M G Road) Both Sides Up to Railway line Flyover
- (ii) From T Point of Ring Road and Naraina Road Via Naraina Road Put Patel Road Crossing Via Patel Road Towards Shadipur Railway Fly Over Upto Railway Line.
- (iii) From T Point of Naraina Road and Dev Prakash Shastri Marg (Todapur Road) Upto Dash Ghara Area on Right Side.

(54) Khera Dabar/Jaffarpur Fire Station: The limits and extent of Khera Dabar/Jaffarpur Fire Station shall be the area bounded

- (i) From Mitraon School Bus Stand up to Haryana border on Najafgarh Dhansa road.
- (ii) Along the Boundary of Haryana Border to Dhansa Dam Najafgarh upto West Bank of Sahibi River Containing Raota, Dauralla, Daurala Village, Galibpur, Jhuljhuli, Sarangpur, Dhansa, Kazipur, Daryapur Khurd Village, Jaffarpur Kalan, Kheda Dabar, Ujwa.
- (iii) From Ghumanhera Bridge to Saheed Rao Laxmi Chand Marg upto Mitraon School via Mitraon Phirni Road.

(55) Headquarters Fire Station: The Headquarters Fire Station shall have no operational jurisdiction/boundary and only specialized fire fighting equipment and appliances deployed shall be available for use in any area on demand.

(56) Civic Centre Fire Station-

(i) Delhi gate metro station to ITO chowk via Pandit Deen Dayal Upadhyay marg to minto road junction to Asif ali road golchakkar to Delhi gate metro station.

(57) Delhi Secretariat Fire Station- The limits and extent of Delhi Secretariat Fire Station shall be the area bounded by:

(i) Delhi Gate Metro Station Via Jawahar Lal Nehru Marg to Satyagrah Marg to Yamuna Vihar Bank.

(ii) Yamuna Bank Via Vikas Marg to ITO Metro Station Via Bahadur Shah Zafar Marg to Delhi Gate Metro Station.

(58) Connaught Circus Fire Station: The limits and extent of Connaught Circus Fire Station shall be the area bounded by:

(i) Junction At Gandhi Museum Ring Road –West Side Area-ITO – Crossing at Nizamuddin Bridge – North of Sarai Kale Khan – Containing IP Park Upto Railway Track- Bhairon Marg – Crossing at Mathura Road- Mathura Road – Sunder Nagar – Oberoi Hotel – Delhi Golf Course – Dr Subramania Bharti Marg – Humayun Road (North Side Area) – Man Singh Road – Maulana Azad Road –

(ii) Janpath – Windsor Place – Patel Chowk (East Side) Gurudwara Bangla Sahib – Kali Bari Marg – Mandir Marg – Ridge Road Towards Dayal Chowk – Panchkuian Road – Chitrugupta Road – D B Gupta Road (South Side) – Pahar Ganj Chowk New Delhi Railway Station Fly Over – Ajmeri gate Road – Asaf Ali Road – Delhi Gate – Junction at Gandhi Museum Containing all Areas.

(59) Rakab Ganj Fire Station: The limits and extent of Rakab Ganj Fire Station shall be the area bounded by:

(i) RML Crossing – 11 (Eleven) Murti Via Willing Don Crescent Area on Both Side Talkatora Stadium – SPM Stadium. – Junction Of (Park Street, Shankar Road, Mandir Marg) – Kali Bari Crossing – Kali Bari Road – Gol Dakhana – Patel Chowk – Windsor Place Junction Via Janpath Up Maulana Azad Road Crossing – Junction Of Akbar Road / Mansingh Road – Via Mansingh Road – Taj ManSingh Hotel – Motilal Nehru Marg – Junction (Udyog Bhawan / Air HQ) – Vijay Chowk – Rail Bhawan Junction Via Red Cross Road – Parliament Street – Air Line – Gurudwara Rakab Ganj – North Block – Junction At Rakab Ganj – Via Church Road – North Avenue – RML Crossing.

(60) Rani Jhansi Road Fire Station. The limits and extent of Rani Jhansi Road Fire Station shall be the area bounded by:

(i) Junction Azad Market (West Side Area) – Chowk Nai Basti – Pahari Dhiraj – Maha Rishi Balmiki Marg (West Area) – Idgah Road (South Side) – Junction At New Qutab Road (Area South Side)- Junction (ChelmsFord - D B Gupta Road, Babu Ram Solanki Road) – D B Gupta Road (North Side Area) – Junction MM Road Via M Road – Dayal Chowk – Karol Bagh Metro Station (Area On North Side) – Ajmal Khan Road- Arya Samaj Road Ajmal Khan Road Crossing – Arya Samaj Road – Junction Guru Ravi Dass Marg / Arya Samaj Road Via Guru Ravi Dass Marg – D B Gupta Road – New Rohtak Road (Area On North Side) – Ras Bihari Marg (Area On South Side) – Old Rohtak Road – Ram Bagh Road – Junction At Azad Market.

(61) Shyama Prashad Mukherjee Marg Fire Station: The limits and extent of Shyama Prasad Mukherjee Marg Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Ajmeri Gate – Ajmeri Gate Road – Lal Kuan Bazar Road – Katra Bariyan Road – Fateh Puri Chowk – Chandni Chowk Road Up to Netaji Subhash Marg Crossing – Shyama Prasad Mukherjee Crossing – Yamuna Bazaar Crossing Upto Yamuna.
- (ii) Junction At (Majnu Ka Tilla) – Ring Road – Yamuna Bazaar – Upto Railway Track Including Yamuna River.
- (iii) Majnu Ka Tilla – Rajpur Road – Tishazari – Baraf Khana – Pul Bun gush- Azad Market – Library Road – Pul Mithai – Naya Bazar – Lahori Gate - Ajmeri Gate (Shradanand Marg).

(62) Teliwara Fire Station: The limits and extent of Teliwara Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Junction at Pul Mithai, Qutab Road/Azad Market Road – New Qutab Road Area on West Side of Railway Track – Junction of Idgah Road and New Qutab Road – Via Idgah Road – Junction of Maha Rishi Balmiki Marg with Idgah Road – Via Maharshi Balmiki Marg – Chowk Nai Basti – Junction of Azad Market Via Azad Market Road – Pul Mithai Junction.

(63) Paiwalan Fire Station: The limits and extent of Paiwalan Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Delhi Gate (West Side) – Asaf Ali Road (Back Side)
- (ii) Ajmeri Gate – Hauz Quazi (Metro Station) Road – Chawri Bazar – Nai Sarak – Chandni Chowk Up to Netaji Subhash Marg Crossing – Delhi Gate

(64) Darya Ganj Fire Station: The limits and extent of Darya Ganj Fire Station shall be the area bounded by:

- (i) Delhi Gate East Side Are – Ring Road – Up to Yamuna – Containing All Samadhi Are – Up to Railway Track – Yamuna Bazaar – Crossing at SPM Road and Netaji Subhash Marg (Monkey Bridge) Via Netaji Subhash Marg Upto Delhi Gate Containing Red Fort Darya Ganj.

(65) Town Hall Fire Station- The limits and extent of Town Hall Fire Station shall be the are bounded by:

- (i) SPM Marg & More Serai Road Junction to Chandni Chowk Market Via H.C Sena Marg.
- (ii) Chandni Chowk Market to Chandni Chowk Road & Khari baoli Road Junction to Swami Vivekenand Marg & Khari Baoli Road Junction to Railway Road.
- (iii) Railway Line to Naya Bazer Road to SPM Marg Junction to More Serai Road Junction Via Spm Marg

(66)Supreme Court Fire Station: The limits and extent of the Supreme Court Fire Station shall be limited to the Supreme court only.

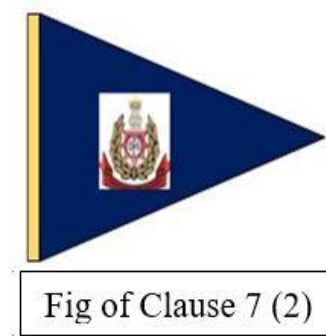
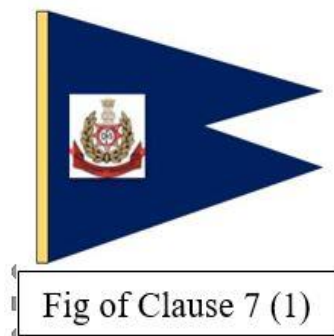
(67) High Court Fire Station: The limits and extent of High Court Fire Station shall be limited to High Court only.

(68) Rastrapati Bhawan Fire Station: The limits and extent of Rashtrapati Bhawan Fire Station shall be limited to Rashtrapati Bhawan only.

(69) AIIMS Fire Station: The limits and extent of AIIMS Fire Station shall be limited to AIIMS only.

(70) Fire Safety Management Academy Fire Station: The Fire Safety Management Academy Fire Station shall have no operational jurisdiction/boundary and only specialized fire fighting equipment and appliances deployed shall be available for use in any area on demand.

33.In Clause 7 of the Third Schedule of the Principal Rules, the prescribed drawings of car flags are added namely:



34.Clause 2 of the Fourth Schedule of the Principal Rules is substituted namely:
2.Enhancement of Deployment Fee. -The deployment fee shall stand enhanced at the rate of 5% of the fee under sub-clause (1) on first April every year with effect from first April, 2026”.

35. The Fifth Schedule of the Principal Rules is substituted namely:

FIFTH SCHEDULE
STAND-BY CHARGES ON DEPLOYMENT OF FIRE APPLIANCE
[See sub-rule (1) of rule 20]

1. Deployment of Fire Service on Stand-by duty. - The Director or any other

officer authorized by him in this behalf may on receipt of a request and subject to availability permit in public interest deployment of fire fighting appliances along with crew during public functions on payment of charges as mentioned in the table below:

Sr. No.	Type of Appliance	Charges per six hours or part thereof [Rupees]	Pumping /Operation per clock hour	Other Charges [Rupees]
1	Water Tender/ Foam Tender/ Water Bowser	10,000	2,000	@ 50 per liter foam concentrate consumed.
2	Aerial Ladder /Platform	20,000	5,000	----

2. Stand-by Charges to be paid in advance. - The payment under sub-clause (1) shall be made in advance through a bank draft/pay order in favour of DDO Headquarters, Delhi Fire Service payable at Delhi or through an online payment gateway.

3. Accommodation for the members of Fire Service. - In case deployment of Fire Service on stand-by duty exceeds 24 hours in continuation the requesting party shall make necessary arrangements for the accommodation of the members of Fire Service free of any charge.

4. Stand-by Duty to be under the charge of a Fire Officer. - The Stand-by duty shall be under the charge of an officer not below the rank of a sub-officer or leading fireman or leading fireman/operator.

5. Enhancement of Deployment Fee. -The deployment fee shall stand enhanced at the rate of 5% of the fee under sub-clause (1) on first April every year with effect from first April, 2026.

36. The Seventh Schedule shall succeed the Sixth Schedule of the "The Principal Rules" namely:

SEVENTH SCHEDULE
(See Rule 35)
(Qualification and Experience)

(i) For the purpose of the compliance of Rules 35, 36, 37 and 38 by Fire Safety Auditor; the prescribed minimum qualification, experience and Authorization of Fire Safety Auditor for the buildings identified under Rule 27 shall be as under:

TABLE-1

Level of Fire Safety Auditor and Authorization	Qualification	Experience
(a) Level-1 (L-1)-Authorized for Building or Occupancy or Premise identified in Rule 27 (3) & (4) and having height less than 15m	i) BE or B. Tech (Fire or Fire Safety) from a recognized University OR (ii) Any Graduate from a University with Sub-Officer Course from National Fire Service College Nagpur or Graduateship of fire Engineering (IFE-India or UK)	01 Years Experience in the relevant field of Fire Prevention and Fire Safety.
	OR ii) BE or B. Tech or B. Arch. in Civil or Mechanical or Electronics or Architecture with PG Diploma in Fire and Life Safety Audit from any University	03 Years Experience in the relevant field of Fire Prevention and Fire Safety.
(b) Level-2 (L-2)-Authorized for all Building or Occupancy or Premise identified in Rule 27 having height less than 15m	i) Fire Safety Auditor of Level-1 having any qualification as mentioned above	02 Years Experience as Fire Safety Auditor(L-1)
	OR (ii) B.Sc. (Physics, Chemistry, Mathematics) with Sub-Officer Course from National Fire Service College Nagpur or Graduateship of fire Engineering (IFE-India or UK)	03 Years Experience in the relevant field of Fire Prevention and Fire Safety.
	OR ii) Any Graduate from a University with Station Officer Course or Divisional Officer Course from National Fire Service College, Nagpur or Graduateship of fire Engineering (IFE-India or UK)	04 Years Experience in the relevant field of Fire Prevention and Fire Safety.
	OR iii) BE or B. Tech or B. Arch. in Civil or Mechanical or Electronics or Architecture with PG Diploma in Fire and Safety Audit from any University	05 Years Experience in the relevant field of Fire Safety including Designing or Planning or Installation or Maintenance of Fire Prevention and Fire Safety.
(c) Level-3 (L-3)-Authorized	i) Fire Safety Auditor of Level-2 having any qualification as mentioned above	05 Years Experience as Fire

for all Building or Occupancy or Premise identified in Rule 27		Safety Auditor(L-2)
	OR	10 Years
	(ii) BE or B. Tech (Fire or Fire Safety)	Experience in the
	OR	relevant field of
	(iii) B.Sc. (Physics, Chemistry, Mathematics) with Divisional Officer Course (NFSC)	Fire Prevention and Fire Safety.
	OR	
	(iv) Any Graduate from a University with Membership of Fire Engineering (IFE-UK)	

Registration, empanelment, Indemnity and Penalty

(i) The Fire Safety Auditor for the purpose of these Rules, having requisite qualification and experience as prescribed in Table-1, shall apply online to get themselves registered and empanelled on the portal of Delhi Fire Service by applying on Form 'U' of the First Schedule.

(ii) The registration and empanelment of Fire Safety Auditors shall be valid for a period of three years from the date of their registration with Delhi Fire Service unless the Fire Safety Auditor is blacklisted and removed and deregistered from the panel by the Director. The Fire Safety Auditors shall ensure to get their empanelment renewed prior to expiry of their registration validity.

(iii) The registration or renewal of registration fee for Fire Safety Auditor shall be as under:

Table 2(a)

Fire Safety Auditor(Level-1)	₹10,000
Fire Safety Auditor(Level-2)	₹20,000
Fire Safety Auditor(Level-3)	₹30,000

(iv) The Fire Safety Auditor, for their professional work, shall also ensure to maintain an indemnity insurance bond according to their levels with the Director, Delhi Fire Services, as mentioned here under for the period of their registration and empanelment with Delhi Fire Service:

Table 2(b)

Fire Safety Auditor(Level-1)	₹10,00,000
Fire Safety Auditor(Level-2)	₹20,00,000
Fire Safety Auditor(Level-3)	₹30,00,000

The indemnity insurance bond shall be submitted by the Fire Safety Auditor to the Director Fire Services at the time of seeking empanelment as part of Form 'U' submission.

(v) If any non-compliance or deviation from the required fire prevention and fire safety measures by the Fire Safety Auditor in Form 'H' or 'I' or 'J' or 'K' is reported by the Fire Officer(s), or any falsification by Fire Safety Auditor in any of

Forms as mentioned above or in Form 'U' is noted, an explanation of Fire Safety Auditor will be called through a notice by the Director.

(vi) If, the explanation of the Fire Safety Auditor in reply of Notice as mentioned in (v), is found unsatisfactory, he will be issued with another notice by the Director for deposition of penalty amount in conformity with Table 2(c) within 15 days from the date of this notice. If, Fire Safety Auditor fails to deposit the penalty amount within the specified time, he will be removed and deregistered from the panel.

Table 2(c)

Level of Fire Safety Auditor	Penalty Amount
Fire Safety Auditor (Level-1)	₹ 2,00,000
Fire Safety Auditor (Level-2)	₹ 5,00,000
Fire Safety Auditor (Level-3)	₹10,00,000

(vii) On second default for the reasons mentioned in (v), an explanation of Fire Safety Auditor will be called through a notice by the Director and if, the reply of Fire Safety Auditor is found unsatisfactory, the Fire Safety Auditor is liable to be blacklisted and deregistered from the panel without issuance of any further notice by the Director.

Training

(i) The Training of Fire Safety Auditors shall be conducted at Fire Safety Management Academy, Rohini on the terms and conditions as decided by Principal of the Academy. The Training charges as stipulated in Sixth Schedule of DFS Rules shall be borne by the Fire Safety Auditor.

(ii) The Fire Safety Auditor has to successfully complete this training, and the duration of training for different levels of Fire Safety Auditors is as under:

TABLE-3

Level of Fire Safety Auditor	Training Duration
Fire Safety Auditor (Level-1)	03 days
Fire Safety Auditor (Level-2)	05 days
Fire Safety Auditor (Level-3)	07 days

Charges, Remuneration and Ethical Conduct

(i) The Fire Safety Auditor is permitted to charge the owner or occupier of a premise or building or occupancy for the services provided by it under Rules 35, 36, 37 and 38, as mutually agreed between the Fire Safety Auditor and the owner or occupier. The charges shall be strictly within the permissible range as mentioned in Table-4. The agreed charges shall be submitted by the owner or occupier on the portal of the Delhi Fire Services and the same shall be released within 24 hours to the engaged Fire Safety Auditor through an automated process.

TABLE-4

Level of Fire Safety Auditor	Range of Charges/Audit
Fire Safety Auditor(Level-1)	From ₹10,000 to ₹ 50,000
Fire Safety Auditor(Level-2)	From ₹35,000 to ₹90,000
Fire Safety Auditor(Level-3)	From ₹63,000 to ₹5,00,000

Note:

1. The above charges shall apply per certification, including issuance of Form 'H' or each annual declaration under Form 'K', as applicable.
2. The charges shall be determined by the Fire Safety Auditor based on the height of building, covered area, occupancy classification, and complexity of fire prevention and fire safety systems, strictly within the minimum and the maximum limits prescribed herein.
3. The Director may, by order, issue detailed guidelines for objective determination of charges within the prescribed range.

(ii) On each submission of the documents by the Fire Safety Auditor or the owner or the occupier as specified under Rule 35(4) or Rule 38(2), the Fire Safety Auditor shall be remunerated ₹ 500 by the Director, Delhi Fire Service.

(iii) (a) The Fire Safety Auditor are barred from undertaking next two consecutive certifications (e. g. Form 'H' followed by next two Form 'K' or Form 'K' followed by next two Form 'K') for the same premise or building or occupancy or entity.

(b) The Director may prescribe maximum number of certifications per Fire Safety Auditor per year to guard against recklessness in issue of certifications.

(iv) The Fire Safety Auditor shall generate a 'Unique Identification Number' on all certification forms bearing his credentials in sequence as mentioned below:

UID No.: Level of the Fire Safety Auditor/Registration number of Fire Safety Auditor/Calendar Year/Number of renewal by Fire Safety Auditor
e.g., UID No.: L-1or L-2 or L-3/xxxx/20xx/xxxx.

(v) The Fire Safety Auditor has to ensure that for a premise or building or occupancy or entity on every single occasion of certification, the UID number on all Forms endorsed by him shall be same.[See rule 35 and 38]

AUTOMATED CONTINUOUS MONITORING SYSTEM

[see rule 37]

1. Automated Continuous Monitoring System (ACMS) based on Internet of Things (IoT) for the firefighting system in a building or part thereof as specified under Rule 37 shall be provided for both Active and Passive Measures, ensuring that the fire prevention and life safety measures are in good repair and efficient working condition.

2. The provision of the ACMS shall be done in two phases. The installation of ACMS shall be such that it will give necessary indication to both the owner or

occupier as well as the Fire Safety Auditor, as engaged under Rule 35 in the first phase. In the second phase, the critical alarms shall also be sent to the Delhi Fire Service. Details regarding process required in both the phases is given in clause 4. The initiation of the Phase I shall be done with immediate effect of the rules coming in force whereas phase II shall be done at later stage.

3. The ACMS shall be provided as under:

(a)System Status: The system shall be integrated with requisite mechanism enabling to know the status of each system which shall be generated and collected on any suitable IoT Gateway. The data collected shall be uploaded on any suitable Cloud server which will transmit requisite real time information of the system health to owner / occupier and the system installer via an email, short message service (sms) or on mobile through any suitable app service. Status of following systems shall be notified:

(b)Hydrant:

- (i) Main Hydrant Pump run status.
- (ii) Standby Diesel/Electrical Pump run status.
- (iii) Diesel tank level Monitoring.
- (iv) Power to Main Hydrant Pump (On / Off).
- (v) Hydrant riser low pressure monitoring.
- (vi) Jockey Pump run status.
- (vii) Power to Jockey Pump (On/ Off).
- (viii) Booster pump Pump run status.
- (ix) Power to Main Booster Pump (On/ Off).

(c) Fire Water Tank:

- (i) Underground/Above ground Fire Tank Level Monitoring.
- (ii) Overhead Tank Low Level Monitoring.

(d) Sprinkler:

- (i) Main sprinkler Pump run status.
- (ii) Power to main sprinkler pump.
- (iii) Sprinkler riser low pressure monitoring.

(e)Detection System:

- (i) Detection operation status (On/Off).
- (ii) Control Panel/Repeater Panel status (working/non-working).
- (iii) Battery of Control Panel status.

(f) Manual Call Points: Manual Call Points operation Status (On/Off).

(g) Public Address System: Public Address System status (working/non-working).

(h)Air Pressurization:

- (i) Staircase Pressurization Fan run status for all exits Lift Lobby/Hoistways.

(ii) Pressurization Fan run status for all Lift Lobby/Hoistway.

(j) Supply and Exhaust Fan: Basement supply and Exhaust Fan Run Status for Ventilation or Exhaust system.

Note: Following Data parameters will be monitored and sent from local Gateway to Cloud Portal for Real time monitoring and Report Generation.

I.Mode of Integration:

Sr. No.	Monitoring of Critical Fire and Life Safety Parameters	Mode of Integration
1.	Main Hydrant Pump run status	Water Differential Pressure Switch
2.	Main Sprinkler Pump run status	Water Differential Pressure Switch
3.	Stand by Diesel/Electrical Pump run status	Water Differential Pressure Switch
4.	Jockey Pump run status	Water Differential Pressure Switch
5.	Booster Pump run status	Water Differential Pressure Switch
6.	Diesel tank low level Monitoring	Level Sensor
7.	Power to Main Hydrant Pump	Voltage Sensor at Motor Control Centre (MCC)
8.	Hydrant Riser Low Pressure Monitoring	Pressure Switch/ Transmitter
9.	Power to Main Sprinkler Pump	Voltage Sensor at MCC
10.	Sprinkler Riser Low Pressure Monitoring less than 5 Bar	Pressure Switch/ Transmitter
11.	UG/AG Fire Tank Low Level Monitoring System	Ultrasonic water level device
12.	Overhead Tank Low Level Monitoring System	Ultrasonic water level device
13.	Detection Operation Status	Plain Old telephone Service(POTS) free contacts from fire panel
14.	Control Panel / Repeater Panel status	Plain Old telephone Service(POTS) free contacts from fire panel
15.	Battery of Control Panel status	Plain Old telephone Service(POTS) free contacts from fire panel
16.	Manual Call Points operation Status	Plain Old telephone Service(POTS) free contacts from fire panel
17.	Public Address(PA) System status	Fault Status for PA panel
18.	Stair case Pressurization Fan run status for all Exits	Air Differential Pressure Switch
19.	Lift Lobby/Hoistway Pressurization fan run status	Air Differential Pressure Switch

20.	Basement Supply and Exhaust Fan run status for Ventilation/Exhaust system	Air Differential Pressure Switch
-----	---	----------------------------------

4. Procedural Requirements: The main objective of the IOT base system is to ensure that fire prevention and life safety systems provided in buildings are maintained in good repair and efficient working condition for:

(a) Digital Monitoring the Operations of the Fire Fighting Installation and Equipment;

(b) Digital Maintenance and Record Keeping of Fire Fighting Installation and Equipment. These can be achieved by adopting following procedure guidelines,

- (i) Providing minimum Digital Inputs and Analog Inputs depending upon the system requirement.
- (ii) Machine to Machine communication by following MQTTS Protocol which will send the Data. MQTTS Protocol to send the Data to cloud portal on real time basis.
- (iii) Connectivity to Cloud Using 4G/5G and above or Ethernet or Wi-Fi or any other reliable wired or wireless medium which will receive data from IoT gateway at every 1 min interval.
- (iv) Cloud will also send an alarm via SMS if no data is received from the IoT gateway for more than 15 mins. Cloud portal should generate alarm in case data is not received for more than specified time so we can ensure reliability on IoT system.
- (v) Gateway should have UPS power and shall have a backup of up to 7 hrs in case of power failure.
- (vi) Gateway shall have an in-built capacity to store a minimum 10000 event logs.
- (vi) It should have real time clock to save data along with time stamp.
- (vii) Reports like data report and alarm report should be available from cloud portal.
- (ix) SMS and email alerts option should be available real time basis.
- (x) Events should be stored in the Open-Source Database. Uptime should be at least 99%.
- (xi) There should be provision to make API (Application Programming Interface) in future to send this data to local fire and emergency services. For local fire and emergency services, alerts should be sent only for critical alarms e.g. Power Failure to Pumps, Sprinkler and Hydrant Line Pressure Low, Fault & Fire Conditions of the Fire Alarm System, etc.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

AJAY KUMAR SHARMA, Dy. Secy. (Home)